Monday, 03 April, 1967

लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
LOK SABHA DEBATES

[पहला सत्र
First Session]

(Fourth Lok Sabha)

Preservation Unit
Fumigated
04.1.84
Parliament Library

सत्यमेव जयते

[खंड 2 में अंक 11 से 20 तक हैं
Vol. II contains Nos. 11 to 20]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य: एक रुपया

Price : One Rupee

विषय-सूची/CONTENTS

अंक 12, सोमवार, 3 अप्रैल, 1967/13 चैत्र, 1889 (शक)

No. 12, Monday, April 3, 1967/Chaitra 13, 1889 (Saka)

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
प्रश्नों के मौखिक उत्तर/ORAL ANSWERS TO QUESTIONS		
ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.		
199. भारतीय नेताओं के बारे में अमरीका में दिखाया जा रहा अश्लील नाटक	Obscene Play About Indian Leaders being Staged in U. S. A. ..	831—836
200. सेना के लिये भर्ती	Recruitment to Army ..	836—841
201. अमरीका से डा० धर्म तेजा का प्रत्यर्पण	Extradition of Dr. Dharma Teja from U.S.A.	841—847
202. भारतीय राज्य क्षेत्र पर पाकिस्तान का दावा	Pak Claim on Indian Territory ..	847—850
प्रश्नों के लिखित उत्तर/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS		
ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.		
203. कानपुर के हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड में उत्पादन	Production in Hindustan Aeronautics Ltd., Kanpur ..	850—851
204. आयुध कारखाने	Ordnance Factories ..	851—852
205. संयुक्त राज्य बंगाल के बारे में अमरीका में प्रकाशित मानचित्र	Map published in USA about United State of Bengal ..	852
206. हनोई को सहायता भेजने के हेतु विमान की भारतीय क्षेत्र पर से उड़ान	Use of Indian Air Space for Sending Aid to Hanoi ..	852

---

* किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

* The sign + marked above the name of a Member indicates that the question was actually asked on the floor of the House by that Member.

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.		
207. ब्रिटेन और सऊदी अरब के बीच हवाई युद्ध सम्बन्धी हथियारों की सप्लाई के बारे में करार	Air Weapons Supply Contract between U.K. and Saudi Arabia ..	852—853
208. अणुशक्ति का शांतिपूर्ण कार्यों के लिये प्रयोग	Peaceful Uses of Atomic Energy ..	853—854
209. इंडिया कलैंडर, 1967	India Calendar, 1967 ..	854
210. सशस्त्र सेना के कर्मचारियों के वेतन तथा भत्ते	Pay and Allowances of Armed Forces Personnel ..	854—855
211. दलाई लामा को संयुक्त राष्ट्र संघ में तिब्बत का मामला पेश करने के लिये सुविधाएं	Facilities for Dalai Lama for Going to U.N.	855
212. वियतनाम में रासायनिक गैसों का छोड़ा जाना और बमबारी	Chemical Warfare and Bombing in Vietnam	856
213. सेनाओं में चुनींदा लोगों की अनिवार्य भर्ती	Selective Conscription ..	856
214. समाचार पत्रों का बन्द होना	Mortality of Newspapers ..	856—857
215. राजदूतों और वाणिज्य दूतों की नियुक्ति	Appointments of Ambassadors and Trade Consuls ..	857
216. पाकिस्तान अथवा चीन के कब्जे में भारतीय राज्य क्षेत्र	Indian Territory in Possession of Pakistan or China ..	857—858
217. पाकिस्तान तथा भारत के लिये अमरीकी हथियार	U S Arms for Pakistan and India ..	858
218. बर्मा में नजरबन्द भारतीय लोग	Indians Detained in Burma	859
219. फीरोजपुर के पास 2 फरवरी, 1967 को मार गिराये गये विमान के लिये पाकिस्तान द्वारा नकदी के रूप में मुआवजे की मांग	Pak Claim for Monetary Compensation for the Aircraft Shot Down on 2-2-1967 near Ferozepur ..	859—860
220. भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, बंगलौर	Bharat Earth Movers Ltd., Bangalore ..	860
221. पिल्ले समिति का प्रतिवेदन	Report of Pillai Committee ..	860

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.		
222. पाकिस्तान और चीन द्वारा किया गया भूमि तथा वायु सेना का उल्लंघन	Land and Air Space Violations Committed by Pakistan and China ..	861
223. भूतपूर्व सैनिकों का पुनर्वास	Rehabilitation of Ex-Servicemen ..	861—862
224. असैनिक प्रतिरक्षा कर्मचारियों के लिये मजूरी बोर्ड	Wage Board for Civilian Defence Employees	862—863
225. अपंग सैनिक कर्मचारी	Disabled Military Personnel ...	863
226. भूतपूर्व हिन्द फौज के कर्मचारी	Ex- I.N.A. Personnel ..	864
227. हिन्दी में प्रसारण	Hindi Broadcasts ..	864
228. नेताजी सुभाषचन्द्र बोस की मृत्यु के बारे में जांच	Probe into the Death of Netaji Subhash Chandra Bose ..	864—865
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
354. श्रीलंका में भारतीय उद्भव के राष्ट्रिकताहीन व्यक्ति	Stateless persons of Indian origin in Ceylon..	865
355. गन-कैरेज फैक्टरी एस्टेट, जबलपुर में गैर-सरकारी मकानों का अर्जित किया जाना	Acquisition of Private Houses in Gun Carriage Factory Estate, Jabalpur ..	865
356. नेहरू स्मारक निधि	Nehru Memorial Fund ..	866
357. रूस तथा पूर्व योरोपीय देशों द्वारा वित्तपोषित संस्थाएं	Institutions Financed by USSR and East European Countries ..	866
358. नेफा में सेना की पराजय की जांच	Enquiry into the NEFA Reverses ..	866—867
359. स्वर्गीय प्रधान मंत्री के पत्र का श्रीलंका में प्रकाशित किया जाना	Release of the Late Prime Minister's letter in Ceylon ..	867
360 केन्द्रीय मंत्रियों द्वारा आस्तियों का ब्योरा	Returns of Assets by Central Ministers	867
361. नागालैंड सचिवालय में आग	Fire in Nagaland Secretariat ..	867—868
362. प्रतिरक्षा मंत्रालय द्वारा टायरों की खरीद	Purchase of Tyres by Defence Ministry ..	868—869
363. प्रतिरक्षा मंत्रालय द्वारा टायरों की खरीद	Purchase of Tyres by Defence Ministry ..	869

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
364. प्रतिरक्षा मंत्रालय द्वारा टायरों की खरीद	Purchase of Tyres by Defence Ministry ..	870
365. प्रतिरक्षा मंत्रालय द्वारा टायरों की खरीद	Purchase of Tyres by Defence Ministry ..	870—871
366. मूल्य समाचार	Price Bulletins ..	871
367. करनाली जल विद्युत परियोजना	Karnali Hydro-Electric Project ..	871
368. बर्मा की सरकार के साथ बातचीत	Negotiations with Burmese Government ..	871—872
369. मुस्लिग वर्ल्ड लीग	Muslim World League ..	872
370. प्रधान मंत्री द्वारा चुनाव दौरे के लिए भारतीय वायुसेना के विमान का प्रयोग	Use of IAF Plane for Election Tour by Prime Minister ..	872—873
371. विकलांग सैनिक कर्मचारियों का भरण-पोषण	Maintenance of Disabled Armed Personnel..	873—874
372. इंडोनेशिया-पाकिस्तान करार	Indonesia-Pak Agreement	874
373. राजनयिक थैले का गुम हो जाना	Loss of a Diplomatic Bag ..	874—875
374. सशस्त्र सेनाओं में डॉक्टरों तथा इंजीनियरों की कमी	Shortage of Doctors and Engineers in the Armed Forces ..	875
375. संयुक्त अरब गणराज्य के सहयोग से जेट विमानों का निर्माण	Manufacture of Jets with UAR Collaboration ..	875—876
376 सैनिक स्कूल कुंजपुरा में डूबने की घटना	Drowning Incident at Military School, Kunjpura ..	876
377. हरियाना के लिये आकाशवाणी केन्द्र	Radio Station for Haryana ..	876
378. नेफा की एक शाम	Nefa Ki Ek Sham	877
379. गुट निरपेक्ष राष्ट्रों का सम्मेलन	Conference of Non-Aligned Nations ..	877
380. तिब्बती शरणार्थी	Tibetan Refugees ..	877—878
381. आयुध कारखाने	Ordnance Factories ..	878—879
382. उड़ीसा में बालासोर में प्रूफ एण्ड एक्सपेरिमेंटल इस्टैबलिशमेंट	Proof and Experimental Establishment, Balasore in Orissa ..	879

विषय अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	Subject	पृष्ठ/Pages
383. संयुक्त राष्ट्र संघ में भारतीय प्रतिनिधि	Indian Representatives in UNO ..	879
384. गोहाटी में बोरझार हवाई अड्डे के निकट भूमि का अर्जन	Acquisition of land near Borjhar Airport Gauhati ..	880
385. भारतीय वायुसेना विमान दुर्घटना	I.A.F. Plane Accident ..	880—881
386. नई सरकारी कम्पनियां	New Government Companies ..	881
387. सैनिक कर्मचारियों के परिवारों के लिये मकान	Family Accommodation for Army Personnel	881—882
388. गोरखपुर में आकाशवाणी केन्द्र	Radio Station at Gorakhpur ..	882
389. अवाडी मोटर गाड़ी डिपो	Avadi Vehicles Depot ..	882—883
390. मलयेशिया निवासी भारतीय लोगों की ओर से अभ्यावेदन	Representation from Indians in Malaysia ..	883
391. बाल फिल्म संस्था	Children's Film Society	883
392. जवानों के लिए फैमिली क्वार्टर	Family quarters for Jawans ..	884
393. पश्चिम बंगाल में भूमि का अर्जन	Acquisition of Land in West Bengal ..	884—885
395. तारापुर परमाणु बिजली घर	Tarapore Atomic Power Station ..	885
396. चलचित्र उद्योग के लिये कोष	Funds for Film Industry ..	885—886
397. सैनिक प्रशिक्षण स्कूल, नवगांव	Military training school, Nowgong ..	886
398. भारत में टेलीविजन	Television in India ..	886—887
399. शरणार्थियों के बारे में 1951 का जेनेवा अभिसमय	Geneva Convention of 1951 about Refugees	887—888
400. पोर्ट ब्लेयर स्थित आकाशवाणी केन्द्र	Radio Station, Port Blair ..	888
401. चुनावों में भारतीय वायुसेना के विमानों का प्रयोग	Use of IAF Plane for Election purposes ..	888—889
402. संयुक्त राष्ट्र संघ को भारत का अंशदान	Indian Contribution to UNO ..	889
403. नेताजी संग्रहालय को नेताजी की तलवार भेंट किये जाने से संबंधित समारोह	Function connected with presentation of Netaji's Sword to Netaji Museum ..	889

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
404. पारादीप पत्तन पर नौ सेना का अड्डा	Naval Base at Paradeep Port ..	890
405. पाकिस्तान को रूसी सैनिक सहायता	Soviet Military Assistance to Pakistan ..	890
406. राजधानी में सैनिक शिक्षा संस्था (इंस्टीच्यूट आफ डिफेंस स्टडी)	Institute of Defence Study in the Capital ..	890—891
407. यूगोस्लाविया के साथ चल-चित्रों का आदान-प्रदान	Exchange of Films with Yugoslavia ..	891
408. भारत में अमरीकी सैनिक मिशन	US Military Mission in India ..	891—892
409. प्रादेशिक सेना	Territorial Army ..	892
409-क हिन्द महासागर में द्वीप	Islands in the Indian Ocean ..	892—893
409-ख विदेश स्थित राजदूतावासों द्वारा नियुक्त प्रचार परामर्श-दाता	Publicity consultants Engaged by Diplomatic Missions Abroad ..	893
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance ..	893—896
उत्तर प्रदेश तथा बिहार में चीनी का उत्पादन घट जाने से उत्पन्न हुई स्थिति	Situation arising out of fall in sugar production in U. P. and Bihar ..	893—896
श्री यशपाल सिंह	Shri Yashpal Singh ..	894
श्री शिन्दे	Shri Shinde ..	894
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table ..	896—897
विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति	President's Assent to Bills ..	897
स्वर्गीय प्रधान मंत्री नेहरू के विदेशी बैंक में खाते के बारे में वक्तव्य	Statement Re. Account of late Prime Minister Nehru in a foreign Bank ..	898—900
डा० राम मनोहर लोहिया	Dr. Ram Manohar Lohia ..	898—899
श्री यशवन्तराव चह्वाण	Shri Y. B. Chavan ..	899
श्री मोरारजी देसाई	Shri Morarji Desai ..	899—900
अत्यावश्यक वस्तु (संशोधन) विधेयक—पुरःस्थापित	Essential Commodities (Amendment) Bill—introduced ..	900

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अत्यावश्यक वस्तु (दूसरा संशोधन) अध्यादेश के बारे में विवरण	Statement Re. Essential Commodities (Second Amendment) Ordinance ..	900
श्री दिनेश सिंह	Shri Dinesh Singh ..	900
राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव	Motion of Thanks on President's Address ..	901—919
श्री० समर गुह	Shri Samar Guha ..	901—903
श्रीमती सुशीला रोहतगी	Shrimati Sushila Rohatgi ..	904—905
श्री० आर० के० अमीन	Shri R. K. Amin ..	905—908
श्रीमती महिन्दर कौर	Shrimati Mohinder Kaur ..	908—909
श्री एस० के० सम्बन्धन	Shri S. K. Sambandhan ..	909—910
श्री चेंगलराया नायडू	Shri Chengalraya Naidu ..	910—911
श्री धीरेश्वर कलित	Shri Dhireswar Kalita ..	911—912
श्री रामशेखर प्रसाद सिंह	Shri Ramshekhar Prasad Singh ..	912—913
डा० कर्णी सिंह	Dr. Karni Singh ..	913—914
श्री आर० डी० भण्डारे	Shri R. D. Bhandare ..	915—916
श्री आरंगिल श्रीधरन	Shri A. Sreedharan ..	916—917
श्री राम किशन	Shri Ram Kishan ..	917—918
श्री च० चु० देसाई	Shri C. C. Desai ..	918—919
सभा का कार्य	Business of the House ..	919—920

लोक-सभा
LOK SABHA

सोमवार, 3 अप्रैल, 1967/13 चैत्र, 1889 (शक)
Monday, 3 April, 1967/Chaitra 13, 1889 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
MR. SPEAKER *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

Obscene Play About Indian Leaders Being Staged in U. S. A.

\+

*199. **Shri Madhu Limaye:**
Shri Hem Barua:
Shri Yashpal Singh:
Dr. Ram Manohar Lohia:
Shri Ram Kishan Gupta:
Shri D. C. Sharma:
Shri P. K. Deo:
Shri G. C. Naik:
Shri K. P. Singh Deo:
Shri A. Dipa:
Shri R. Barua:
Shri Indrajit Gupta:
Shri Hardayal Devgun:

Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state:

(a) whether Government have received any information regarding an obscene play about Indian leaders being staged in U. S. A.;

(b) if so, the subject matter of the play and the main features thereof; and

(c) the action taken by Government so far in regard thereto?

The Minister of External Affairs (Shri M. C. Chagla): (a) to (c). A play with obscene scenes of India and Indian leaders has been staged in a theatre club and in two universities in New York State, by a private theatrical group which appears to make a speciality of scurrilous theatricals about eminent persons. The subject matter of the play is extremely unsavoury and will bear no repetition. When it was first performed last autumn, our Consul General informally took it up with the New York City authorities. When it was

repeated last December and in February this year, our Consulate General again approached the New York authorities and our Embassy in Washington took it up with the State Department, pointing out that if those performances continued, Indo-American relations were bound to suffer. The various U. S. authorities have been most distressed about this matter and have assured us of their sympathetic attention but under U. S. laws Government authorities have little power of control in such cases. The New York City authorities have been able to find some technical breaches of licensing laws on the part of the theatre club which first produced this stuff, and as a result of their action the theatre has been closed down. Our Missions in the U. S. are alert for signs of any future productions ; our students, who are as shocked by this play as any decent person would be, are also alert. If further stagings can be prevented, they will be ; if not, they will have to be ignored with the contempt they deserve.

Shri Madhu Limaye . In America and in other democratic countries where there is freedom of speech and writings, they write and speak against India. There has been resentment in our country for these acts. I want to know that after studying the laws and procedure of obscenity and writing against the foreigners in those countries whether the Government would place a statement in regard thereto on the Table of the House. So that the House and its members may know the matters they can raise in this regard.

श्री मु० क० चागला : इस सम्बन्ध में क्या कानून है मैं संक्षेप में बतलाऊंगा । अमेरिका का अश्लीलता कानून अंग्रेजी कानून से भिन्न है । परन्तु जहां तक थियेटर का सम्बन्ध है, नाटक को प्रस्तुत करने के लिए कोई लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है । इंग्लैंड में सब नाटक लार्ड चैम्बर लेन से पास कराने होते हैं । वहां लाइसेंस थियेटर के मालिक को दिया जाता हैं, लेखक को नहीं । जहां तक इस नाटक का सम्बन्ध है, यह एक निजी क्लब में प्रस्तुत किया गया था । और इस सम्बन्ध में यह नियम है कि यदि प्रवेश शुल्क नहीं लिया गया तो इस पर अश्लीलता कानून लागू नहीं होता । भाग्य से इस सम्बन्ध में क्लब के मालिक ने लाइसेंस की शर्तों में कुछ अनियमितता की थी । अत: क्लब को बन्द कर दिया गया और नाटक को प्रस्तुत न किया जा सका । अत: नाटक के सम्बन्ध में इंग्लैंड तथा अमरीका के कानून में भिन्नता है ।

Shri Madhu Limaye : The details of the statement may be kept on the Table of the House afterwards. When no legal action could possibly be taken against those countries, who propagate against India, either by writing or by speaking, their reply could be given by two ways. Firstly, our work in the country should be upto the mark and secondly, the propaganda done by our embassies should be appropriate. There are two aspects of it. Firstly, the people in India and the Government should do well, so that it may have good effect in the world. Secondly, the propaganda done by our embassies should be more powerful and efficient. Whether we are considering on both these aspects and whether we are taking some solid steps in this respect ?

श्री मु० क० चागला : जहां तक प्रथम भाग का सम्बन्ध है अमरीका स्थित हमारे प्रतिनिधि ने इस सम्बन्ध में सम्भव कार्यवाही की थी । हमारे प्रधान कौंसल ने इस सम्बन्ध में न्यूयार्क के मेयर तथा प्राधिकारियों से बातचीत की थी । उन्होंने इस पर खेद प्रकट किया । उन्हें दु:ख था कि कानून के अन्तर्गत वह इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं कर सकते । जहां तक वाशिंगटन का प्रश्न है इस सम्बन्ध में राज्य सरकार को कहा गया था और हमारे राजदूत ने राज्य सचिव से

इस विषय में बातचीत की और उन्हें बतलाया कि इस प्रकार के नाटक से भारत तथा अमरीका के सम्बन्ध गम्भीर रूप से बिगड़ जायेंगे। राज्य सचिव ने इस पर खेद प्रकट किया और कहा कि वह यथासम्भव कार्यवाही करेंगे। और मैं आपको यह बतला दूं कि न्यूयार्क पदाधिकारियों ने हमारी सहायता की। दुर्भाग्य से यह नाटक न केवल न्यूयार्क में प्रस्तुत किया गया बल्कि दो अन्य विश्वविद्यालयों में भी प्रस्तुत किया गया। न्यूयार्क पदाधिकारियों ने दूसरे विश्वविद्यालयों को लिखा और कहा कि वह यह प्रयत्न करें कि यह नाटक वहां प्रस्तुत न किया जा सके। भाग्यवश यह अन्य दो विश्वविद्यालयों में प्रस्तुत नहीं हुआ। अब स्थिति यह है कि इस नाटक का प्रदर्शन अमरीका में नहीं किया जा रहा है। जहां तक इसके द्वितीय भाग का प्रश्न है, मैं अपने माननीय मित्र से सहमत हूं कि हमें इस सम्बन्ध में अच्छे प्रचार की आवश्यकता है और हम यथा शक्ति वह कर रहे हैं। मैं इस सम्बन्ध में यह कहूंगा कि न केवल हमारे प्रधान मंत्री तथा कांग्रेस अध्यक्ष की निन्दा की गई है, बल्कि प्रेसीडेन्ट रूजवेल्ट, श्रीमती जैकोलाईन कनेडी, प्रेसीडेन्ट जोन्सन की पुत्री और प्रेसीडेन्ट डीगोल जैसे व्यक्तियों की भी निन्दा की गई है। यह मजाकिया थियेटर कहलाया जाता है। अतः मैं सभा से निवेदन करूंगा कि वह इसकी उपेक्षा करे। हमने भरसक प्रयत्न किये हैं कि इस नाटक का प्रदर्शन न किया जाये, परन्तु उसके विपरीत भी इसका प्रदर्शन किया जाता है तो मेरे विचार से हमारी संस्कृति बहुत महान है और हम इस ओर ध्यान नहीं देंगे।

श्री हेम बरुआ : इस अश्लील नाटक का जिसमें हमारे नेताओं विशेषकर श्रीमती इंदिरा गांधी और श्री कामराज की निन्दा की गई है अमरीका के विश्वविद्यालयों में प्रदर्शन किया गया और इस नाटक को प्रदर्शित न करने के प्रयास में सरकार असफल रही। सबसे पहले कम्बोडिया विश्वविद्यालय के छात्रों ने इस अश्लील नाटक की ओर अमरीका स्थित हमारे राजनयिक अधिकारी का ध्यान आकर्षित किया। यह दो घण्टे का नाटक हैं। इस संदर्भ में हमारे अमरीका स्थित राजनयिक अधिकारियों को इस नाटक के विषय में, कम्बोडिया विश्वविद्यालय के भारतीय छात्रों द्वारा फिर क्यों याद दिलाना पड़ा? तभी वह इसके प्रति जागरूक हुए। दूसरे, जबकि अमरीका के पदाधिकारियों ने यह कहा कि वह इस नाटक पर प्रतिबन्ध नहीं लगा सकते तो सरकार ने इस अश्लील नाटक को जिसमें भारत की निन्दा की गई है, प्रदर्शित न करने के लिए क्या कदम उठाये ?

श्री मु० क० चागला : यह सच नहीं है। जैसे ही इस नाटक को न्यूयार्क में प्रदर्शित किया गया था वैसे ही हमने इस सम्बन्ध में कार्यवाही की थी। तब यह दूसरे विश्वविद्यालय में दिखाया गया और जिन विद्यार्थियों ने इसका प्रदर्शन देखा उन्हें बहुत सदमा हुआ।

श्री हेम बरुआ : मेरा कहने का तात्पर्य यह था कि भारतीय विद्यार्थियों ने ही अमरीका स्थित राजनयिक अधिकारियों को लिखा था और भारतीय विद्यार्थियों के अभिवेदन पर ही हमारे राजनयिक अधिकारी इस सम्बन्ध में जागरूक हुए।

श्री मु० क० चागला : यह सच नहीं है। हम तथ्यों के प्रति पहले ही जागरूक थे जब इस नाटक का प्रदर्शन न्यूयार्क में किया गया था और हमारे राजनयिक अधिकारी उस समय इस

सम्बन्ध में कार्यवाही कर रहे थे जबकि विद्यार्थियों का अभिवेदन आया था। हमने उसी समय इस पर कार्यवाही की जबकि हमें इसकी जानकारी प्राप्त हुई। और दूसरे विश्वविद्यालयों को भी इसे प्रदर्शित करने से रोकने के लिए कहा गया। और वास्तव में यह दो अन्य विश्वविद्यालयों-शिकागो और एक अन्य विश्वविद्यालय में जहां इसका प्रदर्शन होना था, प्रदर्शन रोक दिया गया। अत: यह कहना कि विद्यार्थियों के ध्यान आकर्षित कराने के पूर्व इस विषय पर कोई कार्यवाही नहीं की गई, सच नहीं है।

Sbri Yashpal Singh : It is true that in America there is no law to stop obscene play. But when it has attacked the prestige of other country should we not stop them from staging it so that it may not endanger the prestige of other countries.

श्री मु० क० चागला : जैसा कि मैंने कहा इस सम्बन्ध में हम अधिक से अधिक राजनयिक अभिवेदन कर सकते थे और वह हमने उच्चतम पदाधिकारियों को किया भी। हमारे राजदूत ने राज्य सचिव श्री डीन रस्क से इस सम्बन्ध में बातचीत की। इससे अधिक उचित और क्या कार्यवाही हो सकती थी ? राज्य सचिव ने इस नाटक के प्रर्दशन पर खेद प्रकट किया और आश्वासन दिया कि वह यथाशक्ति इस विषय में कार्यवाही करेंगे। इससे अधिक हमारे राजदूत और क्या कर सकते थे ?

Shri Ram Kishan Gupta : In this statement it has been mentioned that in addition to the club this play was also staged in two universities. I want to know whether it was the same play or not ?

श्री मु० क० चागला : यह वही नाटक था।

श्री दी० चं० शर्मा : मैंने माननीय मंत्री के उत्तर का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया है। मेरे विचार से वैदेशिक कार्य मंत्री ने उसमें कहा है कि हमें इसकी उपेक्षा करनी चाहिए। मैं माननीय मंत्री से यह पूछना चाहता हूं कि क्या उन्हें नाटक के विषय में पूरी जानकारी प्राप्त है और क्या हम इसके प्रति उपेक्षा का रुख ही अपना सकते हैं या हमें इसका प्रतिशोध करना ठीक रहेगा ?

श्री मु० क० चागला : मैं अश्लील प्रकाशन नहीं पढ़ता, परन्तु इस मामले में यह मेरा कर्तव्य था और मैंने नाटक का अध्ययन किया और मुझे सदन में यह सूचित करते हुए दुख होता है कि यह नाटक न केवल अश्लील था वरन् सदमा पहुंचाने वाला था। वह लज्जाकारी तथा घृणा पैदा करने वाला है।

श्री दी० चं० शर्मा : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या हम इसकी उपेक्षा करेंगे या प्रतिशोध ? **(बाधाएं)**

श्री रा० बरुआ : विवरण के अन्तिम वाक्य में सरकार ने कहा है कि "यदि इसका प्रदर्शन रोका जा सका तो रोका जायेगा। यदि नहीं, तो उसकी उपेक्षा करनी होगी। इसमें मजबूरी का

रवैया नजर आता है"। क्या यह इसलिए है कि हमारे राजदूत को इस बात का पता नहीं है कि सरकार ने इस प्रकार का विवरण दिया है ?

श्री मु० क० चागला : नहीं, मेरे विचार से यह प्रश्न उचित नहीं है। जो हमारे दूतावास ने कार्यवाही की है उसके बारे में मैं पहले भी बता चुका हूं। अमरीका के कानून के अन्तर्गत इससे अधिक हम और कुछ नहीं कर सकते हैं। मैं इसका निष्कर्ष यह कह कर करता हूं यदि हम इससे अधिक कुछ नहीं कर सकते थे तो हमें इसकी उपेक्षा करनी चाहिए थी।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : हमारे न्यूयार्क स्थित प्रधान कौंसल ने एक भेंट में यह कहा है कि इस नाटक ने दो मित्र देशों में अमित्रता की भावना उत्पन्न की है। मेरा प्रश्न यह है कि क्या उन मामलों में आपसदारी का आधार है या क्या केवल हमारे ही देश में ही भारतीयों द्वारा लिखे गये नाटक और किताबें सरकार द्वारा जब्त कर ली जाती हैं। और उन्हें परिचारित नहीं किया जाता तथा नाटक प्रदर्शित नहीं होने दिये जाते। इसका मुख्य कारण यह है कि इनसे दोनों देशों—भारत तथा अमरीका के मित्रता सम्बन्ध बिगड़ने का भय है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इस मामले में दोनों देशों में पारस्परिक समझौता हुआ है या वे तो जो मर्जी करते रहे और केवल हमारे लोगों के लिए ही इस पर रोक लगाई जाती है।

श्री मु० क० चागला : आपसदारी से आपका क्या अभिप्राय है ? क्या मैं एक नाटककार की सेवाओं के लिए मांग करूं जो कि अमरीका के सम्बन्ध में अश्लील नाटक लिख सकें।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : इसमें अश्लीलता का कोई प्रश्न नहीं है। प्रश्न यह है कि क्या हमारे देश में भी इसी प्रकार का कोई कानून या नियम या संहिता है ?

श्री मु० क० चागला : जब हम किसी किताब को जब्त या उस पर प्रतिबन्ध लगाते हैं तो वह कानून के अन्तर्गत किया जाता है। उनका अपना कानून है। वह हमारे कानून से भिन्न है। वह इंगलिश कानून पर आधारित है। मैं आपसदारी का अभिप्राय नहीं समझ सका क्योंकि कोई अमरीका के बड़े व्यक्तियों के सम्बन्ध में अश्लील नाटक लिखता है·····**(अन्तर्बाधाएं)**

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मैं यह नहीं समझ सका कि माननीय मंत्री बार-बार अश्लीलता के विषय में क्यों कह रहे हैं। मैंने अश्लीलता के विषय में कुछ भी नहीं कहा है। मैंने स्तर के विषय में कहा था जिसका हम अवलोकन करते हैं। जैसे कोई भी चीज जिसको सरकार यह समझती है कि इसके प्रदर्शन या प्रकाशन से मित्र देशों से सम्बन्ध बिगड़ेंगे, वह इसकी अनुमति नहीं देती। क्या ऐसी कोई चीज अमरीका में भी है। और क्या अमरीकी सरकार ऐसी बातें करने की अनुमति दे देती है जिससे कि मित्र देशों से सम्बन्ध बिगड़ जायें ?·····**(अन्तर्बाधाएं)**

श्री मु० क० चागला : परन्तु, दुर्भाग्यवश अमरीका में ऐसा नहीं है। वहां कानून भिन्न है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि प्रेसीडेन्ट कनेडी, प्रेसीडेन्ट जोन्सन और उनकी पुत्री इत्यादि पर भी अश्लील नाटक लिखे गये हैं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : प्रश्न यह है कि हम एकतरफा क्यों ऐसी बात कर रहे हैं ?

Shri Hardayal Devgun : Mr. Speaker, whether the Minister would tell that the similar attempts of attacking the Indian Society and their religious feelings by the American papers and books have been made continuously and Government have not protested against it. Taking initiative from it, the others would also do the same.

श्री मु० क० चागला : अमरीका समाचार पत्रों में हमारी संस्कृति तथा रीति रिवाजों की प्रसन्नता में लेख छपे हैं । अमरीकी समाचार पत्रों ने कभी-कभी लेखों में हम पर आघात किया है। वहां समाचार पत्रों को स्वतन्त्रता है । जैसे कि हम अपने विदेशी प्रतिनिधियों को जो कि हमारे समाचार-पत्रों में छपे लेखों की ओर ध्यान आकर्षित कराते हैं, जिनमें रूस तथा अमरीका पर आघात किया जा रहा है । वैसी ही हमारे देश में समाचार पत्रों को स्वतंत्रता है । जब तक वह कानून की पकड़ में नहीं आ जाते, हम मजबूर हैं ।

Recruitment to Army

\+

*200. **Shri Bibhuti Mishra :**
Shri K. N. Tiwary :

Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that recruitment to the Army is not made from all the States of India ; and

(b) if so whether any suitable scheme is being prepared by Government in order to give equal opportunities in the matter of recruitment to the persons belonging to all the States ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

Shri Bibhuti Mishra : Can the Hon. Defence Minister give state-wise breake-up of persons each in the Army, Navy and Air Force and is it not a fact that Bihar has got very little representation in the Defence Services although it's population is 5 crores as the persons going there for making recruitment recruit persons in greater number from their state and recruit very few persons from Bihar ?

श्री स्वर्ण सिंह : किसी राज्य की उपेक्षा नहीं की जाती है । राज्यवार कोई सीमा नहीं है । जाति-पांति, धर्म अथवा राज्य के भेदभाव के बिना भर्ती सबके लिये खुली है । यह हो सकता है कि कुछ राज्यों से पर्याप्त लोग भर्ती न हों जितने कि कुछ अन्य राज्यों से ।

Shri Bibhuti Mishra : He has not given state-wise break-up.

श्री स्वर्ण सिंह : यह ब्योरा मेरे पास नहीं है । यदि एक पृथक प्रश्न की सूचना दी जाये, तो मैं उत्तर दे दूंगा ।

Shri Bibhuti Mishra : Is it a fact that there is neither any recruitment centre nor any training school in Bihar although the population of Bihar is 5 crores. Four-five people, who

are recruited from there, are sent to other places for training. Is the Hon. Minister aware that there is large-scale dissatisfaction amongst the people of Bihar for non-representation of persons from their state inspite of the fact that the Armies of Bihar have been famous for their valour from the time of Chandra Gupta ?

श्री स्वर्ण सिंह : अन्य भारतीयों की तरह मैं बिहार के लोगों की बहादुरी की भूरि-भूरि प्रशंसा करता हूँ। मैं समझता हूँ कि इस प्रकार के मामले में प्रादेशिकता का प्रश्न उठाना ठीक नहीं।

Shri Bibhuti Mishra : Mr. Speaker, my question has not been answered. There is no recruiting centre for Air Force in our place. Why do you evade the issue, why don't you answer it ?

श्री स्वर्ण सिंह : विभिन्न प्रतिरक्षा सेवाओं के लिये प्रशिक्षण केन्द्र देश के विभिन्न भागों में स्थित हैं, लेकिन इन केन्द्रों के चयन में प्रादेशिकता को ध्यान में नहीं रखा गया है। यह एक अखिल भारतीय मामला है और प्रशिक्षण केन्द्र के देश के किसी भाग में होने का अर्थ यह नहीं कि किसी अन्य राज्य के लोगों के साथ भेदभाव किया जायेगा।

Shri K. N. Tiwary : The persons of good physique are taken in the Army from N. C. C. and Volunteer Corps. But many states have complained that their men are not recruited in the military. If it is not so, may I know the state-wise number of people recruited belonging to N. C. C. and Volunteer Corps ?

श्री स्वर्ण सिंह : एन० सी० सी० और वालन्टीयर कोर की योजना का मुख्य प्रयोजन विद्यार्थियों तथा अन्य व्यक्तियों में, जो नियमित सेना से सम्बद्ध नहीं हैं, देश की रक्षा के प्रति चेतना उत्पन्न करना है। उनमें से कुछ प्रतिशत व्यक्तियों को जो उपयुक्त पाये जाते हैं, अफसर पदालि में नियमित सेना में ले लिया जाता है। इसमें भी किसी अन्य विंग की तरह राज्य, धर्म, जाति-पांति को ध्यान में नहीं रखा जाता है।

Shri K. N. Tiwary : Will the state-wise figures be laid on the Table of the House ?

अध्यक्ष महोदय : जितनी जानकारी उपलब्ध है, उतना उत्तर उन्होंने दे दिया है।

Shri Ram Sewak Yadav : Has it also been complained that the people of each state are not getting representation in proportion to their population and that such thing exists in the Army as preference to people of certain castes and naming of regiments after certain castes ? If so, will a District be selected as a test case for starting conscription in the Army with a view to end all these things ?

श्री स्वर्ण सिंह : यह सच है कि कुछ यूनिटों के नाम वही चल रहे जो कुछ राज्यों के अथवा कुछ जातियों के थे। इसका एक ऐतिहासिक कारण है—मराठा, राजपूत, डोगरा, सिख आदि। लेकिन वर्तमान स्थिति यह है कि इन यूनिटों में भी भर्ती केवल उन विशेष जातियों अथवा प्रदेशों के लोगों के लिये ही सीमित नहीं है। लेकिन, जैसा मैंने कहा, ऐतिहासिक कारणों से ये नाम चल रहे हैं।

Shri Ram Sewak Yadav : It is against the constitution.

श्री स्वर्ण सिंह : संविधान में ऐसा कुछ नहीं है, जो इसके रास्ते में आता हो ।

Shri Ram Sewak Yadav : Mr. Speaker, his reply is incomplete.....

Shri Madhu Limaye : He had enquired about conscription so that no state may have any ground for complaint. He had asked whether you were going to select a District in each state for conscription ?

श्री स्वर्ण सिंह : जी नहीं, ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है ।

Shri Ram Sewak Yadav : I had also asked the names of the castes, who are given preference in recruitment.

अध्यक्ष महोदय : जब श्री मधु लिमये ने उनका प्रश्न दोहराया था, तो उन्होंने उत्तर दे दिया था ।

Shri Ram Sewak Yadav : He has said about conscription, but said nothing about that.

Shri Chandrika Prasad : Mr. Speaker, my District Balia is a small one, but still our four thousand men are on the active field and Ahirs and Rajputs there have no other occupation except to join the Army. In view of this, will you kindly open a school there for imparting military training to the boys or open a recruiting centre there ?

श्री स्वर्ण सिंह : श्रीमान्, कृपया आप इस बात को समझेंगे कि मैं प्रत्येक जिले के बारे में उत्तर नहीं दे सकता हूँ ।

श्री समर गुह : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि पूर्वी पाकिस्तान से आने वाले कुछ लोग संथाल, गारो, चकमा और नामोशूद्र जातियों के हैं, जो सामरिक शौर्य के लिये विख्यात हैं, क्या भारत सरकार ने इन जातियों के लोगों में से भर्ती करने के लिये, विशेष रूप से पश्चिम बंगाल, आसाम और त्रिपुरा के सीमा सुरक्षा दल के लिये, कोई विशेष प्रयास किया है ?

श्री स्वर्ण सिंह : जैसा मैंने बताया, भर्ती सबके लिये खुली है और इस आधार पर कि किसी जाति विशेष में विशेष रण-कौशल है, उन लोगों को भर्ती करना दूसरी ओर से दिये गये अन्य सुझावों के विपरीत है । इस मामले में भिन्न-भिन्न मत हैं ।

श्री समर गुह : अध्यक्ष महोदय, मैंने विशेष रूप से सीमा का उल्लेख किया है.....।

श्री श्रीचन्द गोयल : श्रीमान्, इस ओर से किसी को नहीं बुलाया गया है.....।

अध्यक्ष महोदय : शांति, शांति । कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइये । जैसा कि कुछ दिन पहले सुझाव दिया गया था, मैं पहले एक ओर से एक माननीय सदस्य को और फिर दूसरी ओर से एक माननीय सदस्य को पुकार रहा हूँ । इस मामले में आप कोई भी टिप्पणी करें, कोई लाभ नहीं होगा । वे भी आप की तरह चुनकर आये हैं । यदि इस ओर के माननीय सदस्य यह समझें कि मुझे केवल उन्हें ही पुकारना है, तो वे गलती पर हैं । दुर्भाग्य की बात है कि जब मैं इस पंक्ति में इस ओर बैठे किसी माननीय सदस्य को पुकारता हूँ, तो बीच की पंक्ति में बैठे माननीय सदस्य

समझते हैं कि उन्हें नहीं पुकारा जा रहा है। मैं दोनों पक्षों के साथ निष्पक्षता से व्यवहार करूंगा।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya: From that side Government reply. As such we on the opposition side should get more opportunity.

Mr. Speaker: Hon. Member may kindly resume his seat.

श्री समर गुह : मैंने विशेष रूप से सीमा सुरक्षा दल के बारे में कहा है। पश्चिम बंगाल, आसाम और त्रिपुरा की समस्यायें कठिनाई पैदा कर रही हैं। पूर्वी बंगाल से आने वाले शरणार्थी, विशेष रूप से लड़ाकू जातियों के जिनका मैंने अभी उल्लेख किया, सीमा स्थिति को अच्छी तरह जानते हैं। वे सीमा की रक्षा अच्छी तरह कर सकते हैं। इस विशेष कारण से मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या प्रतिरक्षा मंत्री ने इस समस्या पर विशेष ध्यान दिया है कि यदि इन जातियों के लोगों को भर्ती किया जायेगा, तो वे सीमा सुरक्षा के इस समस्या पर विशेष ध्यान देंगे।

श्री स्वर्ण सिंह : सीमा सुरक्षा दल गृह मंत्रालय के अधीन है। मैं यह सूचना माननीय गृह मंत्री को दे दूंगा।

श्री कृष्ण कुमार चटर्जी : क्या माननीय मंत्री को मालूम है कि तत्कालीन मुख्य मंत्री डा० बी० सी० राय के समय पश्चिम बंगाल ने पश्चिम बंगाल के सामरिक परम्पराओं वाले लोगों की ही एक सैनिक टुकड़ी बनाने की योजना तैयार की थी।

Shri Onkar Lal Berwa: Is it a fact that first preference is given to English-knowing persons and Hindi-knowing people do not get due status and is it due to this reason that many youngmen with special Hindi qualifications, such as Sahitya Ratna etc., are not selected?

श्री स्वर्ण सिंह : यह सच है कि अफसरों के लिये अंग्रेजी का ज्ञान आवश्यक है। यह वर्तमान प्रणाली है। इसको बदलने में कुछ समय लगेगा।

श्रीमती लक्ष्मीकान्तम्मा : क्या सरकार सेना में महिलायें भर्ती करने के प्रस्ताव पर विचार करेगी ?

श्री स्वर्ण सिंह : माननीय सदस्य को मैं यह बताना चाहता हूँ कि चिकित्सा और नर्सिंग सेवाओं में कमीशन प्राप्त महिलायें रही हैं।

श्री वासुदेवन नायर : क्या पिछले कुछ समय से उच्च अधिकारियों और राजनीतिक नेताओं में अलिखित रूप में यह समझौता है कि कुछ राज्यों से, जहां सत्तारूढ़ दल कमजोर है और गैर-कांग्रेसी दल अधिक शक्तिशाली हैं, अधिक लोगों को भर्ती न किया जाये ?

श्री स्वर्ण सिंह : ऐसा कोई समझौता नहीं है।

श्री बलराज मधोक : इस बात को ध्यान में रखते हुये कि हमारी उत्तरी सीमा पर हमले की स्थिति है, और वहां हमें उस क्षेत्र की जलवायु तथा भौगोलिक स्थिति के अभ्यस्त व्यक्तियों

की अपेक्षा है, मैं जानना चाहता हूँ कि क्या हिमालय प्रदेश से लोगों को भर्ती करने तथा एक हिमालय सेना बनाने के लिये विशेष कदम उठाये जा रहे हैं ताकि हम उस ओर से चुनौती का सामना कर सकें ?

श्री स्वर्ण सिंह : वर्तमान प्रणाली अपने देश के विभिन्न भागों से भर्ती किये गये लोगों को विभिन्न प्रकार की जलवायु का अभ्यस्त बनाने की है और यह प्रयोग अत्यन्त सफल रहा है। केवल पहाड़ी क्षेत्रों से भर्ती करके पहाड़ी क्षेत्रों में लड़ने के लिये एक सेना गठित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह हमारी नीति नहीं है।

Shri Tulsidas Jadhav : Are Government aware of the fact that the recruiting centres set up at different places recruit only the local people and people belonging to other districts are not recruited ?

श्री स्वर्ण सिंह : यह सही नहीं है। मैं नहीं समझता कि किसी स्थान पर स्थित कोई केन्द्र केवल उसी जिले अथवा क्षेत्र के लोगों को भर्ती करेगा। देश के किसी भी भाग के किसी भी व्यक्ति का उस केन्द्र से भर्ती होने का स्वागत किया जायेगा।

श्री ज्योतिर्मय बसु : भर्ती केन्द्र किस आधार पर स्थापित किये जाते हैं ? क्या वे जनसंख्या अथवा क्षेत्र के अथवा किसी अन्य आधार पर स्थापित किये जाते हैं ?

श्री स्वर्ण सिंह : वे जनसंख्या के आधार पर नहीं होते; वे सामान्यतः उन भागों में भर्ती होने वाले लोगों की संख्या पर आधारित होते हैं।

श्री आर० के० सिन्हा : पिछले वर्ष हरियाना के कुछ हरिजन दिल्ली आये थे और विरोध प्रकट किया था कि सेना में भर्ती के मामले में हरिजनों के साथ भेदभाव किया जाता है। उत्तर प्रदेश में भी हरिजनों और पिछड़ी जातियों के लोगों से कहा जाता है कि वे लड़ाकू जातियों के नहीं हैं। मंत्री जी ने कहा कि हमारे संविधान की पावनता को ध्यान में रखते हुए सेना में जाति, पांति अथवा राज्य का भेदभाव किये बिना लोगों को भर्ती किया जायेगा। क्या किसी क्षेत्र के हरिजनों अथवा पिछड़ी जातियों के लोगों के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जायेगा ?

श्री स्वर्ण सिंह : हरिजनों अथवा पिछड़े क्षेत्रों के लोगों के साथ कोई भेद-भाव नहीं किया जायेगा। मैं कह चुका हूँ कि यह हमारी नीति है और रहेगी।

श्री स्वैल : क्या यह सच है कि कोई राय व्यक्त की गई है कि देश के अन्य भागों से लिये गये सैनिकों को जलवायु का आदी बनाने के बावजूद भी भारतीय सैनिकों के साथ मुठभेड़ों में गुरिल्ला सैनिकों के रूप में नागा तथा अन्य आदिम जातियों के लोगों ने अधिक अच्छी टक्कर ली और इसका कारण यह है कि वे उस क्षेत्र के आदी हैं। यदि यह सच है तो मैं जानना चाहता हूँ कि जलवायु का आदी बनाने की इस प्रणाली का तथा हिमालय क्षेत्र के लोगों की विशेष भर्ती करने का क्या लाभ है ?

श्री स्वर्ण सिंह : सेना के सभी सदस्य, जिनमें नागा भी शामिल हैं, बहादुर हैं और कठिनाइयों का सामना कर सकते हैं। मुझे सेना के एक भाग की दूसरे भाग के शौर्य और बहादुरी की तुलना करने की दुष्कर स्थिति में नहीं डालना चाहिए। देश के विभिन्न भागों से भर्ती करने का स्पष्ट लाभ सेना का आधार यथासंभव विस्तृत करना तथा हमारे इस महान देश के सभी नागरिकों को सेवा और त्याग के ये अवसर प्रदान करना है।

श्री मनुभाई पटेल : कच्छ सीमा पर पाकिस्तानी हमले के समय एस० आर० पी० के बहुत से कर्मचारी बहुत बहादुरी से लड़े थे और गुजरात की जनता ने एक गुजरात बटालियन पेश की थी। क्या गुजरात बटालियन बनाने का ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ?

श्री स्वर्ण सिंह : मैं जानता हूँ कि विशेष सशस्त्र पुलिस के लोगों ने बहुत अच्छा मुकाबला किया। उन्होंने जो बहादुरी दिखाई, हम उसकी बहुत सराहना करते हैं। माननीय सदस्य ने जिस पेशकश का उल्लेख किया, मुझे उसकी जानकारी नहीं है। यदि वे और अधिक जानकारी दें, तो मैं पता करके उन्हें बताऊँगा।

श्री जी० विश्वानाथन : क्या यह सच है कि अहिन्दी-भाषी क्षेत्रों से भर्ती किये गये सैनिकों की उनका हिन्दी का ज्ञान कम होने के कारण पदोन्नति नहीं की जा रही है ?

श्री स्वर्ण सिंह : जी, नहीं; यह सही नहीं है।

श्री हेम बरुआ : क्या यह सच नहीं है कि सेना में अफसर पदालि में गोराशाही ढंग से अंग्रेजी बोलने वाले लोगों को प्राथमिकता दी जाती है और भारतीय ढंग से अंग्रेजी बोलने वाले लोगों को कूड़े के ढेर की तरह फेंक दिया जाता है ?

श्री चेंगलराया नायडू : क्या माननीय मंत्री आदेश जारी करेंगे कि इस देश के प्रति निष्ठा रखने वाले लोगों को ही भर्ती किया जाये ?

श्री स्वर्ण सिंह : प्रत्येक व्यक्ति, जो अपनी सेवायें पेश करता है, हमारे देश का एक अच्छा और निष्ठावान नागरिक है। जिस अनुशासन से होकर उसे गुजरना पड़ता है, उससे उसमें बहादुरी और देश के प्रति भक्ति की दृष्टि से उत्तमता निखर उठती है।

अमरीका से डा० धर्म तेजा का प्रत्यर्पण

+

*201 **श्री यशपाल सिंह :** **श्री बाबूराव पटेल :**

श्री राम किशन गुप्त : **श्री इन्द्रजीत गुप्त :**

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि डा० धर्म तेजा तथा उनकी पत्नी को अमरीका में गिरफ्तार कर लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उन्हें भारत कब लाया जायेगा तथा इस दिशा में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) जी हां ।

(ख) प्रत्यर्पण की कार्यवाही पहले ही शुरू की जा चुकी है ।

Shri Yashpal Singh : How long will the U. S. Government bear the expenses on our culprit? Is it not advisable for our Government to bring Dr. Dharam Teja to India and launch prosecution against him here?

श्री मु० क० चागला : प्रत्यर्पण कार्यवाही का उद्देश्य ही यही है और 8 जून की तारीख निश्चित की गई है । मुकदमा दायर कर दिया गया है, गवाहों की जांच की जा रही है और जैसे ही यह सब पूरा हो जायेगा इसे अमरीका को सौंप दिया जायेगा और यदि हम उसका प्रत्यर्पण प्राप्त करने में सफल हुये तो उसे यहां पर लाया जायेगा और उसपर मुकदमा चलाया जायेगा ।

Shri Yashpal Singh : Has some counsel from India gone there to help in the extradition proceedings?

श्री मु० क० चागला : हमने यहां से कोई कौंसल नहीं भेजा । परन्तु हमने अमरीका में एक कौंसल नियुक्त किया है जो इस कार्रवाई में मदद कर रहा है ।

Shri Ram Kishan Gupta : Is there some proposal to send a counsel from here?

श्री मु० क० चागला : इसपर विचार किया जा रहा है ।

श्री बाबूराव पटेल : डा० धर्म तेजा ने मिक कोट में लिपटे 4 करोड़ रुपये इस गरीब देश से निकाल कर बड़ा भारी कारनामा किया है । इसलिये उसे भारत रत्न की उपाधि क्यों नहीं दी जा रही है जबकि इससे कम महत्व के कारनामें दिखाने वालों को भूतकाल में यह उपाधि दी जा चुकी है ?

Shri Shashi Bhushan Vajpayee : Mr. Speaker, the Hon. Member should withdraw these words.

श्री इन्द्रजीत गुप्त : कुछ समय पहले जब डा० तेजा दक्षिण फ्रांस में रह रहे थे हमें गत सत्र में बताया गया था कि फ्रांस के प्रत्यर्पण कानूनों के अन्तर्गत हमारे लिये कोई प्रत्यर्पण कार्यवाही आरम्भ करना तथा उसे भारत में लाना संभव नहीं था । इसलिये मैं जानना चाहता हूं कि क्या फ्रांस के प्रत्यर्पण कानून की तरह अमरीका के प्रत्यर्पण कानून के अन्तर्गत भी कोई ऐसी त्रुटि है जिसके कारण उसे यहां लाने में बाधा उत्पन्न हो सकती है ?

श्री मु० क० चागला : मैं सभा को यह आश्वासन दे सकता हूं कि डा० तेजा को यहां पर लाने तथा उसे न्यायालय में पेश करने के लिये बिना विलम्ब हर संभव कार्यवाही की जा रही है । वास्तव में, डा० तेजा रिहायशी हैसियत की बजाय नागरिकता प्राप्त करना चाहते थे । हमने इसका विरोध किया था; हम उससे संतुष्ट नहीं हुये । यदि हमने वैसा किया होता, तो उसे

निष्कासित किया जा सकता था और वह अपना देश चुन सकता था और वह किसी भी देश को जा सकता था। हमने कहा, "नहीं, मुकदमा चलाने के लिये हम इस व्यक्ति को अपने देश में लाना चाहते हैं" इसलिये हमने प्रत्यर्पण कार्यवाही आरम्भ की है। हमने जो कुछ किया है उसे मैं नहीं बताना चाहता। वह कानून के पंजे से बच न सके, इसके लिये हमने हर संभव कार्यवाही की है।

Shri Madhu Limaye: When Dr. Dharam Teja came to India in May last, the Enforcement Directorate of the Ministry of Finance had suggested that he should be arrested under the Foreign Exchange Regulation Act or his passport may be forfeited. At first, it was denied but later on truth came out that the Central Bureau of Investigation of the Home Ministry opined that sufficient proof was not available and he should not be arrested. Government had all proof with them. I want to know whether any inquiry was held in regard to the Department of the Home Ministry which was responsible for this lapse and whether the concerned officers were brought to book?

श्री मु० क० चागला : मेरी राय में यह इस प्रश्न से उत्पन्न नहीं होता। मेरा सम्बन्ध केवल अमरीका में प्रत्यर्पण कार्यवाही के प्रश्न से है और मेरा उत्तर यह है कि हम हर संभव कार्यवाही.....

Shri Madhu Limaye: If the Home Ministry would not have indulged in this 'badmashi' (mischief), there was no need for the extradition proceedings.

Some Hon. Members: He should withdraw the word 'badmashi'.

Shri Madhu Limaye: I have not addressed this to any particular individual. I shall not withdraw it.

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : 'बदमाशी' शब्द बहुत ही आपत्तिजनक है। माननीय सदस्य को इसे वापस लेने के लिये कहा जाये या इसे कार्यवाही से निकाल दिया जाये।

अध्यक्ष महोदय : 'बदमाशी' शब्द विभाग के कार्य के बारे में कहा गया है किसी व्यक्ति के बारे में नहीं।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : ऐसे शब्द के प्रयोग को असंसदीय घोषित कर दिया जाना चाहिये।

Shri Kanwar Lal Gupta: Shri Madhu Limaye has asked a question and you have allowed that question. Still the Hon. Minister says that it does not arise from this question. The Hon. Minister's statement is wrong. He should answer it. If he does not answer it, you should protect the rights of the Hon. Members and ask him to answer it.

Shri Madhu Limaye: The Hon. Minister can refuse to answer a question which has been allowed by you on three grounds. One is: it is not in public interest to answer it. Does the Hon. Minister say that whether the Home Ministry has taken action against the concerned officers or not is not in the public interest to disclose? The second reason he can adduce is that he has no information available with him. The third reason can be that the collection of the required information will not be commensurate with the time and labour involved in collecting it. These are the only three reasons on which a Minister can refuse to answer a question. Ministers cannot misuse their rights. He must answer my question.

डा० कर्णी सिंह : एक व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय सदस्य ने, जो प्रति पक्षी दल के महत्वपूर्ण सदस्य हैं, 'बदमाशी' शब्द का प्रयोग किया है। मैं इस प्रश्न की बारीकियों में नहीं जाना चाहता। क्या हम लोगों द्वारा ऐसे शब्द का प्रयोग किया जाना इस संसद को शोभा देता है ?

Shri Madhu Limaye: Shri Manubhai Shah used this word in the last session. He used the word mischief which is the English substitute for this Hindi word.

अध्यक्ष महोदय : व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है। मंत्री महोदय इस प्रश्न का उत्तर दें।

श्री मु० क० चागला : माननीय सदस्य, श्री लिमये, संसदीय प्रक्रिया के माहिर हैं। उन्होंने इसका गहन अध्ययन किया है। उन्होंने कहा है कि मंत्रीगण तीन कारणों से प्रश्न का उत्तर देने से इन्कार कर सकते हैं। क्या मैं आदाब के साथ यह सुझाव दे सकता हूं कि एक चौथा कारण भी हो सकता है और वह है प्रश्न के संगत होने का कारण ? यदि मुझसे चीन के बारे में प्रश्न पूछा जाये और अनुपूरक प्रश्न पेरू से सम्बन्धित हो तो मैं निश्चय ही यह कह सकता हूं कि यह इस प्रश्न से उत्पन्न नहीं होता , ।

प्रत्यर्पण सम्बन्धी कार्यवाही के बारे में मैंने पूरा उत्तर दे दिया है। मेरे माननीय मित्र ने पूछा है कि क्या पहले जो कुछ हुआ उसके बारे में गृह मंत्रालय ने कुछ व्यक्तियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की है और क्या कुछ और कार्यवाही की गई है, और मेरा उत्तर है कि यह इस प्रश्न से उत्पन्न नहीं होता। ऐसा कहने का मेरा हक है। प्रतिदिन ऐसा होता है। यदि आप इस प्रश्न के संगत होने के बारे में फैसला दे दें, तो·····

अध्यक्ष महोदय : परिवहन मंत्रालय को इसका उत्तर देना चाहिए। यह पृथक प्रश्न है। वैदेशिक-कार्य मंत्री को इसका उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : माननीय मंत्री ने अभी कहा है कि उन्होंने इसका विरोध किया है कि डा० तेजा को अमरीका में नागरिकता प्रदान की जाये। क्या यह सच है कि उसका आवेदनपत्र अभी भी अमरीकी विदेश विभाग के समक्ष विचाराधीन है और क्या सरकार ने पता लगाया है कि उसे मंजूर नहीं किया गया है ? यदि नहीं, तो सरकार इस मामले में क्या करने जा रही है ?

श्री मु० क० चागला : यह मामला विचाराधीन है, और इसकी तारीख 8 जून, 1967 के लिये निर्धारित की गई है। हमारा उद्देश्य यह है कि सभी आवश्यक कागज भेज दें और 8 जून से पहले प्रत्यर्पण सम्बन्धी कार्यवाही आरम्भ कर दें। यदि अमरीकी सरकार इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि उसने ऐसा अपराध किया है जिसके लिए उसका प्रत्यर्पण हो सकता है, तब उसको लाने सम्बन्धी कार्यवाही स्वतः ही लागू हो जायेगी।

अध्यक्ष महोदय : श्री वी० कृष्णमूर्ति।

Shri D. N. Tiwary: Four questions have been asked from the other side. We have not got even a single opportunity.

अध्यक्ष महोदय : क्या श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा कांग्रेस में नहीं हैं ?

श्री द्वा० ना० तिवारी : उस ओर से तीन प्रश्न पूछे गये हैं और हमारी ओर से केवल एक ही प्रश्न की अनुमति दी गई है ।

अध्यक्ष महोदय : सभा में व्यवस्था बनाये रखने के लिये इस तरह की बातों से कोई फायदा होने वाला नहीं है ।

श्री द्वा० ना० तिवारी : आपको एक प्रश्न की उस ओर से और एक की हमारी ओर से अनुमति देनी चाहिए ।

अध्यक्ष महोदय : मैं ठीक यही बात कह रहा था । श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा कांग्रेस सदस्या हैं और वे प्रश्न पूछ चुकी हैं । अत: इस प्रकार की आपत्ति मेरी समझ में नहीं आई है । मुझे वास्तव में बड़ा दुख तथा हैरानी है ।

Shri Madhu Limaye : They are anticipating. They think that she does not belong to the Congress.

श्री वी० कृष्णमूर्ति : मेरी जानकारी के अनुसार डा० तेजा को बहुत थोड़ी सी जमानत पर रिहा कर दिया गया है । उसने भारत की शै अथवा सहायता से 4 करोड़ रुपये से अधिक राशि का गबन किया है । क्या अमरीका का विदेश विभाग अमरीका में डा० तेजा की गतिविधियों पर निगाह रख रहा है अथवा क्या वे उसे किसी अन्य देश में जाने की अनुमति दे देंगे ताकि वह यहां पर होने वाली कार्यवाही से बच सके ।

श्री मु० क० चागला : पहले पहल जमानत नामंजूर कर दी गई थी । उसने अपील की और उसकी अपील मंजूर हुई । हम अमरीकी अधिकारियों के काम में हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं । परन्तु उन्हें यह सूचना दे दी गई है कि डा० तेजा के विरुद्ध इस देश में गम्भीर आरोप हैं ।

श्री वी० कृष्णमूर्ति : उन्होंने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है । क्या भारत सरकार को अमरीका में डा० तेजा की गतिविधियों के बारे में ज्ञान है ? मैं अमरीकी सरकार द्वारा उसकी जमानत पर रिहाई की वैधता को चुनौती नहीं दे रहा हूं ।

श्री मु० क० चागला : जी, हां । हमारी वजह से ही उसका अमरीका में होने का पता लगा और हम उसकी गतिविधियों पर नजर रख रहे हैं और इस बारे में प्रत्येक सावधानी बरत रहे हैं कि वह भाग न निकले ।

श्री पें० वेंकटासुब्बया : क्या स्वयं डा० धर्म तेजा द्वारा अथवा उसके रिश्तेदारों अथवा अन्य व्यक्तियों के माध्यम से उसके द्वारा अर्जित की गई सम्पत्तियों की इस देश में कोई सूची तैयार की गई है और यदि हां, तो मामला इस समय किस अवस्था में है ?

श्री मु० क० चागला : मैं इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या सरकार ने पूरी छानबीन तथा उसकी गतिविधियों पर नजर

रखने के लिए इस मामले को अन्तर्राष्ट्रीय पुलिस (इंटरपोल) को सौंपने के प्रश्न पर कभी विचार किया था ?

श्री मु० क० चागला 'इंटरपोल' का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता, क्योंकि जैसा मैंने कहा भारत में एक मजिस्ट्रेट की अदालत में मुकदमा चलाया गया है। गवाही ली जा रही है। हम उसको यहां लाने की कोशिश करेंगे और उसपर यहां मुकदमा चलेगा। 'इंटरपोल' तो किसी व्यक्ति का अता-पता लगाने में सहायता कर सकती है। हमें पता है कि वह अमरीका में कहां है और सामान्य कानूनी कार्यवाही की जा रही है।

श्री शिवाजीराव शं० देशमुख : क्या धर्म तेजा की तथा-कथित गिरफ्तारी तथा जमानत पर रिहाई अमरीका के नागरिक नियमों के अन्तर्गत की गई थी ? अमरीका के साथ प्रत्यर्पण सम्बन्धी करार के बारे में वस्तु स्थिति क्या है ? क्या प्रत्यर्पण कार्रवाही शुरू होने से स्थानीय अधिकारियों को उसे पुनः हिरासत में लेना पड़ेगा ?

श्री मु० क० चागला : ब्रिटेन की तरह अमरीका तथा हमारे बीच कोई प्रत्यर्पण करार नहीं है। परन्तु यदि हम सम्बन्धित अधिकारी की तसल्ली कर दें कि उस व्यक्ति ने जो अपराध किया है वह ऐसा है जिसे अमरीकी कानून भी गम्भीर समझ सकता है, अर्थात हम उनकी तसल्ली कर दें कि उसने लाखों रुपये की जालसाजी की है, तो अमरीकी कानून प्रत्यर्पण संबंधी कार्यवाही आरम्भ करने की अनुमति देता है। उस हालत में प्रत्यर्पण की बिना किसी आपत्ति के इजाजत मिल जायगी।

श्री हेम बरुआ : इस देश में तथा अमरीका में बड़े जोर शोर से यह कहा जा रहा है कि डा० धर्म तेजा अमरीका से चल निकले हैं और वह इस देश में कहीं पर छिपे हुए हैं। मुझे ऐसा इस देश के किसी बहुत अधिक प्रभावशाली व्यक्ति ने बताया है.....

श्री मु० क० चागला : यदि ऐसी बात है तो हमें बड़ी प्रसन्नता होगी। हमारी बहुत सी मुसीबत बच जायेगी।

श्री दी० चं० शर्मा : मैं इस बात को माने लेता हूं कि डा० तेजा को यहां पर लाया जायेगा और उस पर यहां न्यायालय में मुकदमा भी चलाया जायेगा। मैं यह भी मानता हूँ कि उसे सजा दी जायेगी। परन्तु क्या सरकार उससे तथा उसकी पत्नी से 4 करोड़ रुपये की राशि वसूल कर सकेगी ?

श्री मु० क० चागला : मेरे लिये यह कहना बहुत कठिन है कि हम इस राशि को उनसे वसूल कर सकते हैं अथवा नहीं। किन्तु कानून के अनुसार जितनी राशि वसूल की जा सकती है, उसे वसूल करने का हम प्रयत्न करेंगे। उनसे वसूल की जाने योग्य राशि की वसूली तभी हो सकती है जब कि उनके पास उसके भुगतान करने के साधन हों।

Shri Abdul Gani : May I know whether the Government think that some officials of the Ministries of External Affairs and Home Affairs had a helping hand in the serious offence

committed by Dr. Teja, against whom the Government propose to institute legal proceedings and with this view they have initiated extradition proceedings in U. S. A.; and if so, whether any action has been taken or being taken against those officials, and if so, the nature thereof?

श्री मु० क० चागला : यह एक आधारहीन आरोप है। वैदेशिक-कार्य मंत्रालय के अधिकारियों को डा० तेजा के मामले से कोई मतलब ही नहीं है, सिवाय इसके कि वे प्रत्यर्पण सम्बन्धी कार्यवाहियों की पहल करके सम्बन्धित मंत्रालय की सहायता कर रहे हैं। उनके (डा०तेजा) सौदों अथवा कार्य या गतिविधियों से वैदेशिक-कार्य मंत्रालय का कोई सम्बन्ध नहीं है।

Shri Mrityunjay Prasad: It was stated earlier that the Government money would be recovered from his shares. But it is not clear as to how he got all these shares. Moreover, we do not have any account of his cash-shares and the other shares given to him as promoter's shares. In case the promoter's shares outnumbered the cash-shares, then it is merely a adjustment on the papers and money cannot be recovered in that case. Secondly if he purchased these shares worth laks of rupees in cash, then the question arises whether his financial position allowed him to do so; and if not, how he managed to get all this money. I want to know whether any investigation has been made in this matter.

श्री मु० क० चागला : ये सभी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हैं, किन्तु माननीय सदस्य महसूस करेंगे कि वैदेशिक-कार्य मंत्रालय इन प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सकता। यदि सम्बन्धित मंत्रालय से ये प्रश्न पूछे जायें, तो वे संभवत: इनका उत्तर दे सकेंगे।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya: I want to know the details of the property owned by Dr. Teja in U. S. A. and also in this country; and whether the Government propose to confiscate all this property? I want to know the amount of expenditure incurred on this case so far and also the total amount likely to be spent on it.

अध्यक्ष महोदय : वैदेशिक-कार्य मंत्रालय केवल प्रत्यर्पण सम्बन्धी कार्यवाहियों के बारे में उत्तर दे सकता है, न कि इस मामले के सभी पहलुओं पर, परिवहन मंत्रालय से सम्बन्धित प्रश्नों के उत्तर वह नहीं दे सकते।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya: Sir, my question is very simple. I want to know whether the Government propose to confiscate his property.

Mr. Speaker: Next question—Shri C. C. Desai.

भारतीय राज्य क्षेत्र पर पाकिस्तान का दावा

*202. **श्री सी० सी० देसाई** :
श्री रा० बरुआ :

(क) क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

क्या यह सच है कि पाकिस्तान ने त्रिपुरा-पूर्वी पाकिस्तान सीमा पर वेलोनिया में मुहुरी नदी के कुछ भारतीय राज्य क्षेत्र पर अपना दावा किया है;

(ख) यदि हां, तो पाकिस्तान ने इस भारतीय राज्य क्षेत्र पर अपने दावे के क्या कारण बताये हैं; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) और (ख) . जी हां । पाकिस्तान सीमा से हमारी ओर के इलाके में एक छोटी-सी चरभूमि (चरलैंड) पर पाकिस्तान ने दावा किया है जो कि बेलोनिया के पास मुहुरी नदी के बाएं किनारे पर नदी का प्रवाह बदल जाने के कारण निकल आई है। पाकिस्तान का दावा है कि यह चरभूमि सदा ही पाकिस्तानी राष्ट्रिकों के कब्जे में रही है और पाक प्रदेश में पड़ती है।

(ग) भारत सरकार पाकिस्तान के दावे को निराधार समझती है क्योंकि यह चरभूमि भारतीय राष्ट्रिकों की है जो वर्षों से इसमें खेती कर रहे हैं और यह भारत में ही है। पाकिस्तान सरकार को हमारे मत की सूचना दे दी गई है कि वह अपने दावे के समर्थन में प्रमाण दे।

श्री सी० सी० देसाई : पाकिस्तान ने कितने राज्यक्षेत्र पर दावा किया है और इससे उन्हें क्या लाभ पहुंचेगा ? क्या कच्छ-क्षेत्र की भांति यह तेल वाली जगह है, या सिर्फ खेती वाली भूमि है अथवा यह टुकड़ा सामरिक या सैनिक महत्व की दृष्टि से महत्वपूर्ण है ?

श्री मु० क० चागला : यह एक बहुत छोटा इलाका है। सामरिक अथवा सैनिक महत्व की दृष्टि से इसका कुछ भी महत्व नहीं है; किन्तु यह क्षेत्र हमारे देश का एक अंग है और अपने राज्यक्षेत्र पर अपना दावा करना आवश्यक है।

श्री सी० सी० देसाई : क्या सरकार कच्छ न्यायाधिकरण मामले से सबक लेगी और यह तो नहीं कहेगी कि यह क्षेत्र विवादग्रस्त है क्योंकि अन्तर्राष्ट्रीय मध्यस्थता में विशुद्ध न्याय तथा औचित्य की कोई बात नहीं होती, वहां तो दो संभाव्य दावेदारों के बीच समझौते के आधार पर हर चीज का निर्णय किया जाता है।

श्री मु० क० चागला : हम नहीं कहते कि यह विवादग्रस्त क्षेत्र है, हम कहते हैं यह हमारा राज्यक्षेत्र है।

श्री सी० सी० देसाई : हमने कच्छ के मामले में ऐसा ही कहा था, उसके बावजूद हम कच्छ न्यायाधिकरण में गये।

श्री रा० बरुआ : क्या इस क्षेत्र का परिसीमन किया गया था और पाकिस्तान के इस दावे के पहले वहां परिसीमन चौकियां अथवा निशान बने हुये थे ?

श्री मु० क० चागला : सीमा के इस भाग का परिसीमन नहीं किया गया था। त्रिपुरा-कोमिल्ला, नोआखाली के अधिकतर क्षेत्र का परिसीमन किया गया है किन्तु 22 मील सीमा अब भी बिना परिसीमन के है। जहां तक मुझे जानकारी है यह क्षेत्र उसी भाग में है जिसका परिसीमन अब तक नहीं हुआ है।

श्री बलराज मधोक : इस बात को ध्यान में रखते हुये कि पाकिस्तान ने आये दिन हमारे राज्यक्षेत्र पर दावा करने, फिर उसे विवादग्रस्त घोषित करवाने और उसके बाद हम से कुछ न कुछ ले लेने की प्रथा अपना ली है, क्या यह सच है कि करीमगंज के दस थाने, जो रैडक्लिफ पंचाट में हमें मिले थे, अब भी पाकिस्तान के कब्जे में हैं ? चूंकि ये थाने हमारे राज्यक्षेत्र में हैं, क्या इनके सम्बन्ध में हमने पाकिस्तान से कोई दावा किया है, यदि नहीं, तो क्यों, और यदि हां, तो उन्हें वापस लेने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री मु० क० चागला : मुझे इसके लिये नोटिस की जरूरत है या फिर यदि माननीय सदस्य मुझे लिखें, तो मैं इस बारे में ब्योरा मालूम करूंगा ।

Shri Kanwar Lal Gupta: May I know whether the Hon. Minister can assure the House that so far as this part of our territory is concerned, no agreement will be entered into as has been done in the case of Kutch and we shall retaliate very strongly if Pakistan resorts to actions other than written protests ?

श्री मु० क० चागला : सभा को अत्यधिक निष्ठा के साथ जो आश्वासन मैं दे सकता हूं वह यह है कि ऐसा कोई भी समझौता अथवा कार्यवाही नहीं की जायेगी जो कि देश के हित में न हो ।

Dr. Ram Manohar Lohia : I raise a point of order. The Hon. Minister has given the only assurance that nothing will be done which is not in the interest of the country. This assurance has no significance. He must assure the House, as it is very important point that not an inch of land of India will be given without the consent of the Lok Sabha.

श्री मु० क० चागला : हम निश्चित रूप से अपने देश की एक इंच भूमि किसी को भी, चाहे वह पाकिस्तान हो, चीन हो अथवा अन्य कोई और देने के लिये तैयार नहीं हैं ।

Dr. Ram Manohar Lohia: Not without the consent of the Lok Sabha.

अध्यक्ष महोदय : एक अनुपूरक प्रश्न के सिलसिले में हम इस समय इन सभी बातों पर विचार-विमर्श नहीं कर सकते ।

श्री० समर गुह : मुझे बेलोनिया के इस मुहुरी क्षेत्र में खुद जाने का अवसर मिला था । यद्यपि भारत इस राज्य-क्षेत्र पर अपना दावा करता है— यह काफी विस्तृत तो नहीं किन्तु बड़ा क्षेत्र जरूर है— कि यह भारत का एक अंग है तथापि इस भू-भाग की इस तरह उपेक्षा की गई है जैसे कि इसका कोई मालिक ही नहीं है और हमारे सुरक्षा सैनिक इस राज्य-क्षेत्र से तीन-चार फर्लांग पीछे तैनात हैं, ऐसा क्यों है ? दूसरी बात यह कि पूर्व बंगाल और पश्चिम बंगाल तथा त्रिपुरा के बीच रैडक्लिफ के अनुसार जो परिसीमन रेखा खींची गई है, उसमें दर्जनों इलाके ऐसे हैं जिनके बारे में अभी तक विवाद चल रहा है, विशेषकर कूच बिहार और पश्चिम दिनाजपुर की सीमा पर लगे हुये छोटे-छोटे दर्जनों स्थान ऐसे हैं, जिनके बारे में यह दावा किया जाता है कि वे भारतीय राज्य-क्षेत्र हैं.....

अध्यक्ष महोदय : आप तो समूचे मामले का ब्योरा देने लग गये हैं। यह प्रश्न काल है और यदि आप इस मामले के समूचे इतिहास का बखान करने लगें, तो हम आपको इसकी अनुमति नहीं दे सकते क्योंकि इससे अन्य सदस्यों को अवसर नहीं मिलता।

श्री मु० क० चागला : मैं कुछ विशिष्ट राज्य-क्षेत्र के बारे में उत्तर दे रहा था। यदि किन्हीं अन्य राज्य-क्षेत्रों के सम्बन्ध में कोई प्रश्न पूछा जाता है, तो मैं सहर्ष उसका उत्तर दूंगा यदि उसे एक अलग प्रश्न रखा जाये, पाकिस्तान ने हमारे राज्य-क्षेत्र के विभिन्न भागों के सम्बन्ध में दावे किये हैं और हमने उन्हें मानने से इन्कार किया है। हमने यह कहा है कि वे हमारे राज्य-क्षेत्र हैं और जैसा कि मैंने कहा है हम अपने देश की एक इंच भूमि किसी भी अन्य देश को नहीं देंगे।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न-काल समाप्त हो गया है। श्री यशपाल सिंह।

Shri Tulsidas Jadhav : On a point of order. The Hon. Member Shri Madhu Limaye just now used the word "Badmash" in the House.....

अध्यक्ष महोदय : वह तो काफी देर पहले की बात है।

श्री तुलसी दास जाधव : मेरी बात सुन तो लीजिये। मैं आपके निदेशों का पालन करूंगा।

अध्यक्ष महोदय : मैंने उस पर अपना विनिर्णय दे दिया है, मैं इसे अब और सुनने के लिये तैयार नहीं हूं। आप बैठ जाइये।

Shri Tulsidas Jadav : Please listen to me and let me explain.....

अध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : Sir, I request you to ask him to leave the House.

अध्यक्ष महोदय : आप भी बैठिये। यह बात आप पर भी लागू होती है, मैंने अपना विनिर्णय दे दिया है, यदि वह ठीक नहीं है, तो आप मेरे कक्ष में आकर मुझे बताइये, यह आपका अधिकार है; मैं सुनने के लिये तैयार हूं। **(अन्तर्बाधायें)**..... आप कृपा करके बैठ जायें।

श्री तुलसी दास जाधव : मैं आपको नियम दिखाऊंगा।

अध्यक्ष महोदय : नियम हैं, मैं जानता हूं। यदि मुझसे गलती भी हो गई हो, तो आपको इस पर यहां आपत्ति नहीं उठानी चाहिये। बाद में आप मुझे मेरी गलती बता सकते हैं। मैं उसे ठीक कर लूंगा और उस गलती के लिये क्षमायाचना करूंगा, लेकिन इस समय मेरे विनिर्णय को यहां पर चुनौती नहीं दी जा सकती।

प्रश्नों के लिखित उत्तर
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

कानपुर के हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड में उत्पादन

* 203. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1965 और 1966 में कानपुर के हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स

लिमिटेड में उत्पादन अत्यन्त असन्तोषजनक रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सही स्थिति का पता लगाने के लिये कोई जांच करने का आदेश दिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है;

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) कानपुर के हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड में वर्ष 1965 और 1966 के दौरान निश्चित कार्यक्रम के अनुसार उत्पादन नहीं हुआ ।

(ख) जी नहीं । प्रतिरक्षा उत्पादन विभाग और हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड के प्रबन्धकों द्वारा उत्पादन के कार्यक्रम की नियमित रूप से पुनर्विलोकन किया जाता रहा है और उत्पादन की स्थिति में सुधार लाने का हर सम्भव प्रयास किया जा रहा है ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

आयुध कारखाने

* 204. **श्री धुलेश्वर मीना** :
श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री एस० के० सम्बन्धन :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय भारत में आयुध कारखानों की संख्या क्या है; और

(ख) देश की आवश्यकता को पूरा करने के लिये विभिन्न कारखानों ने अब तक कितनी प्रगति की है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) पच्चीस ।

(ख) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

आयुध कारखानों में उत्पादन का क्षेत्र बहुत विस्तृत है जिसमें विशिष्ट तकनीकी कार्यक्रम के साथ-साथ गोला बारूद का उत्पादन, परिवहन गाड़ियां, सप्लाई गिराने का सामान, कपड़े और सामान्य प्रयोग की कई वस्तुएं सम्मिलित हैं ।

2. सेना की शस्त्र प्रणाली में शीघ्रता से आधुनिकीकरण के लिए शस्त्र और गोला बारूद के मामले में कई नई मदों के निर्माण कार्य में जिनकी पहले ही स्थापना की जा चुकी थी, पर्याप्त प्रगति हुई हैं । इसके अतिरिक्त आत्मनिर्भरता के ध्येय की पूर्ति के लिए भी कार्य किया गया है और कई नई-नई मदों के निर्माण का काम आरम्भ हो गया है ।

3. जहां तक गाड़ियों का सम्बन्ध है, सेना की आवश्यकताओं की पूर्ति बहुत कर के आयुध कारखानों द्वारा की जाती है ।

4. सेना के लिए कपड़ों और छातों की सभी आवश्यकताएं आयुध कारखानों द्वारा पूरी की जाती हैं । और बहुत सी सामान्य प्रयोग की वस्तुएं जैसे जेरीकनस्, पी० ओ० एल० बरेलस और बार्बड वायर कनसर्टिना और फील्ड केबल्स आदि भी इन कारखानों द्वारा दी जाती हैं ।

5. क्योंकि कुछ कारखानों में संयंत्र और उपस्कर बहुत पुराने पड़ गये हैं उन्हें पुनः नये लगाने और उनके आधुनिकीकरण के लिए एक विस्तृत पंचवर्षीय योजना बनाई गई हैं ।

6. अम्बाझारी, चांदा और जबलपुर में तीन और आयुध कारखाने लगाए जा रहे हैं ।

'संयुक्त राज्य बंगाल' के बारे में अमरीका में प्रकाशित मानचित्र

*205. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात का पता है कि पूर्वी तथा पश्चिमी बंगाल, नागालैण्ड और त्रिपुरा को मिलाकर प्रस्तावित 'संयुक्त राज्य बंगाल' के बारे में एक मानचित्र संयुक्त राज्य अमरीका में प्रकाशित हुआ था; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस बारे में कोई कार्यवाही की है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) सरकार को अमरीका में छपे तथा कथित 'संयुक्त राज्य बंगाल' के नक्शे की जानकारी नहीं है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

Use of Indian Air Space for Sending Aid to Hanoi

*206. **Shri Hukam Chand Kachhavaiya :**
Shri Ram Singh :

Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the U. S. S. R. Government have sought the permission of the Government of India for the use of Indian air space for sending aid to Hanoi ; and

(b) if so, the reaction of the Government of India thereto ?

The Minister of External Affairs (Shri M. C. Chagla) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

ब्रिटेन और सऊदी अरब के बीच हवाई युद्ध सम्बन्धी हथियारों की सप्लाई के बारे में करार

* 207. **श्री रा० बरुआ** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस बात की ओर दिलाया गाया है कि ब्रिटेन ने 3000 लाख

पौंड मूल्य के हवाई युद्ध सम्बन्धी हथियारों को सप्लाई करने के सम्बन्ध में सऊदी अरब के साथ एक करार किया है;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) क्या इनमें से कुछ हथियार पाकिस्तान को सौंप दिये जाने की संभावना है जिससे भारत की सुरक्षा को खतरा पैदा हो सकता है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) जी हां।

(ख) अगर इनमें से कुछ हथियार पाकिस्तान के पास भेज दिए जाते हैं तो भारत के सुरक्षा हितों को खतरा हो सकता है।

(ग) भारत सरकार सतर्क रहेगी लेकिन अभी तक ऐसी कोई सूचना नहीं है कि कोई हथियार इस प्रकार भेजे गए हों।

अणुशक्ति का शांतिपूर्ण कार्यों के लिये प्रयोग

* 208. **श्री श्रीचन्द गोयल** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) अणु शक्ति के माध्यम से विद्युतीकरण के सम्बन्ध में कितनी प्रगति हुई है;

(ख) रोगों के इलाज तथा अन्य भैषजिक प्रयोगों में अणुशक्ति से कितनी सहायता मिली है; और

(ग) देश में अन्य किन-किन शान्तिपूर्ण प्रयोजनों के लिये अणुशक्ति का उपयोग किया गया है ?

प्रधान मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गान्धी) : (क) अणुशक्ति विभाग तीन और अणुशक्ति केन्द्र, महाराष्ट्र में तारापुर में, राजस्थान में राणाप्रताप सागर में और मद्रास में कलपक्कम में स्थापित कर रहा है।

(ख) और (ग). कृषि उद्योग और दवाइयों के क्षेत्र में अणुशक्ति के प्रयोग के विषय में अनुसन्धान कार्य भाभा अणु अनुसन्धान केन्द्र, ट्राम्बे में किया गया है, जो अणुशक्ति का शान्तिपूर्ण कार्यों में प्रयोग करने के लिये अनुसन्धान और विकास का भारत का राष्ट्रीय केन्द्र है। अनुसन्धान के परिणाम को एक प्रश्न के उत्तर की सीमा में नहीं बांधा जा सकता। संक्षेप में रेडियोस्टोप्स और रेडिएशन का प्रयोग खेती में सुधार लाने और प्रति पौधे के अनुसार उत्पादन बढ़ाने के और विसंक्रमण और पास्चुरीकरण के माध्यम से उन कीड़ों को नष्ट करने के लिये जो फसलों और खाद्य भण्डारों का नाश करते हैं किया जाता है। दवाइयों के क्षेत्र में रेडियोस्टोप्स का प्रयोग रोग की जानकारी प्राप्त करने के और चिकित्सा के लिये किया जाता है। रेडिएशन संसाधनों का प्रयोग चिकित्सा के क्षेत्र में अधिक लाभप्रद सिद्ध हुआ है। उद्योग के क्षेत्र में रेडियोस्टोप्स और रेडिएशन के संसाधनों का प्रयोग वैज्ञानिक जांच, पता लगाने, माप और नियंत्रण के साधन के रूप में किया जाता है। उनका प्रयोग वास्तव में अत्याधिक होता है।

उनका प्रयोग पुर्जों आदि के घिसने और स्नेहन आदि के परीक्षण के लिए किया जाता है जिससे पेचीदा पद्धतियों में और भण्डार की सुविधाओं में छीजन का पता चल जाता है इस्पात तथा अन्य धातुओं में हुई खराबियों का पता लगाने के लिए, नालियों में प्रवाह को देखने के लिए, रासायनिक ढंग से चलने वाले संयंत्र और तरल पद्धतियों आदि के लिए भी किया जाता है। उनका प्रयोग कई वस्तुओं को अच्छा रूप देने और उनके नमूनों के संरक्षण के लिए भी किया जाता है।

India Calendar, 1967

*209. **Shri Bhogendra Jha :** Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state :

(a) whether his attention has been drawn to the page for the month of May in the India Calendar, 1967 published by the Directorate of Advertising and Visual Publicity, wherein it has been stated that every village with a population of 5,000 has been electrified ;

(b) whether it is a fact that the population of Parsauni, Noorchak, Chakunta and Singia villages of Bisfi Block, Jale and Kamtol of Jale Block and Parjuar etc. of Benipatti Block in Darbhanga District, Bihar and many other villages are more than 5,000 and the said villages have not at all been electrified ;

(c) if so, the steps taken by Government to rectify the mistakes in the said calendar ; and

(d) the action taken against the persons responsible for the said mistake ?

The Minister of Information and Broadcasting (Shri K. K. Shah) : (a) Yes, Sir, according to 1951 census.

(b) Requisite information will have to be collected. It is, however, possible that their population must not have been 5,000 according to 1951 census.

(c) Government's attention is drawn for the 1st time. Omssion of the words according to 1951, seems to be a bonafide mistake.

(d) Does not arise.

सशस्त्र सेना के कर्मचारियों के वेतन तथा भत्ते

* 210 **श्री रणधीर सिंह :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हमारी सशस्त्र सेना के कर्मचारियों को वर्तमान आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए सबसे कम वेतन मिलता है;

(ख) क्या सेना कर्मचारियों को मिलने वाला महंगाई भत्ता केन्द्रीय सरकार के उनके दर्जे के कर्मचारियों के भत्ते से आधा है ;

(ग) क्या अधिकारियों के लिये सशस्त्र सेना के अन्य सैनिकों की भांति भोजन, आवास तथा वर्दी की निःशुल्क व्यवस्था नहीं है; और

(घ) इनकी दशा सुधारने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) क्योंकि अन्य देशों के सशस्त्र सेना के कर्मचारियों के वेतनमानों का ब्योरा उपलब्ध नहीं है, इसलिये हम उनसे मुकाबला नहीं कर सकते। जितनी सूचना हमारे पास उपलब्ध है, उसके अनुसार भारतीय सशस्त्र सेना के कर्मचारियों का वेतनमान सामान्यतौर पर आस-पास के कुछ देशों की सशस्त्र सेना के कर्मचारियों के वेतनमान से कम नहीं है।

(ख) जी, नहीं। कमीशन-प्राप्त अधिकारियों तथा अवैतनिक दर्जे के कमीशन-प्राप्त अधिकारियों को उन्हीं दरों पर महंगाई भत्ता दिया जाता है जिन पर असैनिक सरकारी कर्मचारियों को मिलता है।

कमीशन-प्राप्त अधिकारियों से नीचे दर्जे के कर्मचारियों को (लड़कों को छोड़कर) केन्द्रीय असैनिक सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाले महंगाई भत्ते के दोतिहाई दर पर निकटतम रुपये के हिसाब से महंगाई भत्ता दिया जाता है, क्योंकि उन्हें राशन और निवास स्थान मुफ्त मिलता है और इसके अतिरिक्त वस्तुओं के रूप में उनको और भी कई रियायतें मिलती हैं।

(ग) जी नहीं। कमीशन-प्राप्त अधिकारियों और अवैतनिक दर्जे वाले कमीशन-प्राप्त अधिकारियों की स्थिति सशस्त्र सेना के अन्य कर्मचारियों से भिन्न है। कमीशन-प्राप्त अधिकारियों के वेतनमान असैनिक सरकारी कर्मचारियों की तरह ही होते हैं और इसीलिए उन्हें खाने, आवास तथा कपड़े की सुविधाएं मुफ्त नहीं मिलतीं।

(घ) प्रतिरक्षा सेवाओं के अधिकारियों और कर्मचारियों के भत्तों से संबंधित पृथक-पृथक प्रस्ताव पर किया जा रहा विचार भिन्न-भिन्न स्थितियों में है। सरकार इस बारे में विचार करके जब तक किसी निश्चय पर नहीं पहुंच जाती, तब तक इस बारे में कुछ कहना उपयुक्त नहीं होगा।

दलाई लामा को संयुक्त राष्ट्र संघ में तिब्बत का मामला पेश करने के लिये सुविधायें

* 211. **श्री बाबू राव पटेल** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दलाई लामा ने हाल में सरकार से प्रार्थना की थी कि उन्हें तिब्बत का मामला संयुक्त राष्ट्र संघ में पेश करने के लिये सुविधाएं प्रदान की जायें;

(ख) यदि हां, तो क्या यह प्रार्थना स्वीकार कर ली गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठते।

वियतनाम में रासायनिक गैसों का छोड़ा जाना और बमबारी

* 212. **श्री ई० के० नयानर :**
श्री सी० के० चक्रपाणि :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि अमरीकी सेनायें वियतनाम के असैनिक क्षेत्रों में निरन्तर रासायनिक गैसें छोड़ रही है और बम-वर्षा कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) क्या इस संबंध में सरकार ने अपनी भावना अमरीकी सरकार को प्रकट की है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) उत्तर वियतनाम में जिन क्षेत्रों पर बमबारी की जा रही है, उसके बारे में सरकार को जानकारी है। वियतनाम में गैस के उपयोग के बारे में भी समय-समय पर रिपोर्टें मिलती रही हैं।

(ख) और (ग). सरकार ने राजनयिक सूत्रों के जरिये अमरीका सरकार से इस कार्यवाई के बारे में अपना दुख प्रकट किया है और बमबारी को बन्द करने के लिए अपील की है।

सेनाओं में चुनींदा लोगों की अनिवार्य भर्ती

* 213. **श्री रामचन्द्र उलाका :** **श्री खगपति प्रधानी :**
श्री धुलेश्वर मीना : **श्री हीरजी भाई :**

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री 21 नवम्बर, 1966 के तारांकित प्रश्न संख्या 395 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि पिंडी पेकिंग के धमकीपूर्ण रवैये को दृष्टि में रखते हुए सेनाओं में चुनींदा लोगों की अनिवार्य भर्ती करने के मामले में अब तक और क्या प्रगति हुई है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : यह योजना अभी विचाराधीन है।

समाचार-पत्रों का बन्द होना

* 214. **श्री अनन्तराव वी० पाटिल :**
श्री राम चरण :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले पांच वर्षों में समाचार-पत्रों के बन्द होने की संख्या बढ़ गई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

(ग) समाचार-पत्रों में एकाधिकार प्रणाली को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) विज्ञापन तथा दृश्य प्रचार निदेशालय द्वारा विज्ञापन देने के मामले में भाषायी समाचारपत्रों के साथ सौतेली मां का सा बर्ताव किये जाने के क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) जी, हां ।

(ख) (1) पर्याप्त धन और विज्ञापनों का न मिलना; (2) छपाई सम्बन्धी कठिनाइयां और श्रमिक विवाद; (3) मुकाबला करने में असमर्थता; (4) सांझियों और शेअरहोल्डरों के बीच झगड़े, मुख्य कारण मालूम होते हैं ।

(ग) भारतीय प्रेस परिषद् इस मामले पर विचार कर रही है ।

(घ) सरकार की नीति है कि विज्ञापन के उद्देश्य की पूर्ति को ध्यान में रखते हुए छोटे और मध्यम समाचार-पत्रों को अधिक से अधिक विज्ञापन दिए जाएं ।

राजदूतों और वाणिज्य दूतों की नियुक्ति

* 215. **श्री एन० के० सोमानी :**
श्री मिट्ठन लाल मीना :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशों में अपने राजदूतों तथा वाणिज्य दूतों की नियुक्ति के समय सरकार किन-किन बातों तथा अर्हताओं को ध्यान में रखती है;

(ख) क्या हमारे दूतावासों तथा वाणिज्य दूतावासों द्वारा विदेशों में हमारे नागरिकों को, विशेष रूप से गैर-सरकारी व्यक्तियों को, दी जाने वाली सुविधाएं और सहायता अन्य देशों द्वारा विदेशों में अपने नागरिकों को दी जाने वाली सुविधाओं और सहायता से उत्तम हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो उनमें सुधार करने के लिए सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री० मु० क० चागला) : (क) इस प्रकार की नियुक्तियां करने में सरकार विचाराधीन व्यक्तियों की व्यावसायिक सक्षमता, अनुभव और योग्यता पर ध्यान देती है ।

(ख) और (ग). जी हां । लेकिन सरकार सुलभ वित्तीय साधनों को ध्यान में रखते हुए सेवा-स्तर को उठाने की हमेशा कोशिश कर रही है ।

Indian Territory in Possession of Pakistan or China

*216 **Shri Rabi Ray:**
Shri Madhu Limaye:

Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) the area of Indian territory which has gone into the possession of Pakistan or China during the last twenty years; and

(b) the action being taken by Government for its recovery ?

The Minister of External Affairs (Shri M. C. Chagla : (a) and (b). As a result of their aggression China is in illegal occupation of approximately 14,500 sq. miles of Indian territory in Ladakh. The total area under illegal occupation by Pakistan since Pakistan's aggression in Jammu and Kashmir in 1947 is approximately 32,500 sq. miles. Out of this a little over 2,000 sq. miles of territory has been illegally ceded to China by Pakistan under the so-called Sino-Pak Border Agreement.

The circumstances of such illegal occupation of Indian territory by Pakistan and China, and the Government's stand on these questions are well known. The Government's policy is to strive for the ending of such illegal occupation by peaceful means consistent with the honour, sovereignty and territorial integrity of the country.

पाकिस्तान तथा भारत के लिए अमरीकी हथियार

*217. **श्री वेदव्रत बरुआ** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत तथा पाकिस्तान दोनों देशों को सीधे व्यापारिक आधार पर अमरीकी हथियार देने का अमरीका का एक नवीन-प्रस्ताव था;

(ख) यदि हां, तो क्या इसके परिणामस्वरूप पाकिस्तान अमरीका द्वारा दिये गये हथियारों के लिये लम्बी अवधि से अपेक्षित पुर्जे प्राप्त कर सकेगा; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) से (ग). जैसा कि सदन को मालूम है, अमरीकी सरकार ने भारत और पाकिस्तान दोनों को गैर-घातक सैनिक उपकरण लेने की इजाजत फरवरी1966 से दे रखी है; लेकिन सितम्बर 1965 में दोनों देशों को किसी भी तरह के सैनिक उपकरण सप्लाई करने पर जो प्रतिबंध लगाया गया था वह घातक उपकरणों पर अब भी लगा है । अमरीकी अधिकारियों ने हमें बताया है कि इस नीति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है । इसलिए, अमरीका द्वारा वाणिज्यिक आधार पर अथवा किसी अन्य आधार पर भारत को अथवा, हम विश्वास करते हैं कि, पाकिस्तान को घातक हथियार देने का सवाल ही नहीं उठता ।

पाकिस्तान के साथ अपने दुर्भाग्यपूर्ण अनुभव के बाद, अमरीकी स्रोतों से अथवा किसी अन्य स्रोत से ही, फालतू पुर्जे अथवा नए उपकरण मिलने से पाकिस्तान की सैन्य व्यवस्था पुनः सक्रिय हो जाने की किसी भी सम्भावना से हमारा चिंतित होना स्वाभाविक है । हमने समुचित अमरीकी अधिकारियों के समक्ष अपनी चिंता व्यक्त कर दी है । हमारा विश्वास है कि हमारे हितों को समझा जा रहा है, और इसलिए हम यह विश्वास करते हैं कि अमरीकी सरकार कोई ऐसा कदम नहीं उठाएगी जिससे कि पाकिस्तान की सैन्य शक्ति के विषय में हमारी आशंका और बढ़ जाए ।

बर्मा में नजरबन्द भारतीय लोग

* 218. **श्री एस० एन० मैती :** **श्री ए० के० किस्कू :**
श्री स० चं० सामन्त : **श्री वी० एच० महतो :**

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने अपनी पिछली रंगून यात्रा के दौरान बर्मा सरकार द्वारा तथाकथित 'आर्थिक अपराधों' के आरोप में नजर बन्द किये गये 26 भारतीयों की रिहाई और स्वदेश लौटाये जाने के प्रश्न पर बातचीत की थी;

(ख) यदि हां, तो इस मामले में बर्मा सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इन भारतीयों को रिहा कराने में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) से (ग). कथित आर्थिक अपराधों के लिए जो भारतीय राष्ट्रिक बंदी बनाए गए थे, उनकी रिहाई और वापसी के बारे में बर्मा सरकार के साथ बातचीत की गई थी और वह उन लोगों के विषय में जल्दी कार्रवाई करने को सहमत हो गई है जो 27 मई, 1964 के पहले गिरफ्तार किए गए थे। इस पर भी सहमति हुई थी कि 27 मई 1964 के बाद गिरफ्तार किए गए भारतीयों की सूची पर दोनों पक्ष सम्मिलित रूप से विचार करें ताकि प्रत्येक व्यक्ति के विषय में गुण-दोष का विचार करके निर्णय किया जा सके। 27 मई, 1964 से पहले जो तीन भारतीय गिरफ्तार किए गये थे, उन्हें लगभग दो सप्ताह हुए, छोड़ दिया गया। हमारा राज दूतावास इस मामले पर आगे कार्रवाई कर रहा है।

फिरोजपुर के पास 2 फरवरी, 1967 को मार गिराये गये विमान के लिये पाकिस्तान द्वारा नकदी के रूप में मुआवजे की मांग

*219. **श्री ओंकार लाल बेरवा :** **श्री हुकम चन्द कछवाय :**
श्री राम सिंह : **श्री नारायण स्वरूप शर्मा :**
श्री ब्रज भूषण लाल :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय वायु सेना ने हाल ही में फिरोजपुर के पास एक पाकिस्तानी विमान मार गिराया था;

(ख) क्या यह भी सच है कि पाकिस्तान ने विमान तथा उसके चालक के लिये नकदी में मुआवजे की मांग की थी; और

(ग) यदि हां, तो इसके बारे में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी हां, इस सम्बन्ध में माननीय सदस्य का ध्यान 20 मार्च, 1967 के तारांकित प्रश्न सं० 17 के उत्तर की ओर दिलाया जाता है।

(ख) और (ग). जी, हां। भारत सरकार ने पाकिस्तान का दावा रद्द कर दिया है।

भारत अर्थ-मूवर्स लिमिटेड, बंगलौर

*220. **श्री पी० राममूर्ति :**
श्रीमती सुशीला गोपालन :
श्री के० रामानी :
श्री उमानाथ :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, बंगलौर के एक कर्मचारी ने चिरकाल से लंबित पड़े विवादों का निपटारा कराने के लिये आग्रह करने हेतु 27 फरवरी, 1967 से आमरण अनशन किया था;

(ख) यदि हां, तो विवाद कब से अनिर्णीत पड़े हैं तथा कर्मचारियों की मांगें क्या हैं; और

(ग) कर्मचारियों की शिकायतों को दूर करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी नहीं। भारत अर्थ-मूवर्स लिमिटेड कर्मचारी एसोसिएशन ने 18-3-1967 को कुछ मांगें पूरी करवाने के लिये 27-3-67 से भूख-हड़ताल करने का निश्चय किया था, परन्तु भूख हड़ताल हुई नहीं।

(ख) और (ग). एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है जिसमें स्थिति स्पष्ट कर दी गई है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०**-192/67]

पिल्ले समिति का प्रतिवेदन

*221. **श्री च० चु० देसाई :**
श्री कंवर लाल गुप्त :
श्री रा० बरुआ :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारतीय विदेश सेवा सम्बन्धी पिल्ले समिति के प्रतिवेदन पर विचार कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने कार्यान्वित हेतु किन-किन सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री मु० क० चागला): (क) और (ख). विदेश मंत्रालय में भारतीय विदेश सेवा समिति की सिफारिशों की पड़ताल पूरी कर ली गई है। अब भारत सरकार के अन्य मंत्रालयों से परामर्श करने का इरादा है ताकि सरकार जल्दी ही अंतिम निर्णय ले सके।

पाकिस्तान और चीन द्वारा किया गया भूमि तथा वायु सीमा का उल्लंघन

*222. **श्री यशपाल सिंह :** **श्री बलराज मधोक :**
श्री रामचन्द्र उलाका : **श्री रामकिशन गुप्त :**
श्री धुलेश्वर मीना :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले छः महीनों में पाकिस्तान और चीन द्वारा युद्ध-विराम समझौते का उल्लंघन किये जाने की कितनी घटनायें हुईं;

(ख) इसी अवधि में पाकिस्तान और चीन द्वारा वायु-सीमा का उल्लंघन किये जाने की कितनी घटनायें हुईं; और

(ग) इस विषय में सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) और (ख). 1 अक्तूबर, 1966 से 27 मार्च, 1967 तक प्राप्त रिपोर्टों से पता चला है कि पाकिस्तान ने जम्मू तथा काश्मीर में 620 बार युद्ध-विराम का उल्लंघन किया। इसी अवधि में चीन द्वारा भारतीय सिक्किम राज्य क्षेत्र में भूमि सीमा के उल्लंघन किये जाने की 20 और वायु-सीमा के उल्लंघन की एक घटना हुई।

(ग) जम्मू तथा काश्मीर में युद्ध-विराम के उल्लंघन के बारे में संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रेषकों से शिकायत कर दी गई है। शेष के बारे में सम्बन्धित सरकारों को विरोध-पत्र भेज दिये हैं। अन्य उचित कार्यवाही भी की जाती है।

भूतपूर्व सैनिकों का पुनर्वास

*223. **श्री धुलेश्वर मीना :**
श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भूतपूर्व सैनिकों को असैनिक सेवा में नियुक्त करने सम्बन्धी योजनाओं की कार्यान्वित के लिये प्रक्रिया बना ली है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है; और

(ग) पिछले एक वर्ष में कितने भूतपूर्व सैनिकों को रोजगार दिया गया ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) ब्योरा दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर प्रस्तुत है :

विवरण

चतुर्थ श्रेणी की सेवाओं/पदों में 20 प्रतिशत तक और तृतीय श्रेणी की सेवाओं/पदों में

10 प्रतिशत तक स्थायी रिक्त स्थान सुरक्षित करने के लिये सरकारी आदेश 4 जुलाई, 1966 को जारी कर दिये गये।

इस बीच इन आदेशों की क्रियान्विति के लिये यह प्रक्रिया बनाई गई है और सरकार ने 18 फरवरी, 1967 को आवश्यक हिदायतें जारी कर दी हैं। इन हिदायतों की मुख्य बातें ये हैं :

(क) केन्द्रीय सरकार के सभी विभाग/कार्यालय/उपक्रम उनके द्वारा भूतपूर्व सैनिकों के लिये सुरक्षित रिक्त स्थान दर्शाने वाले 'रोस्टर्स' की प्रतियां पुनर्वास (सैटलमैंट) महानिदेशक, प्रतिरक्षा मंत्रालय को भेजेंगे और साथ ही उन्हें निम्न का पृष्ठांकन (ऐन्डोर्स) करेंगे।

(1) तृतीय और चतुर्थ श्रेणियों के सुरक्षित और असुरक्षित, दोनों ही, के रिक्त स्थानों को भरने के लिये मांग-पत्र (रीक्यूजीशन) की प्रतियां, जो वे रोजगार कार्यालयों को भेजें; और

(2) यदि पद रोजगार कार्यालयों के जरिये न भरे जायें, तो रिक्त स्थानों को भरने के लिये उनके द्वारा दिये गये विज्ञापनों की प्रतियां।

(ख) पुनर्वास महानिदेशक काम कर रहे कर्मचारियों को, जो सेवामुक्त होने वाले हैं, आर्मी फार्मेशन्स के जरिये तथा सैनिक सेवा से सेवामुक्त किये गये कर्मचारियों को भी, परिचालन के हेतु एक पाक्षिक बुलेटिन प्रकाशित करेगा, जिसमें रिक्त स्थानों का विवरण होगा।

(ग) इसके बाद निर्धारित अर्हता प्राप्त भूतपूर्व सैनिक विज्ञापनों के उत्तर में ऐसे पदों के लिये आवेदन-पत्र दे सकते हैं।

(घ) यदि सुरक्षित पद भरने के लिये केन्द्रीय/राज्य सरकारें/विभाग विशिष्ट मांग की सूचना पुनर्वास महानिदेशक को दें, तो वह उसे भी पूरा करेगा।

(ङ) नियोजक विभाग गृह-कार्य मंत्रालय को एक त्रैमासिक प्रगति प्रतिवेदन भेजेंगे, जिनमें पदों आदि के विवरण सहित रोजगार कार्यालयों को भेजे गये मांग-पत्र तथा भूतपूर्व सैनिकों की नियुक्ति का विवरण दिया गया होगा।

(ग) 12,021.

असैनिक प्रतिरक्षा कर्मचारियों के लिये मजूरी बोर्ड

*224. **श्री स० मो० बनर्जी :** **श्री इन्द्रजीत गुप्त :**
श्री स० चं० सामन्त : **श्री जे० एम० विश्वास :**
श्री मधु लिमये :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अखिल भारतीय प्रतिरक्षा कर्मचारी संघ ने देश में असैनिक प्रतिरक्षा कर्मचारियों के लिये एक मजूरी बोर्ड अथवा मजूरी समिति नियुक्ति किये जाने की मांग की है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) सरकार ने इस मांग को स्वीकार करना संभव नहीं समझा है ।

अपंग सैनिक कर्मचारी

*225. **श्री रणधीर सिंह** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत भारत-पाकिस्तान संघर्ष में अपंग हुए सैनिक कर्मचारी पदोन्नति के उन्हीं अवसरों के हकदार नहीं हैं जिनके लिये श्रेणी 'ए' के कर्मचारी हकदार हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस भेदभाव को दूर करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क), (ख) और (ग). गत भारत-पाकिस्तान संघर्ष में अपंग हुए सैनिक कर्मचारियों के लिये पदोन्नति के कोई पृथक नियम नहीं हैं । सेना के सामान्य पदोन्नति नियमों में सलैक्शन ग्रेडों में अधिकारियों की पदोन्नति के मामलों के अतिरिक्त अर्थात् सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल और उसके ऊपर तथा आर्मी मेडिकल कोर में कर्नल और उससे ऊपर जिनमें सामान्यतः मेडिकल श्रेणी 'ए' के अधिकारियों की पदोन्नति की जाती है, मेडिकल श्रेणी 'ए' और उससे नीचे की मेडिकल श्रेणियों के कर्मचारियों में कोई भेदभाव नहीं किया जाता है (यदि सम्बन्धित व्यक्ति मेडिकल श्रेणी 'ई' में न हो, अर्थात् किसी भी प्रकार की सैनिक सेवा के लिये स्थायी रूप से अयोग्य) । इन मामलों में भी नीचे की मेडिकल श्रेणियों के विशेष अधिकारियों की पदोन्नति की अनुमति होती है, यदि :

(क) ऐसी पदोन्नति जन-हित में हो;

(ख) किसी मेडिकल बोर्ड की राय में वह अधिकारी उस पद के, जिस पर उसकी पदोन्नति की जा रही है, सामान्य सक्रिय सेवा कर्त्तव्यों का पालन करने योग्य हो; और

(ग) कोई दोष, अयोग्यता अथवा रोग, जिससे वह अधिकारी ग्रस्त हो, के सेवा के हालात से बढ़ जाने की संभावना न हो ।

शलैक्शन ग्रेडों में अधिकारियों की पदोन्नति के लिये कठोर नियम होने का कारण यह है कि पदोन्नति के ऐसे पद अपेक्षाकृत कम होते हैं और इसलिए नीचे की मेडिकल श्रेणी के अधिकारियों की रियायती (शैलटर्ड) नियुक्ति की संम्भावनायें अपेक्षाकृत सीमित होती हैं । चूंकि वर्तमान नियम गत भारत-पाकिस्तान संघर्ष में अपंग हुए कर्मचारियों के साथ कोई भेदभाव नहीं करते, नियमों में संशोधन करने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता ।

भूतपूर्व आजाद हिन्द फौज के कर्मचारी

*226. **श्री रामचन्द्र उलाका :** **श्री खगपति प्रधानी :**
श्री धुलेश्वर मीना : **श्री हीरजी भाई :**

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री 21 नवम्बर, 1966 के तारांकित प्रश्न संख्या 406 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूतपूर्व आजाद हिन्द फौज के कर्मचारियों के रोक लिये गये वेतन तथा भत्तों को पुनः देने के प्रश्न पर इस बीच विचार कर लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या निर्णय किया गया है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) और (ख). मामले पर विचार किया जा रहा है और शीघ्र ही निर्णय किए जाने की संभावना है ।

हिन्दी में प्रसारण

*227. **श्री श्रीचन्द गोयल :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1966-67 में हिन्दी में प्रसारणों में कोई वृद्धि की गई है;

(ख) क्या अगले वर्ष इनमें वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) क्या शिक्षा तथा मनोरंजन की दृष्टि से प्रसारणों का स्तर सुधारने के लिए कोई कार्यवाही की गई है अथवा करने का प्रस्ताव है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) जी, हां ।

(ख) अगले वर्ष के लिये कोई विशेष योजनायें तैयार नहीं की गईं हैं ।

(ग) स्तर में सुधार का काम लगातार चलता रहता है और इसका बराबर ध्यान रखा जाता है ।

नेताजी सुभाषचन्द्र बोस की मृत्यु के बारे में जांच

*228. **श्री मधु लिमये :** **श्री श्रीनिवास मिश्र :**
श्री राम किशन गुप्त : **श्री समर गुह :**
श्री एस० कुण्डू : **श्री मोहन स्वरूप :**
श्री बेघरबेहेरा :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आजाद हिन्द फौज से सम्बद्ध जापान के सेवा-निवृत लेफ्टिनेंट जनरल फूजीवारा द्वारा दिये गये नेताजी सुभाषचन्द्र बोस का 'मृत्यु' से सम्बन्धित परिस्थितियों के बारे में जांच

किये जाने के वक्तव्य की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है;

(ख) क्या इस संबंध में एक संयुक्त भारतीय-जापानी जांच दल नियुक्त करने के लिये पहल करने का सरकार का विचार है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) जी हां ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) आपको याद होगा कि, 1956 में नेताजी सुभाष चन्द्र बोस की कथित मृत्यु के बारे में तथ्यों की जांच-पड़ताल करने के लिए एक सरकारी जांच समिति नियुक्ति की गई थी । तमाम साक्ष्य को जांच करने के बाद समिति ने एक रिपोर्ट दी थी जिसमें यह स्थिर किया गया था कि नेताजी वास्तव में 1945 की एक हवाई दुर्घटना में मर गये थे। सरकार इससे आश्वस्त है कि यह रिपोर्ट सही है और आगे जांच करने की कोई जरूरत नहीं है । ले० जनरल फुजीवारा ने कोई नए तथ्य सामने नहीं रखे हैं ।

श्री लंका में भारतीय उद्भव के राष्ट्रिकताहीन व्यक्ति

354. **श्री सूपकार** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय श्रीलंका में भारतीय उद्भव के राष्ट्रिकताहीन व्यक्तियों की कुल संख्या क्या है; और

(ख) 1966-67 में भारतीय उद्भव के कितने व्यक्ति श्रीलंका से भारत आये ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री मु० क० चागला) :(क) श्रीलंका में 1963 की जनसंख्या के आधार पर आंकड़ें अभी प्रकाशित नहीं हुए हैं । अक्तूबर 1964 में भारतीय मूल के राज्यविहीन व्यक्तियों की संख्या लगभग 9,75,000 थी ।

(ख) 1 जनवरी, 1966 से 31 जनवरी, 1967 के बीच 5620 भारतमूलक लोग श्रीलंका छोड़कर भारत आये ।

Acquisition of Private Houses in Gun Carriage Factory Estate, Jabalpur

355. **Seth Govind Das** : Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether decision on the proposal for acquisition of private houses in Gun Carriage Factory Estate at Jabalpur has since been taken; and

(b) if not, when a final decision is likely to be taken in the matter ?

The Minister of State in The Ministry of Defence (Shri B. R. Bhagat) : (a) and (b). The proposal is still under consideration; it will take some more time for Government to come to a final decision.

नेहरू स्मारक निधि

356. **श्री बाबूराव पटेल : क्या प्रधान मंत्री** यह बताने कृपा करेंगी कि :

(क) नेहरू स्मारक निधि के लिए अब तक कितना धन एकत्रित किया गया है;

(ख) इसमें विदेशों ने कितना धन दिया है; और

(ग) प्रत्येक देश ने कितना धन दिया तथा किन संस्थाओं के माध्यम से यह धन व्यय किया गया ?

प्रधान मंत्री तथा अणु-शक्ति मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी): (क) अब तक संग्रहीत धन राशि 1,81,14, 536.91 रुपये की है । इसमें 86,71,873.42 रुपये की राशि सम्मिलित नहीं है जिसे निधि संग्रह करने वाले अभिकरणों ने निर्धारित किया है । किन्तु उसे अभी तक निधि में मिलाया नहीं गया है ।

(ख) और (ग). कुल संग्रहीत राशि में विदेशों द्वारा प्राप्त 1,60,433.57 रुपये की राशि सम्मिलित है । किन्तु इस दान का दान देने वाले देशों के अनुसार वर्गीकरण के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं ।

बाल-भवन द्वारा शिक्षा मंत्रालय एवं स्मारक-निधि के संयुक्त तत्वावधान में जून, 1966 में आयोजित एक राष्ट्रीय विचार गोष्ठी के व्यय को पूरा करने के लिए बाल-भवन, नई दिल्ली को 3,565.54 रुपये का अनुदान दिया गया जिससे बाल-भवनों के निर्माण में प्रोत्साहन दिया जा सके । बाल-भवनों का निर्माण-स्मारक निधि की परियोजनाओं में से एक परियोजना है । अन्य व्यय जो अब तक प्रशासन कार्य एवं स्मारक योजनाओं की रूप रेखा बनाने में होते थे, उन्हें स्मारक-निधि द्वारा निधि के विनियोजन से होने वाली आय से पूरा किया जाता है ।

रूस तथा पूर्व योरोपीय देशों द्वारा वित्तपोषित संस्थाएं

357. **श्री मनुभाई अमरसे** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूस तथा अन्य पूर्व योरोपीय देश भारत में स्थित किन्हीं संस्थाओं/संगठनों को प्रायोजित कर रहे हैं, धन दे रहे है; और

(ख) यदि हां, तो ऐसी संस्थाओं का विवरण क्या है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री मु० क० चागला): (क) और (ख). सूचना इकट्ठी की जा रही है और सदन की मेज पर रख दी जाएगी ।

नेफा में सेना की पराजय की जांच

358. **श्री हुकम चन्द कछवाय :**

श्री कंवर लाल गुप्त :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नेफा में सेना की पराजय की जांच करने के लिए नियुक्त की

गई समिति की उपपत्तियां इस सभा को नहीं बताई गई हैं; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह): (क) तथा (ख). उत्तर-पूर्वी सीमा में सैनिक संक्रियाओं के संचालन से सम्बन्धित जांच के मुख्य निष्कर्ष लोक-सभा में रक्षा मंत्री के 2 सितम्बर, 1963 के वक्तव्य संक्षेप में दे दिये गये थे।

समग्र दस्तावेज सदन के सामने न रखने के कारण उस वक्तव्य के पैरा 5 और 6 में स्पष्ट किये गये थे, और 27 मार्च 1967 को आधे घंटे के लिए विवाद के दौरान मेरे द्वारा भी।

Release of The Late Prime Minister's Letter in Ceylon

359 **Shri Sezhiyan :** Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government are aware of the fact that a former Prime Minister of Ceylon has made public a copy of the letter reported to have been written by the late Prime Minister of India, Shri Lal Bahadur Shastri on November 22, 1964 to the Ceylon Government; and

(b) whether Government will lay on the Table a copy of the letter referred to above?

The Minister of External Affairs (Shri M. C. Chagla) : (a) Yes, Sir.

(b) The Ceylon Prime Minister's letter dated 9th January, 1965 and Prime Minister Lal Bahadur Shastri's letters dated 22nd November, 1964 and 20th February, 1965 are placed on the Table of the House. **[Placed in Library, See No. LT-193/67]**

केन्द्रीय मंत्रियों द्वारा आस्तियों का ब्योरा

360. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या केन्द्र मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों ने अपनी-अपनी आस्तियों का ब्यौरा दे दिया है;

(ख) यदि नहीं, तो किन-किन सदस्यों ने ऐसे ब्यौरे नहीं दिये हैं; और

(ग) उनके द्वारा ये ब्योरे कब तक दिये जाने की सम्भावना है ?

प्रधान मंत्री तथा अणु-शक्ति मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी): (क) से (ग). मंत्रिमंडल के कुछ सदस्यों ने अपनी आस्तियों का ब्योरा भेज दिया है, और बाकी मंत्रियों से जल्दी प्राप्त होने की आशा की जाती है।

नागालैण्ड सचिवालय में आग

361. **श्री सूपकार :**

श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 10 फरवरी, 1967 को नागालैंड सचिवालय का काफी हिस्सा आग से नष्ट

हो गया था;

(ख) यदि हां, तो क्या यह तोड़-फोड़ का कार्य था अथवा यह एक दुर्घटना थी; और

(ग) यदि इस मामले में कोई कार्यवाही की गई है, तो वह क्या है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री मु० क० चागला): (क) जी हां ।

(ख) और (ग). नागालैंड की राज्य सरकार के अधिकार-क्षेत्र में यह मामला आता है और उसने आग के कारण का पता लगाने के लिए जांच आरम्भ करवा दी है । यह जांच अभी पूरी नहीं हुई है ।

प्रतिरक्षा मंत्रालय द्वारा टायरों की खरीद

362. **श्री मधु लिमये :**

डा० राम मनोहर लोहिया :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह हिसाब रखने के लिये कि सैनिक गाड़ियों में लगे हुए टायर कितने मील चलते हैं सैनिक गाड़ियों के लिये लागबुक रखने की प्रथा है ;

(ख) क्या राज्य व्यापार निगम द्वारा आयात किये गये टायरों में से खरीदे गये टायरों के मामले में (जिसका उल्लेख तीसरी लोक सभा की लोक लेखा समिति के 64वें प्रतिवेदन में किया गया है) ऐसी लाग बुक रखी गई थी ;

(ग) क्या सेवा कर्मचारियों ने टायरों के निकम्मा ठहराने वाली अपनी रिपोर्ट में इस बात का उल्लेख किया था कि ये टायर बेकार हैं तथा इनकी मरम्मत नहीं हो सकती ;

(घ) क्या यह सच है कि ऐसे अधिकांश टायर 300 से 400 मील चलने के बाद ही बेकार हो गये थे ;

(ङ) क्या दर संविदा में आंकड़ों में हेर-फेर करके गलत वचन दिखाई गई थी ; और

(च) दर-संविदा में फ्लैप और ट्यूब समेत क्या दर दिखाई गई थी तथा फ्लैप और ट्यूब के बिना वास्तव में कितना मूल्य दिया गया था ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) तथा (ख) . जी हां ।

(ग) तथा (घ) . 5904 ट्रैक हार्ड रोड टायरों में से 138 की, 3500 से 20500 किलो मीटर की विभिन्न माईलेज सम्पूर्ण करने के पश्चात् समय से पहले फेल हो जाने की रिपोर्ट मिली है । 6782 में से 95 स्टेंडर्ड ट्रीड पेटरन टायरों की 2200 से 26050 किलो मीटर की विभिन्न माईलेज सम्पूर्ण करने के पश्चात् समय से पहले फेल होने की रिपोर्ट मिली है ।

(ङ) ऐसा कोई प्रहस्तन रक्षा रक्षा मंत्रालय के सामने नहीं आया ।

(च) आयात टायरों का भाण्डार करने वालों के साथ स्टेण्डर्ड ट्रीड टायरों के लिए रेट कन्ट्रैक्ट के अनुसार, $8.25 \times 20 - 12$ प्लाई रेटिंग टायर की, फ्लैप और ट्यूब समेत दर 349 रुपये थी, और $7.50 \times 20 - 10$ प्लाई रेटिंग टायर की फ्लैप और ट्यूब समेत 285 रुपये। तदनुसार टायर फ्लैप्स और ट्यूबों समेत सप्लाई किए गए थे। रेट कन्ट्रैक्ट में केवल टायरों के लिए अलग कोई दर नहीं दर्शायी गई थी। $8.25 \times 20 - 12$ प्लाई रेटिंग ट्रैक हार्ड रोड/यूनिवर्सल ट्रैक ग्रिप पेटरन के लिए डी० जी० एस० एण्ड डी० द्वारा भेजा गया ए/टी ट्यूब या फ्लैप के बिना केवल टायर के लिए था ; और ए/टी दर थी, 360 रुपये प्रति टायर।

प्रतिरक्षा मंत्रालय द्वारा टायरों की खरीद

363. **श्री मधु लिमये :**
श्री यशपाल सिंह :
डा० राम मनोहर लोहिया :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय आयुध डिपू, कण्डीविली (अब मालाड) के कमांडिंग अधिकारी को, जो तीसरी लोक-सभा की लोक-लेखा समिति के 64वें प्रतिवेदन में उल्लिखित स्टाक से टायरें स्वीकार करने तथा खरीदने के लिये जिम्मेदार था, हाल ही में सैनिक सेवा को छोड़ने की अनुमति मिल गई थी ;

(ख) क्या यह भी सच है कि यदि किसी अधिकारी के विरुद्ध, जिसने सैनिक सेवा छोड़ दी है, कोई कार्यवाही करनी हो तो वह कार्यवाही उसके द्वारा नौकरी छोड़ दिये जाने की तिथि से छै महीने के अन्दर की जानी चाहिये ;

(ग) क्या इन टायरों की खरीद के मामले में कण्डीविली डिपू के तत्कालीन कमांडिंग अधिकारी के विरुद्ध अब तक कोई कार्यवाही की गई है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी हां।

(ख) सेना अधिनियम, 1950 के अन्तर्गत, उस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के लिए, इस अधिनियम के अधीन आने वाले किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोर्ट मार्शल द्वारा अभियोग शुरू नहीं किया जा सकता, अगर ऐसे अपराध को हुए तीन वर्ष से ऊपर अवधि हो जाए, और किसी ऐसे व्यक्ति पर अभियोग चलाया नहीं जा सकता, अगर इस अधिनियम के अधीन न रहते, 6 मास के अन्दर-अन्दर उस पर अभियोग न चलाया गया हो।

(ग) तथा (घ). चूंकि सौदा होने के पश्चात् उक्त अवधि बीत जाने के कारण कोर्ट-मार्शल द्वारा उस पर अभियोग नहीं चलाया जा सकता, जो कार्यवाही संभव है वह है केवल, सेना के लिए पैन्शन विनियमों भाग 1, 1963 के विनियम 3 के अन्तर्गत उसकी पूरी या आंशिक पैंशन रोक लेना, और ऐसा किया जा रहा है।

प्रतिरक्षा मंत्रालय द्वारा टायरों की खरीद

364. **डा० राम मनोहर लोहिया :**
श्री मधु लिमये :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राज्य व्यापार निगम के माध्यम से आयात किये गये टायरों को खरीदने और उन्हें स्वीकार करने के मामले में (जिसका उल्लेख तीसरी लोक-सभा की लोक लेखा समिति के 64वें प्रतिवेदन में किया गया है) उनकी किस्म के बारे में सेना मुख्यालय को गलत रिपोर्ट दी गई थी ;

(ख) यदि हां, तो क्या उनके मंत्रालय ने सम्भरण तथा निपटान महानिदेशालय के विरुद्ध कार्यवाही करने की मांग की है ; और

(ग) क्या प्रतिरक्षा मंत्रालय ने इस प्रकार की गलत जानकारी देने के लिए उत्तरदायी डिपो अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही की है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) डी० जी० एस० एण्ड डी० द्वारा रक्षा मंत्रालय को कोई विशेष उल्लेख नहीं किया गया था, तदपि टायरों की क्वालिटी के संबंध में रक्षा समेत सभी, मन्त्रालयों को डी० जी० एस० एंड डी० द्वारा एक प्रपत्र जारी किया गया था और सी० ओ० डी० कांडीविली को एक पत्र ।

(ख) पी० ए० सी० ने इस विषय पर विचार किया है, और रक्षा मंत्रालय द्वारा डी० जी० एस० एंड डी० के विरुद्ध कार्यवाही की मांग करने का प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) जैसा कि अतारांकित प्रश्न संख्या 363 (ग) और (घ) भागों के उत्तर में संकेत किया गया है, ओ० सी०, सी० ओ० डी० मलाद के विरुद्ध कार्यवाई आयोजित की जा रही है ।

प्रतिरक्षा मंत्रालय द्वारा टायरों की खरीद

365. **श्री मधु लिमये :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत में निर्मित अच्छी किस्म के टायरों का स्टाक डिपूओं में होते हुए भी अग्रिम क्षेत्रों में आयातित टायर (तीसरी लोक-सभा की लोक-लेखा समिति के 64वें प्रतिवेदन में उल्लिखित) भेजे गये थे;

(ख) यदि हां, तो क्या इन मामलों में किसी जांच का आदेश दिया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो जांच का क्या परिणाम निकला ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) से (ग). "पहले निर्मित पहले जारी" सिद्धान्त के अनुसार, भंडार जारी करने संबंधी सैनिक मुख्यालयों की स्थायी प्रक्रिया को सामने रखते हुए अग्रिम क्षेत्रों में प्रयोग के लिए भी आयात टायर जारी किये गये थे । तदपि, डिपो

अधिकारियों को अग्रिम क्षेत्रों में यह टायर न भेजने संबंधी रक्षा मन्त्रालय का निर्णय सूचित नहीं किया गया था। जिन परिस्थितियों में ऐसा नहीं किया गया, उनकी जांच हो रही है।

Price Bulletins

366. **Shri Bibhuti Mishra :**
Shri K. N. Tiwary :

Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the bulletins regarding prices of essential commodities broadcast by A.I.R., Delhi, in the morning daily, have invoked much public criticism; and

(b) if so, whether Government are contemplating to discontinue the broadcast of the said bulletins in view of the criticism ?

The Minister of Information and Broadcasting (Shri K. K. Shah) : (a) The broadcast of daily price bulletins by All India Radio has evoked a variety of reactions, partly favourable to their continuance and partly disfavouring it.

(b) The question of continuance or modification of these broadcasts is under consideration in consultation with other concerned Departments of Government in the light of reactions received and the surveys conducted.

करनाली जल विद्युत परियोजना

367. **श्री हुकम चन्द कछवाय :** क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री 21 नवम्बर, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1967 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेपाल सरकार द्वारा भारत सरकार को करनाली जल-विद्युत परियोजना के बारे में भेजे गये प्रतिवेदन का अध्ययन कर लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है और उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) इस रिपोर्ट की जांच की जा रही है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

बर्मा की सरकार के साथ बातचीत

368. **श्री च० चु० देसाई :** **श्री धुलेश्वर मीना :**
श्री दी० चं० शर्मा : **श्री सूपकार :**
श्री सेझियान : **श्री रा० बरुआ :**
श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीयकरण के पश्चात बर्मा की सरकार द्वारा जब्त की गई भारतीयों की

आस्तियों की वापसी के बारे में भारत तथा बर्मा की सरकारों के बीच कोई बातचीत हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) और (ख). इस वर्ष जनवरी में विदेश मंत्री की रंगून यात्रा के दौरान इस मामले पर बर्मी अधिकारियों के साथ बातचीत हुई थी और इस मामले पर आगे कार्रवाई की जा रही है ।

मुस्लिम वर्ल्ड लीग

369. **श्री च० चु० देसाई :**
श्री रा० बरुआ :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि मुस्लिम वर्ल्ड लीग की कांस्टीट्यूएंट कौंसिल ने नवम्बर, 1966 के द्वितीय सप्ताह में मक्का में हुये अपने अधिवेशन में काश्मीर समस्या पर विचार किया था ; और

(ख) यदि हां, तो भारत सरकार की इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) जी हां ।

(ख) भारत सरकार का मत है कि रबीता-अल-अलामी-इस्लामी (वर्ल्ड मुस्लिम लीग) की कांस्टीट्यूएंट कौंसिल को भारत के अभिन्न अंग जम्मू और काश्मीर से सम्बद्ध मामलों पर विचार-विमर्श करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं ।

प्रधान मंत्री द्वारा चुनाव दौरे के लिये भारतीय वायुसेना के विमान का प्रयोग

370. **श्री यशपाल सिंह :**
श्री ओंकार लाल बेरवा :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उन्होंने जनवरी और फरवरी, 1967 में अपने चुनाव दौरों के समय भारतीय वायुसेना के विमान का प्रयोग किया था ;

(ख) क्या भारतीय वायुसेना के विमान का प्रयोग करने के लिये भारतीय वायुसेना को कोई भुगतान किया गया है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) जी हां ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

विकलांग सैनिक कर्मचारियों का भरण-पोषण

371. **श्री सं० चं० सामन्त** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विकलांग सैनिक कर्मचारियों के भरण-पोषण सम्बन्धी कितने मामले अभी अनिर्णीत पड़े हैं और इन मामलों पर निर्णय लेने में कितना समय लगेगा ;

(ख) क्या इन कर्मचारियों को कोई नई सुविधायें अथवा सेवायें अथवा सहायता दी जा रही हैं ; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) मैं यह समझता हूं कि भरण-पोषण से माननीय सदस्य मुख्य रूप से विकलांगता पेंशन का उल्लेख कर रहे हैं । 1 अप्रैल, 1966 को 3,109 मामले अनिर्णीत पड़े थे और उसके बाद 28-2-67 तक 15,422 नये मामले हुये, इस प्रकार कुल संख्या 18,531 हो गई । इनमें से अब केवल 4,131 मामले अनिर्णीत पड़े हैं, उनमें 1,058 पुनर्निर्धारण के मामले भी शामिल हैं, जिनमें विकलांगता पेंशन मंजूर की जा चुकी थी ।

यह निश्चित रूप से नहीं बताया जा सकता कि अनिर्णीत मामलों को निपटाने में कितना समय लगेगा । स्पष्ट मामले सम्बन्धित व्यक्ति के सेवामुक्त किये जाने के दो महीने में निपटा दिये जाते हैं । अन्य मामलों में निम्न कारणों से विलम्ब को रोका नहीं जा सकता ।

(क) इस बारे में निर्णय कि विकलांगता सेवा के कारण हुई है, जिसके लिये विभिन्न कागजातों, उदाहरण के लिये मेडिकल बोर्ड की कार्यवाही, मेडिकल हिस्टरी आदि को देखना पड़ता है ।

(ख) दुर्घटनाओं के कारण चोट के मामलों में जांच न्यायालय की सुनवाई को अन्तिम रूप देना ।

(ग) रिकार्ड कार्यालय/अस्पतालों/यूनिटों आदि से आवश्यक कागजात इकट्ठा करना, जिसमें काफी समय लगता है ।

तथापि इस प्रकार के विलम्ब को यथासंभव कम से कम करने के लिये प्रक्रिया सम्बन्धी हिदायतें जारी कर दी गई हैं ।

(ख) और (ग). (1) सितम्बर—नवम्बर, 1962 में चीन के आक्रमण के विरुद्ध संघर्ष में, अप्रैल—जून, 1965 में कच्छ संघर्ष में, अगस्त, 1965 से आगे पाकिस्तान के विरुद्ध संघर्ष में और 16 सितम्बर, 1966 अथवा उसके बाद कुछ अन्य (जैसे विद्रोही नागाओं, मिजो लोगों के विरुद्ध) संघर्षों में जख्मी होने के कारण सेवा के लिये अयोग्य हुये सैनिक कर्मचारियों के मामलों में विकलांगता पेंशन की दरें बढ़ा दी गई हैं ।

(2) कच्छ संघर्ष और पाकिस्तान संघर्ष में जख्मी होने के कारण सेवा के लिये अयोग्य हुये सैनिक कर्मचारियों के मामले में उनकी जीवन बीमा निगम-की पालिसियों की देय प्रीमियम विकलांगता 80 प्रतिशत अथवा अधिक मानी जाने पर पूरी तथा 40 प्रतिशत अथवा उससे अधिक परन्तु 80 प्रतिशत से कम मानी जाने पर आधी माफ कर दी गई है।

(3) चीन और पाकिस्तान के आक्रमणों में विकलांग सैनिक कर्मचारियों को मेडिकल रीहैबिलीटेशन सेन्टर और व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रशिक्षण की अवधि को सेवा-काल का अंग माना जाता है।

(4) युद्ध में अन्धे हुये व्यक्तियों को प्रौढ़ अंध प्रशिक्षण केन्द्र, देहरादून द्वारा व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाता है। उनके प्रशिक्षण की अवधि को सेवा-काल का अंग माना जाता है।

(5) विकलांग कर्मचारियों को आवेदन-पत्र प्राप्त होने पर विकलांग सैनिक कर्मचारी, विधवा तथा अनाथ कोष से एकमुश्त अनुदान के रूप में अनुग्रह-पूर्वक वित्तीय सहायता दी जाती है।

(6) उन्हें सरकारी तथा गैर-सरकारी संगठनों में रोजगार दिलाने के लिये भी विशेष प्रयास किये जा रहे हैं।

इंडोनेशिया-पाकिस्तान करार

372. **श्री मद्दी सुदर्शनम** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इंडोनेशिया सरकार ने उस करार को रद्द कर दिया है जो वहां की पिछली सरकार ने प्रतिरक्षा उपकरण देने के बारे में पाकिस्तान से किया था ; और

(ख) क्या इंडोनेशिया सरकार ने भारत को आश्वासन दिया है कि पाकिस्तान को जो भी प्रतिरक्षा उपकरण अब तक दिये गये हैं वे सभी वापस ले लिये जायेंगे ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री मु० क० चागला) : मालूम हुआ है कि हालांकि 1965 के भारत-पाकिस्तान संघर्ष के दौरान इन्डोनेशिया ने पाकिस्तान को रक्षा सम्बन्धी कुछ उपकरण दिये थे, फिर भी, भारत सरकार को इस विषय में इन्डोनेशिया तथा पाकिस्तान के बीच किसी औपचारिक करार होने की जानकारी नहीं है।

(ख) इंडोनेशिया की सरकार ने हमें आश्वासन दिया है कि पाकिस्तान को अब कोई सैन्य उपकरण नहीं दिया जा रहा है।

राजनयिक थैले का गुम हो जाना

373. **श्री कंवर लाल गुप्त** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1966 में इन्डियन एयर लाइन्स कारपोरेशन के कर्मचारियों से एक राजनयिक थैला खो गया था ;

(ख) क्या सरकार ने इस घटना की कोई जांच की है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) जी हां ।

(ख) जी हां, केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने ।

(ग) इन्डियन एयर लाइन्स कारपोरेशन के तीन कर्मचारी अपने कर्तव्य का पालन नहीं करते पाये गये और उनके खिलाफ समुचित विभागीय कार्रवाई करने की सिफारिश की गई है । भविष्य में मार्ग में इस तरह थैला खो जाने की घटना न होने देने की दृष्टि से केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने राजनयिक डाक ले जाने की पद्धति को अधिक कारगर बनाने के लिये कुछ सुझाव दिये हैं । इन पर भी विचार किया गया है और अमल कर दिया गया है ।

सशस्त्र सेनाओं में डाक्टरों तथा इंजीनियरों की कमी

374. **श्री धुलेश्वर मीना :**

श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या **प्रतिरक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सशस्त्र सेनाओं में डाक्टरों तथा इंजीनियरों की भारी कमी महसूस की जा रही है ; और

(ख) यदि हां, तो स्थिति का सामना करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) इंजीनियरों की हालत में अभी तक भारी कमी है । डाक्टरों की हालत में भी कमी है, परन्तु स्थिति इतनी गम्भीर नहीं है ।

(ख) सूचना देने सम्बन्धी एक विवरण संलग्न है । [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०-194/67**]

संयुक्त अरब गणराज्य के सहयोग से जेट-विमानों का निर्माण

375. **श्री धुलेश्वर मीना :**

श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या **प्रतिरक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि संयुक्त अरब गणराज्य के सहयोग से जेट-विमानों के निर्माण-कार्य में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : संयुक्त अरब गणराज्य सरकार को वहां विकसित किये जा रहे एक सुपरसैनिक इंजन (ई-300) के लिये उड़ान परीक्षण आधार के रूप में काम करने के लिये एक एच० एफ० 24 विमान दिया गया । संयुक्त अरब गणराज्य में

ई-300 इंजन पर भूमि विकास परीक्षण किये जा रहे हैं और एच० एफ० 24 विमान ने ई-300 इंजन के साथ कुछ ही दिन पूर्व अपनी पहली उड़ान ली। सुपरसानिक विमान के निर्माण में सहयोग का प्रश्न केवल तब ही उठेगा जब कि उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक पूरे हो जांय।

Drowning Incident at Military School, Kunjpura

376. **Shri Hukam Chand Kachhavaiya :** Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether the investigation into the death of a student caused by drowning in a swimming pool at Military School, Kunjpura (Karnal) last year has been made;

(b) if so, the details thereof; and

(c) the steps taken to prevent recurrence of such incidents in future ?

The Minister of Defence (Shri Swaran Singh) : (a) Yes, Sir. A Court of Inquiry presided over by the Registrar of the Sainik School fully investigated the circumstances of the accident. A Police inquest was also carried out on the date of accident and the death was held to be due to accidental drowning.

(b) Mohinder Kumar was one of the 29 boys of Class V-B who went for the swimming exercise at 11-20 hours. The swimming was supervised by a competent Instructor and was being done at the shallow end of the Pool. All necessary safety precautions as laid down in school Standing Orders for swimming were being observed. The boys were divided into 3 batches for swimming. The absence of Mohinder Kumar, who was in the third batch was noticed at 11-48 hours. After search, the boys body was taken out of the pool at about 12-10 hours. The Court of Inquiry held that the boy must have got into the pool unobtrusively and got drowned accidentally and that no one could be blamed for the accident.

(c) In order to exercise better control over the children, three instructors are now deputed to the swimming pool when the boys are beginners.

हरियाना के लिये आकाशवाणी केन्द्र

377. **श्री रामकिशन गुप्त :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को हरियाना सरकार से हरियाना में जल्दी ही एक आकाशवाणी केन्द्र स्थापित करने के सम्बन्ध में कोई अभ्यावेदन मिला है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) जी, हां।

(ख) हरियाना राज्य में मध्यम शक्ति का एक मीडियम वेव ट्रांसमीटर लगाने के लिए चौथी योजना में व्यवस्था की गई है और हरियाना सरकार से कहा गया है कि वह प्रसारण केन्द्र के स्थान के बारे में अपनी राय बताए।

'Nefa Ki Ek Sham'

378. **Dr. Ram Manohar Lohia :** **Shri Madhu Limaye :**
Shri Ram Sewak Yadav : **Shri Gunanand Thakur :**

Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Song and Drama Division of the Government of India had rented the Parade Ground from the 12th to 26th March to organise the festival of "Nefa Ki Ek Sham" on the eve of Holi Mela and the tickets for this festival were purchased by people under duress; and

(b) whether it is also a fact that the festival organised by the Song and Drama Division actually ended on the 17th March and thereafter a magician was staging magic shows there for his personal benefit but the rent was being paid from the Public Exchequer; and

(c) if so, the reasons therefor?

The Minister of Information and Broadcasting (Shri K. K. Shah) : (a) The Song and Drama Division did not organise any festival but only presented five performances, three of 'Nefa Ki Ek Sham' and two of Composite programmes in the Holi Mela organised by the Lok Kala Manch, a voluntary Organisation. The Division did not rent the Parade ground nor sold any tickets.

(b) Other programmes arranged in Holi Mela did not concern Song and Drama Division. As the Lok Kala Manch had contributed towards cost of the stage, they were allowed to use it.

(c) Question does not arise.

गुट-निरपेक्ष राष्ट्रों का सम्मेलन

379. **श्री च० चु० देसाई :**
श्री रा० बरुआ :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निकट भविष्य में सभी गुट-निरपेक्ष राष्ट्रों का एक सम्मेलन बुलाने के बारे में कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क). जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

तिब्बती शरणार्थी

380. **श्री रामचन्द्र उलाका :**
श्री धुलेश्वर मीना :
श्री खगपति प्रधानी :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तिब्बती शरणार्थी अब भी भारत आ रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो अब तक आये इन शरणार्थियों की संख्या क्या है ; और

(ग) इन शरणार्थियों को किन स्थानों पर बसाने का विचार है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) वे अब भी यदा-कदा थोड़े-थोड़े करके आते रहते हैं ?

(ख) कुल संख्या लगभग 50,000 है ।

(ग) मैसूर, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, नेफा, भूटान और सिक्किम में खेती-बाड़ी पर 12,000 तिब्बती शरणार्थी पहले ही लगाए जा चुके हैं । मैसूर के बेलगाम डिवीजन में लगभग 5,000 लोगों के बसाने का काम शुरू हो गया है और भूटान में एक हजार और तिब्बतियों का । 675 शरणार्थियों को बसाने के लिए कांगड़ा जिले में एक ऊनी मिल और चाय एस्टेट स्थापित कर दी गई है । लगभग 3,000 व्यक्तियों को रोजगार दिलाने की अन्य औद्योगिक स्कीमों पर सक्रिय विचार किया जा रहा है । विभिन्न दस्तकारी केन्द्रों में लगभग एक हजार तिब्बती काम करते हैं । इन केन्द्रों को सुचारु रूप से चलाने और लगभग 2,000 व्यक्तियों को रोजगार देने की दृष्टि से उनका विस्तार करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं । सिक्किम में जो एक चाय एस्टेट स्थापित की जा रही है उस पर 2,000 तिब्बतियों को बसाने का प्रस्ताव है । (ऊपर लिखे आंकड़ों में परिवार और बच्चे सम्मिलित हैं)

हमने राज्यों से कहा है कि वे बाकी तिब्बतियों को फिर से बसाने के लिए और अधिक जमीन दें ।

आयुध कारखाने

381. **श्री एस० कुण्डू :**
श्री एस० के० सम्बन्धन :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन-किन राज्यों में बड़े, मध्यम तथा छोटे आयुध कारखाने लगे हुए हैं ;

(ख) इन कारखानों में कुल कितनी पूंजी लगी हुई है ;

(ग) इन कारखानों की कुल नियोजन क्षमता क्या है ; और

(घ) चौथी पंचवर्षीय योजना में कितने नए आयुध कारखाने खोलने का विचार है और किन-किन राज्यों में ऐसा कारखाना अथवा कारखाने स्थापित करने का विचार है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) आयुध कारखाने मध्य प्रदेश, मद्रास, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पश्चिमी बंगाल, और एक चण्डीगढ़ में है । औपचारिक तौर पर वृहत, मध्यम और छोटे कारखानों जैसा कोई वर्गीकरण नहीं किया गया है ।

(ख) सूचना इकट्ठी की जा रही है, और सभा के पटल पर रख दी जाएगी ।

(ग) लगभग 1.52 लाख रुपये ।

(घ) तीन कारखाने, अम्बाझरी, चांदा और जबलपुर में एक-एक, स्थापित किये जा रहे हैं। शीघ्रता से जमा कर सुखाए गये मांस उत्पादन का एक कारखाना टूंडला के निकट स्थापित किया जा रहा है। इस समय कोई और कारखाना स्थापित किये जाने सम्बन्धी कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

उड़ीसा में बालासोर में प्रूफ एण्ड एक्सपेरिमेंटल एस्टैबलिशमेंट

382. **श्री एस० कुंडू** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में बालासोर नगर में चंडीपुर (ओन सी) स्थित "प्रूफ एंड एक्स पेरिमेंटल एस्टैबलिशमेंट" का विस्तार करने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव का स्वरूप क्या है ;

(ग) सरकार का विचार इस प्रस्ताव को कब तक कार्य रूप देने का है ; और

(घ) विस्तार किये जाने के परिणामस्वरूप इसमें रोजगार क्षमता कितनी हो जायेगी ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) "प्रूफ एण्ड एक्सपेरिमेंटल एस्टेबलिशमेंट, चांदीपुर के विस्तार के बारे में सरकार के पास कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख), (ग) और (घ). प्रश्न ही नहीं उठता।

Indian Representatives in U. N. O.

383. **Shri Ram Charan** : Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) the number of Indian representatives in U. N. O. and its various organisations ; and

(b) the total expenditure incurred thereon per annum ?

The Minister of External Affairs (Shri M. C. Chagla) : (a) India maintains a Permanent Representative at the U. N. Headquarters at New York. Our diplomatic officers in different parts of the world, in addition to their normal functions, look after our interests at the Headquarters of the various international bodies. For instance, our Consul-General in Geneva is also our representative to the European Headquarters of the U. N. However, for the U. N. Conference on Trade and Development and the General Agreement on Tariffs and Trade, besides India's Ambassador to Belgium, who is currently accredited as Permanent Representative to G. A. T. T. and Permanent Representative of India to U. N. C. T. A. D., we have a Resident Representative in Geneva to G. A. T. T. as well as U. N. C. T. A. D.

(b) The total expenditure incurred on our Permanent Mission in New York, according to the final estimate for expenditure incurred for the year 1966-67 was Rs. 27,43,800. The total expenditure incurred during the budget year 1966-67 on our Resident Representative to G. A. T. T. and U. N. C. T. A. D. was Rs. 2,21,900.

गोहाटी में बोरझार हवाई अड्डे के निकट भूमि का अर्जन

384. **श्री धीरेश्वर कालिता :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उनके मंत्रालय ने सैनिक हवाई अड्डे को और अधिक चौड़ा करने के लिए बोरझार रवाई अड्डे (गोहाटी) के निकट कुछ हजार एकड़ भूमि अर्जित की है ;

(ख) यदि हां, तो विस्थापित किसानों को कितना प्रतिकर दिया जायेगा ।

(ग) क्या इस सम्बन्ध में सरकार को इन किसानों से कोई अभ्यावेदन मिला है ; और

(घ) क्या इन किसानों को कहीं अन्यत्र भूमि देने तथा उन्हें शीघ्र प्रतिकर देने के सम्बन्ध में सरकार की कोई योजना है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) तथा (ख). गोहाटी हवाई अड्डे के विकास के लिए लगभग 715.67 एकड़ भूमि अधिगृहीत की गई थी । भूमि अभी तक अर्जित नहीं की गई । इस बीच कुल 133617.25 रुपये का आरंभिक मुआवजा सम्बन्धित भूस्वामियों को दिया जा चुका है । इसके अतिरिक्त 118532.90 रुपये वार्षिक किराया सम्बन्धित भूस्वामियों को नियमित रूप से दिया जा रहा है, कि जिनके सम्बन्ध में असम सरकार के सम्बन्धी अधिकरणों द्वारा किराये का निर्धारण हो चुका है ।

(ग) सम्बन्धित भूस्वामियों से अपनी भूमि के किराये और मुआवजे की अदायगी के लिए कुछ अभिवेदन प्राप्त हुए थे ।

(घ) भूस्वामियों को वैकल्पिक भूमि देने सम्बन्धी कोई योजना नहीं है । जब अर्जित की गई उन्हें भूमि का मूल्य दिया जायेगा ।

भारतीय वायुसेना विमान दुर्घटना

385. **श्री धीरेश्वर कालिता :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 22 फरवरी, 1966 को भारतीय वायुसेना का 'तूफानी' विमान बोरझार (गोहाटी) हवाई अड्डे पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था ;

(ख) यदि हां, तो इस दुर्घटना के क्या कारण हैं ;

(ग) इस दुर्घटना में कितने व्यक्ति हताहत हुए ;

(घ) क्या सरकार को मृतकों की ओर से तथा आहत व्यक्तियों से प्रतिकर के दावे के बारे में कोई अभ्यावेदन मिला है ; और

(ङ) यदि हां, तो प्रतिकर देने के सम्बन्ध के क्या कार्यवाही की गई है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) तथा (ख). सदस्य महोदय का ध्यान सदन में

9 मई, 1966 को उत्तर दिए गए अतारांकित प्रश्न संख्या 4978 के उत्तर की ओर आकर्षित किया जाता है ।

(ग) विमान चालक के अतिरिक्त 7 असैनिक निधन प्राप्त हुए और 14 असैनिक घायल ।

(घ) जी हां ।

(ङ) मामला सरकार के विचाराधीन है । इस बीच प्रत्येक मृत असैनिक के निकट कुटुम्बी को 500 रुपये की एक अनुग्रहपूर्वक अन्तरिम सहायता प्रदान की गई है । जहां तक मृत आई० ए० एफ० अफसर का सम्बन्ध है, 750 की एक राशि, जो कुटुम्ब उपदान का 75 प्रतिशत है, और नियमों के अन्तर्गत देय है, पेन्शन दावे सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय तक के लिए उसके निकट कुटुम्बी को प्रदान कर दी गई है ।

नई सरकारी कम्पनियां

386. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :**
श्री मनुभाई अमरसे :
श्री डी० एन० पाटोदिया :

क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इलेक्ट्रानिक का सामान बनाने के कारखानों को चलाने तथा यूरेनियम की कुछ खानों के संचालन के लिये सरकार ने दो नयी सरकारी कम्पनियां स्थापित करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो कब; और

(ग) उन योजनाओं पर कुल कितना धन व्यय होगा ?

प्रधानमंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) से (ग) . सरकार ने सरकारी क्षेत्र में दो कम्पनियां स्थापित करने की योजना को 17 मार्च, 1967 को स्वीकृति दी थी । इनमें से एक कम्पनी में भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र, ट्राम्बे में विकसित किए जाने वाले इलेक्ट्रानिक उपकरणों तथा पुर्जों का बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जायेगा । इस कम्पनी की अधिकृत पूंजी 10 करोड़ रुपये होगी । दूसरी कम्पनी, जिसकी अधिकृतपूंजी 7.5 करोड़ रुपये होगी तथा जिसे समुचित पूंजीगत ऋण मिलेगा, जदुगुडा (बिहार) में एक यूरेनियम खान तथा धातुक शोधन के लिए एक मिल का संचालन करेगी । आशा है कि थोड़े ही समय में आवश्यक औपचारिकतायें पूर्ण हो जाने पर दोनों कम्पनियां स्थापित कर दी जायेंगी ।

सैनिक कर्मचारियों के परिवारों के लिये मकान

387. **श्री रणधीर सिंह** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सेना में काम करने वाले कितने प्रतिशत सैनिक कर्मचारी शान्ति वाले स्थानों

(पीस स्टेशन) पर अपने परिवारों को रखने के लिये मकान लेने के हकदार हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार इस प्रतिशतता को बढ़ाने का है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या यह भी सच है कि शान्ति वाले अनेक स्थानों पर सेना में काम करने वाले सैनिक कर्मचारियों के परिवारों के रहने के लिये मकानों का प्रायः कोई प्रबन्ध नहीं है; और

(ङ) ऐसे शान्ति वाले स्थानों पर सैनिकों के परिवारों के रहने के लिये मकानों की व्यवस्था करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) 27 मार्च, 1967 को लोक-सभा में अतारांकित प्रश्न संख्या 56 के उत्तर में हकदारी सम्बन्धी सूचना दी जा चुकी है ।

(ख) सभी कोरों और सेवाओं में एकरूपता रखने के विचार से हवलदार और अन्य जवानों के लिये उनके परिवारों के रहने के लिये मकान पाने की व्यवस्था को युक्तिसंगत बनाने के लिए एक प्रस्ताव विचाराधीन है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(घ) जी हां, जहां तक सरकारी क्वार्टरों का सम्बन्ध है ।

(ङ) कुछ स्थानों के लिये ऐसी परियोजनाओं को पहले ही स्वीकृत दी जा चुकी है । जहां मकानों की बहुत अधिक कमी है वहां परिवार के रहने योग्य मकान बनाने के कार्य को प्राथमिकता दी जा रही है।

गोरखपुर में आकाशवाणी केन्द्र

388. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :**

डा० महादेव प्रसाद :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोगों के लाभ के लिये गोरखपुर (उत्तर प्रदेश) में एक आकाशवाणी केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो उस केन्द्र को कब तक स्थापित करने का विचार है तथा उसके लिये कुल कितना धन मंजूर किया जायेगा; और

(ग) यदि नहीं, तो इस के क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के०के० शाह) : (क) जी, हां ।

(ख) इसके लिये चौथी पंचवर्षीय योजना में 72 लाख रुपये की व्यवस्था की गई है। साजसामान आयात करने, स्थान चुनने, आदि के लिए आरम्भिक कार्यवाही शुरू की जा चुकी है । रेडियो केन्द्र के चालू होने में लगभग 3 साल लग जाएंगे ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

आवड़ी मोटरगाड़ी डिपो

389. **श्री एस० के० सम्बन्धन :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के ध्यान में यह बात लाई गई है कि आवड़ी मोटरगाड़ी डिपो में मोटरगाड़ी सम्बन्धी बिजली का सामान खुले स्थान में पड़ा हुआ है;

(ख) यदि हां, तो कितना तथा कितने मूल्य का सामान पड़ा हुआ है;

(ग) क्या सरकार ने इस लापरवाही के लिये जिम्मेदारी निश्चित कर दी है; और

(घ) यदि हां, तो जिम्मेदार ठहराए गये व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह). (क) तथा (ख) सेवा योग्य कोई आटोमोबाइल वैद्यूती सामान केन्द्रीय गाड़ी डिपो आवड़ी में खुले में नहीं पड़ा है । न काम आने वाला लगभग 2290.3 टन टूटाफूटा सामान जिसमें 1941.5 टन न काम आने वाले टेलीफोन केबल हैं और शेष न काम आने वाला अन्य सामान—निपटारे की प्रतीक्षा में साल्वेज सब-डिपो आवड़ी में खुले क्षेत्रों में जमा किया गया है । इस न काम आने वाले टूटेफूटे सामान की लागत सहज प्राप्य नहीं है ।

(ग) तथा (घ) . प्रश्न ही नहीं उठते ।

मलयेशिया निवासी भारतीय लोगों की ओर से अभ्यावेदन

390. **श्री एस० के० सम्बन्धन :** क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को हाल में अथवा पहले कभी मलयेशिया में रहने वाले भारतीय लोगों की ओर से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं जिनमें यह प्रार्थना की गई हो कि वहां पर तमिल बोल सकने वाले उच्चायुक्त भेजे जायें । और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

वैदेशिक-कार्य-मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) और (ख) . इस तरह का कोई निवेदन-पत्र विदेश मंत्रालय को नहीं मिला है ।

बाल फिल्म संस्था

391. **श्री बाबूराव पटेल :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री 21 नवम्बर 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1949 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बाल फिल्म संस्था के भूतपूर्व महामंत्री से 1000 डालर वसूल करने के सिलसिले में दिल्ली न्यायालय में चलाये गये दीवानी मुकदमे के बारे में निर्णय दे दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या निर्णय दिया गया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) जी, नहीं । मामला अभी अदालत में है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

जवानों के लिये फेमिली क्वार्टर

392. **श्री अ० क० गोपालन :**
श्री ज्योतिर्मय वसु :
श्री सी० के० चक्रपाणि :

क्या **प्रति रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सेना के जवानों को फेमिली क्वार्टरों का अलाटमेंट किस आधार पर किया जाता है;

(ख) अब तक कुल कितने जवानों को फेमिली क्वार्टर मिल चुके हैं; और

(ग) सेना के कुल जवानों में से कितने प्रतिशत जवानों को वर्ष 1966-67 में फेमिली क्वार्टर दिये गये हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय मे राज्य-मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) थलसेना में जवानों की विभिन्न श्रेणियों के लिये मंजूरशुदा सिव्वन्दियां के निर्धारित प्रतिशत के हिसाब से पारिवारिक मकान दिये जाते हैं। इस सम्बन्ध में विस्तृत विवरण 27 मार्च, 1967 को लोकसभा में उत्तर दिये गये अतारांकित प्रश्न संख्या 56 के भाग (ख) और (ग) के उत्तर में दिया गया है। उपयुक्त व्यवस्थानुसार बड़ी यूनिटों को कुछ उपलब्ध पारिवारिक क्वार्टर इक्ट्ठे दिए जाते हैं। आवेदन पत्रों के दिनांकों के अनुसार पारिवारिक क्वार्टरों के लिए आवेदकों का एक रोस्टर बनाया गया है। यूनिट के कमांडर करुणामूलक कारणों को ध्यान में रखते हुए उपलब्ध पारिवारिक क्वार्टरों को इस रोस्टर में प्रवरता के अनुसार लोगों को क्वार्टर देते हैं। इस बात के सम्बन्ध में सुनिश्चित होने के लिए कि यथा सम्भव स्वयं से पारिवारिक क्वार्टर पाने वाले जवानों को अधिक से अधिक संख्या में बारी-बारी से ऐसे क्वार्टर मिलते जांय, किसी व्यक्ति विशेष द्वारा लगातार किसी क्वार्टर को रखने की एक निश्चित अवधि होती है। छोटे यूनिटों के मामले में पारिवारिक क्वार्टरों का एक स्टेशन पूल होता है जो उसी प्रकार से स्टेशन कमांडर द्वारा नियंत्रित होता है।

(ख) पहली जनवरी, 1967 की स्थिति के अनुसार 40,942।

(ग) आवश्यक सूचना एकत्रित की जा रही है और यथा शीघ्र उसे सभा के पटल पर रख दिया जाएगा।

पश्चिम बंगाल में भूमि का अर्जन

393. **श्री अ० क० गोपालन :**
श्री ज्योतिर्मय बसु :
श्री सी० के० चक्रपाणि :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल में 24 परगना के सदर सब-डिवीजन में विष्णुपुर के पुलिस

स्टेशनों के क्षेत्राधिकार में उनके मंत्रालय द्वारा कुछ भूमि अर्जित की गई है;

(ख) यदि हां, तो कितनी भूमि का अर्जन किया गया है;

(ग) क्या अर्जित की गई भूमि खेतों के लिए उपयुक्त है; और

(घ) यदि हां, तो क्या उसमें खेती की जा रही है ?

प्रति-रक्षा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) तथा (ख). पश्चिमी बंगाल के 24 परगना के सदर सब डिवीजन में 284.18 एकड़ भूमिक्षेत्र अधिगृहीत किया गया है। उसे उपार्जित करने सम्बन्धी सरकार की स्वीकृति भी विद्यमान है, और इसलिए तत्सम्बन्धी कार्यवाही शीघ्र ही हस्तगत की जाएगी।

(ग) तथा (घ). अधिगृहण अधीन भूमि कृषि-योग्य है, और वास्तव में अधिकतर अनधिकृत तौर पर कृषि आधीन है। अनधिकृत कब्जा करने वालों की बेदखली का प्रश्न राज्य सरकार के साथ उठाया जा चुका है, ताकि उस भूमि पर निर्माण-कार्य शुरू किया जा सके।

तारापुर परमाणु बिजलीघर

395. **श्री रामचन्द्र उलाका :** **श्री खगपति प्रधानी**
श्री धुलेश्वर मीना : **श्री हीरजी भाई :**

क्या **प्रधान**-मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि तारापुर परमाणु बिजली घर के निर्माण में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

प्रधान-मंत्री तथा अणु-शक्ति मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : तारापुर परमाणु बिजली-घर की स्थापना का कार्य संतोषजनक रूप से तथा निश्चित कार्यक्रम के अनुसार चल रहा है। लगभग 85% कार्य पूरा किया जा चुका है। सिविल इंजीनियरी कार्य काफी हद तक पूरा हो गया है तथा बहुत से उपकरण, जिनमें दोनों प्रेशर वैसल्स शामिल हैं, लगाये जा चुके हैं। रिऐक्टर नं० 1 के लिए टर्बाइन जनित्र लगाया जा चुका है, जबकि रिऐक्टर नं० 2 का जनित्र लगाया जा रहा है। दोनों जनित्रों से सम्बद्ध दोनों ट्रांसफार्मर लगाये जा रहे हैं।

रिऐक्टर नं० 1 के प्रारम्भिक ईंधन के लिए आवश्यक समृद्ध यूरेनियम ईंधन अमरीका से फरवरी, 1967 में प्राप्त हुआ था।

चलचित्र उद्योग के लिये कोष

396. **श्री रामचन्द्र उलाका :** **श्री खगपति प्रधानी :**
श्री धुलेश्वर मीना : **श्री हीरजी भाई :**

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री 14 नवम्बर, 1966 के तारांकित प्रश्न संख्या 259 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तम और सोद्देश्य चलचित्र बनाने के लिये निर्माताओं और चलचित्र उद्योग

की सहायता के लिये एक विशेष कोष बनाने सम्बन्धी प्रस्ताव के ब्योरे का इस बीच अन्तिम रूप दे दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

सूचना और प्रसारण-मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) और (ख). कोष को इस्तेमाल करने की पद्धति और ढंग के बारे में फिल्म उद्योग और सरकार के बीच मतभेद होने के कारण प्रस्ताव को अन्तिम रूप नहीं दिया गया है ।

Military Training School, Nowgong

397. **Shri Nathu Ram Ahirwar**: Will the Minister of **Defence** be pleased to state:

(a) whether Government propose to reopen Nowgong Military Training School;

(b) if so, when; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Minister of Defence (Shri Swaran Singh): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

(c) The Military School (formerly known as King George's School) had been shifted in 1952 to Nowgong from Jullundur. It was shifted back to Chail (a place in the then Punjab) in 1960. The Government have not considered it necessary to have another Military School at Nowgong. The buildings at Nowgong in which the Military School was located, have been handed over to the Ministry of Home Affairs for their use.

भारत में टेलीविजन

398. **श्री जार्ज फरनेन्डीज :**
श्री जे० एच० पटेल :
श्री राम सेवक यादव :

क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में टेलीविजन की व्यवस्था करने तथा स्टूडियो एवं प्रसारण टावर स्थापित करने और टेलीविजन सेटों का निर्माण करने के सम्बन्ध में अब तक कितनी प्रगति हुई है ;

(ख) इस सम्बन्ध में कितने और कितने मूल्य के उपकरणों का आयात किया गया ; और

(ग) देश में टेलीविजन की व्यवस्था करने के हेतु अगले पांच वर्षों में कुल कितना धन खर्च होने का अनुमान है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) एक टेलीविजन केन्द्र जिसमें स्टूडियो और प्रेषण की सीमित सुविधायें हैं, दिल्ली में सितम्बर, 1959 से चालू है । 1965 में फेडरल रिपब्लिक आफ जर्मनी से प्राप्त साज-सामान से आकाशवाणी आडिटोरियम, टेलीविजन स्टूडियो में बदल दिया गया था और नियमित दैनिक टेलीविजन सेवा 15 अगस्त, 1965 से

शुरू की गई थी। दिल्ली के टेलीविजन केन्द्र का विस्तार करने और बम्बई, कलकत्ता, मद्रास और कानपुर में टेलीविजन केन्द्र स्थापित करने के प्रस्ताव चौथी पंचवर्षीय योजना के प्रारूप में शामिल किये गये हैं।

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्रालय ने दो गैर-सरकारी फर्मों को प्रति वर्ष दस दस हजार टेलीविजन सेट बनाने के लिये लैटर्स आफ इंटेंट भेजे हैं। सेंट्रल एलेक्ट्रोनिक्स इंजीनियरिंग रिसर्च इन्स्टीट्यूट ने भी पिलानी में 1000 टेलीविजन सेट बनाने का काम शुरू कर दिया है।

(ख) लगभग 50.44 लाख रुपये की कीमत के टेलीविजन ट्रांसमीटर, स्टूडियो का साज-सामान तथा अन्य सहायक चीजें जिनमें टेली-क्लबों के लिये टेलीविजन रिसीवर भी शामिल हैं, आकाशवाणी द्वारा पिछले सात आठ साल के दौरान समय-समय पर आयात किये गये हैं या विदेशी सरकारों तथा अन्य अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों से उपहार के रूप में प्राप्त हुये हैं। इनमें से, सरकार द्वारा सीधे खरीदे गये साज-सामान की कीमत 5.54 लाख रुपये है। इसके अतिरिक्त, जो साज-सामान उपहार के रूप में प्राप्त हुआ उस पर सीमा-शुल्क तथा अन्य प्रासंगिक व्ययों के रूप में भी सरकार के 19.24 लाख रुपये खर्च हुये हैं।

(ग) दिल्ली के टेलीविजन केन्द्र का विस्तार करने के अलावा बम्बई, कलकत्ता, मद्रास और कानपुर में टेलीविजन केन्द्र स्थापित करने के लिये चौथी पंचवर्षीय योजना के प्रारूप में 375 लाख रुपये का प्रस्ताव किया गया है।

Geneva Convention of 1951 About Refugees

399. **Shri Mohan Swarup:** Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that according to the Geneva Convention of 1951, persons fleeing from their own countries after 1951 and settling in other countries would not be called refugees;

(b) if so, the status of the Tibetans settled in India;

(c) whether it is a fact that a Committee of European Countries has been constituted to collect funds in order to help the refugees; and

(d) if so, whether Tibetans would also get financial assistance from this fund?

The Minister of External Affairs (Shri M. C. Chagla): (a) According to Article 1 of the Convention on the status of refugees 1951 the term 'refugees' applies to a person who is outside the country of his nationality as a result of events occurring before January 1, 1951. This Resolution has been interpreted to exclude events occurring after that date, but not persons who might become refugees at a later date as a result of events occurring prior thereto. India is not a party to this Convention.

(b) The Tibetans who started pouring into India as a result of Chinese astrocities with His Holiness the Dalai Lama or after his arrival in India, are regarded as refugees. Those

who had come to India earlier for business or other purposes and had settled themselves in India earlier than 1959 are not regarded as refugees.

(c) Yes, Sir.

(d) The decision in the matter rests with the Committee of the European Refugee Campaign 1966. We understand informally that it is proposed to set apart some money out of these collections for the rehabilitation of Tibetan Refugees in India.

पोर्ट ब्लेयर स्थित आकाशवाणी केन्द्र

400. **श्री के० आर० गणेश :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्दमान और नीकोबार द्वीप-समूह में पोर्ट ब्लेयर स्थित आकाशवाणी केन्द्र का दर्जा बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो यह प्रस्ताव कब क्रियान्वित किया जायेगा ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) जी, हां ।

(ख) इस प्राजेक्ट के लिये आवश्यक साज-सामान का प्रबन्ध किया जा रहा है। इस केन्द्र का दर्जा चतुर्थ पंचवर्षीय योजना काल में बढ़ाने का विचार है ।

चुनावों में भारतीय वायुसेना के विमानों का प्रयोग

401. **श्री बाबूराव पटेल :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रधान मंत्री ने अपने चुनाव अभियान में कितनी बार भारतीय वायुसेना के विमानों का प्रयोग किया ;

(ख) प्रधान मंत्री ने इस प्रकार विमान द्वारा कुल कितने मील यात्रा की और इस सम्बन्ध में भारतीय वायुसेना को कुल कितनी राशि का भुगतान किया ; और

(ग) चुनाव के लिये भारतीय वायुसेना के विमान किन-किन स्थानों पर ले जाये गये ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) तथा (ख). प्रधान मंत्री के चुनाव अभियान के सम्बन्ध में उनकी यात्राओं के लिये, आई० ए० एफ० विमान द्वारा 18 उड़ानें की गई थीं, और उड़ानों का कुल फासला 32674 मील था । प्रधान मंत्री और उनके दल से वसूली योग्य, विमान यात्रा का खर्च 28,084.18 रुपये बनता है। इस राशि के लिये बिल, प्रधान मंत्री और उनके दल के सदस्यों को भेज दिया गया है । प्रधान मंत्री से वसूली हो भी चुकी है ।

(ग) उड़ाने निम्न स्थानों के लिये की गई थीं :

गोहाटी, शिलांग, लखनऊ, वेगमपेट (हैदराबाद), मद्रास, सुलूर, मदुरे, त्रिचुरापल्ली, बंगलौर, वेलगाम, बम्बई, त्रिवेन्द्रम, कोचीन, कोटा, वंसवाड़ा, उदयपुर, जयपुर, नागपुर, अकोला,

नांदेड, औरंगाबाद, नासिक, कोल्हापुर, पूना, इन्दौर, नागदा, भोपाल, बरेली, कलैकुण्डा, डमडम/ बैरकपुर (कलकत्ता), चरवतिया, भुवनेश्वर और पूना ।

Indian Contribution To U. N. O.

402 **Shri Rabi Ray :**
Shri Madhu Limaye:

Will the Minister of **External Affairs** be pelased to state :

(a) the total amount which India has to contribute to U. N. O. as her share under the Head Miscellaneous Expenditure; and

(b) the amount payable in foreign exchange and that payable in rupees to the U. N. O.?

The Minister of External Affairs (Shri M. C. Chagla) : (a) India contributes, each year, her share at the rate of 1·85% of the total budget of the United Nations. In the last three years, the United Nations budget has been between $ 108 and $ 131 million and India's contribution has been between $ 1·5 and $ 2·0 million. No separate contribution is required for payment under separate heads of the U. N. budget.

(b) Under its financial regulations, U. N. does not accept any payments towards its regular annual budget in currencies other than convertible ones. Payments of all countries, including India, are therefore, made in convertible currencies only.

नेताजी संग्रहालय को नेताजी की तलवार भेंट किये जाने से सम्बन्धित समारोह

403. **श्री समर गुह :** क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जापान के जनरल फुजीवारा ने 19 मार्च, 1967 को कलकत्ता स्थित नेताजी संग्रहालय को नेताजी सुभाष चन्द्र बोस की तलवार भेंट की थी ;

(ख) क्या यह भी सच है कि केन्द्रीय सरकार के किसी प्रतिनिधि ने उस समारोह में भाग नहीं लिया था ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) जी हां । जापान के रिटायर शुदा सैनिक अधिकारी, ले० जनरल इबाइची फुजीवारा और उनके कुछ मित्रों ने, जो दूसरे विश्व युद्ध के दौरान नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के सम्पर्क में आये थे, जापान की एक शिल्प-कला वस्तु की दुकान में तलवार देखी जो किसी जापानी शुभचिंतक ने सिंगापुर में 1943 में नेताजी को भेंट की थी । ले० जनरल फुजीवारा इसे भारत ले आये और कलकत्ता में नेताजी संग्रहालय को भेंट कर दी ।

(ख) और (ग). शुरू में यह तलवार टोकियो-स्थित भारतीय राजदूत को एक समुचित समारोह में भेंट की गई थी । पश्चिम बंगाल की गवर्नर कुमारी पद्मजा नायडू ने कलकत्ता में आयोजित भेंट-समारोह की अध्यक्षता की थी । भारत सरकार ने उस अवसर पर प्रबन्ध करने में सहायता दी थी ।

पारादीप पत्तन पर नौसेना का अड्डा

404. **श्री एस० कुण्डू** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पारादीप पत्तन पर नौसेना का एक अड्डा स्थापित करने की योजना के सम्बन्ध में कितनी प्रगति हुई है ; और

(ख) इस योजना पर कुल कितना व्यय होगा ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) पारादीप में कोई नौसैनिक अड्डा स्थापित करने के सम्बन्ध में कोई सुझाव नहीं है । तदपि, नौसेना की कुछ आवश्यकतायें, जो विचाराधीन हैं ।

(ख) अन्तिम निर्णय लेने तक वित्तियें लिप्तियें निर्धारित नहीं की जा सकतीं ।

पाकिस्तान को रूसी सैनिक सहायता

405. **श्री बेदब्रत बरुआ** : क्या **वैदेशिक-कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की सूचना मिली है कि हाल में पाकिस्तान को रूसी सैनिक सहायता बढ़ा दी गई है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री सु० क० चागला) : (क) और (ख). सरकार को इस आशय की कीई सूचना नहीं मिली है कि सोवियत सरकार ने पाकिस्तान को कोई सैन्य सहायता दी है ।

राजधानी में सैनिक शिक्षा संस्था (इंस्टीच्यूट ऑफ डिफेंस स्टडी)

406. **श्री कन्सारी हल्दर** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजधानी में एक सैनिक शिक्षा संस्था स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ;

(ग) क्या यह सच है कि इस संस्था का सम्बन्ध लन्दन की सामरिक शिक्षा संस्था से रहेगा ; और

(घ) यदि हां, तो लन्दन की सामरिक शिक्षा संस्था के साथ सम्बन्ध रखने का क्या प्रयोजन है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) "रक्षा अध्यनों और विश्लेषण के लिए संस्थान" नाम से एक संस्थान 11 नवम्बर, 1965 को एक सोसाइटी के तौर पर रजिस्टर किया गया था, यह संस्थान दिल्ली में स्थित है ।

(ख) जिन मुख्य उद्देश्यों के लिए संस्थान स्थापित किया गया हैं वह यह है :

(1) राष्ट्र की सुरक्षा सम्बन्धी समस्याओं का अध्ययन, उस पर विचार विमर्श और अनुसंधान, तथा वित्तीय, राजनैतिक, और सामाजिक क्षेत्रों में रक्षा उपायों का संघटन ।

(2) रक्षा अध्ययनों और विश्लेषण स्ट्रेटेजी, निरस्त्रीकरण और अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों की समस्या पर युद्ध प्रणाली के प्रभाव पर सूचना के अध्ययन, विचार-विमर्श और आदान-प्रदान में उन्नति ।

(3) ऐसे अध्ययन हस्तगत करने के लिए प्रशिक्षित सेविवर्ग की संस्था का निर्माण करना ।

(4) एक आवधिक पत्रिका द्वारा या अन्यथा संस्थान के क्रियाकलाप तथा रक्षा अध्ययनों और विश्लेषणों के क्षेत्र में निर्माणोन्मुख विचारधारा सम्बन्धी लेखों को प्रकाशित करना ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

युगोस्लाविया के साथ चलचित्रों का आदान-प्रदान

407. **श्री राम किशन गुप्त** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय तथा युगोस्लाविया के चलचित्रों के पारस्परिक आदान-प्रदान के सम्बन्ध में युगोस्लाविया की सरकार के साथ कोई बातचीत की जा रही है ; और

(ख) यदि हां, तो यह मामला इस समय किस अवस्था में है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) और (ख). सोशिलिस्ट फैडरल रिपब्लिक आप युगोस्लाविया के दूतावास ने फिल्मों के व्यापारिक आदान-प्रदान के सम्बन्ध में प्रार्थना की है और यह मामला विचाराधीन है ।

भारत में अमरीकी सैनिक मिशन

408. **श्री मोहन स्वरूप** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत में अमरीकी सैनिक मिशन का सारा खर्च भारत सरकार करती है ; और

(ख) यदि हां, तो अब तक किये गये खर्च का ब्योरा क्या है और इस मिशन में इस समय कितने सदस्य हैं ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री मु० क० चागला) : जी नहीं, संयुक्त राज्य अमरीका ने सैन्य सहायता कार्यक्रम के सम्बन्ध में जो सैनिक मिशन स्थापित किया है, भारत सरकार उसके कुछ स्थानीय खर्च ही उठा रही है जिन पर दोनों पक्षों में सहमति हो चुकी है । हमने मिशन को

अपना काम चलाने के लिए मुनासिब सेवायें और सुविधाएं प्रदान करने का वचन दिया था ; इनमें वस्तुगत सहायता भी शामिल है, जैसे जगह और इस मिशन के स्थानीय कर्मचारियों का वेतन और भारत में सामान की खरीद तथा यात्रा के खर्च में रुपये का अंशदान जिस पर समय-समय पर सहमति होती रहे। डालर का खर्च, जिसमें अमरीकी कर्मचारियों के वेतन और भत्ते भी शामिल हैं, अमरीकी सरकार बर्दाश्त करती है।

(ख) इन प्रबन्धों के अनुसार, भारत सरकार ने अब तक कुल मिलाकर 216·31 लाख रुपये दिये हैं, जिसमें 30 जून 1966 तक रुपये में खर्च होने वाले सभी सम्भावित व्यय शामिल हैं।

29 मार्च 1967 को इस मिशन में 27 अधिकारी और कर्मचारी कार्य कर रहे थे।

प्रादेशिक सेना

409. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1960 से 1965 तक कुल कितने व्यक्तियों ने प्रादेशिक सेना में अपने नाम दर्ज करवाये ;

(ख) कितने व्यक्तियों ने अपने वायदे पूरे किये हैं ;

(ग) कितने व्यक्ति 50 प्रतिशत से कम परेडों में उपस्थित हुए ;

(घ) कितने व्यक्तियों ने आयोजित सभी शिविरों में भाग लिया ; और

(ङ) वर्ष 1960 से 1965 तक उन पर कुल कितना व्यय हुआ ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) 41034।

(ख) 34800।

(ग) 6234।

(घ) 31922। इनके अतिरिक्त 8492 जिनके लिए शिविर में शामिल होना आवश्यक था, 1960-65 के दौरान साधारण के लिए बुला लिए गये थे।

(ङ) (1) 1960-65 के दौरान प्रादेशिक सेना पर उठा कुल खर्च 13,34,76, 638.08 रुपये था।

(2) उपरोक्त (घ) पर उठा लगभग खर्च 2,03,52,000,00 रुपये।

हिन्द महासागर में द्वीप

409. क **श्री ज्योतिर्मय बसु** : **श्री यशपाल सिंह** :
श्री उमानाथ : **श्री जार्ज फरनेन्डीज** :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) क्या यह सच है कि ब्रिटेन की सरकार हिन्द महासागर में कुछ द्वीपों को खरीदने

के लिए बातचीत कर रही थी ;

(ख) यदि हां, तो वे द्वीप कौन-कौन से हैं तथा उनके मालिक कौन हैं ;

(ग) क्या भारत सरकार प्रतिरक्षा की दृष्टि से इन द्वीपों को अपने अधिकार में लेना आवश्यक समझती है ; और

(घ) यदि हां, तो इस दिशा में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) जी हां ।

(ख) सुलभ सूचना के अनुसार नीचे लिखे द्वीपों की खरीद का विचार है :

(i) परकुहर (ii) डेस्त्रोचेस और (iii) घागौस

(ग) और (घ). सरकार ने अपनी रक्षा के उद्देश्य से किसी भी द्वीप को खरीदने की बात नहीं सोची है । सरकार इस बात पर विचार कर रही है कि अगर ब्रिटेन इन द्वीपों को खरीद लेता है, जैसी कि उसकी मंशा बताई जाती है, तो भारत पर उसका क्या असर पड़ेगा ।

विदेश स्थित राजदूतावासों द्वारा नियुक्त प्रचार परामर्शदाता

409 ख. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अमरीका के अतिरिक्त किन-किन देशों में भारतीय राजदूतावासों ने, वाशिंगटन स्थित भारतीय राजदूतावास के समान जिसने ठेके पर प्रचार परामर्शदाता नियुक्त कर रखे हैं, प्राइवेट फर्म नियुक्त कर रखी हैं तथा उन पर कितना व्यय किया जाता है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री मु० क० चागला) : किसी अन्य देश में नहीं, श्रीमन ।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

उत्तर प्रदेश तथा बिहार में चीनी का उत्पादन घट जाने से उत्पन्न स्थिति

श्री शिवाजीराव शं० देशमुख (परभणी) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न इस समय सभा के समक्ष ध्यान दिलाने वाली सूचना से सम्बधिन्त है । पहले यह प्रथा रही है कि यदि सभा के समवेत होने के एक घंटा पहले कोई सूचना प्राप्त हो तो वह सूचना देने वाले सदस्य का नाम ध्यान दिलाने वाली सूचना में जोड़ दिया जाता था, ऐसा न करना सदस्यों के बीच भेदभाव करना है ।

अध्यक्ष महोदय : यह सभी सूचनायें मैंने आज 10 बजकर 45 मिनट पर देखी हैं । इसलिए, मैं इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कर सकता ।

Shri Yashpal Singh (Dehra Dun): Mr. Speaker, Sir, I call the attention of the Minister of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation to the situation arising out of the fall in the production of sugar in U. P. and Bihar and situation faced by sugar factories in the country as a result of sugar-cene price fixed for 1966-67 season and request him to make a statement thereon:

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री शिन्दे) : चालू सीजन में उत्तर प्रदेश तथा बिहार में 9.4 लाख मीटरी टन चीनी का उत्पादन होने का अनुमान है जबकि 1965-66 में यह उत्पादन 17·41 लाख मीटरी टन और 1964-65 में 16.38 लाख मीटरी टन हुआ था। अनुमान है कि देश में चीनी का कुल उत्पादन 23 लाख मीटरी टन के आस-पास होगा जबकि 1965-66 में यह उत्पादन 35.1 लाख मीटरी टन और 1964-65 में 32.6 लाख मीटरी टन हुआ था। 1966-67 में चीनी का कम उत्पादन होने का कारण गन्ने की पैदावार में कमी और गन्ने का चीनी बनाने की बजाय गुड़ तथा खंडसारी बनाने में लगाना है। उत्तर प्रदेश और बिहार की राज्य सरकारों से प्राप्त सूचना के अनुसार गन्ने की पैदावार में कमी चीनी कारखानों के जोन में गन्ने के अन्तर्गत क्षेत्र में 15 प्रतिशत तक की कमी होने के कारण हुई है। ऐसा बुवाई के समय सूखे की स्थिति रहने के कारण हुआ। गन्ना उगने के समय सूखे की स्थिति रहने के कारण भी गन्ने की पैदावार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। गन्ने की उपलब्धि कम होने से भी गन्ना चीनी कारखानों की बजाय गुड़ तथा खंडसारी बनाने में प्रयुक्त किया गया।

2. जहां तक 1966-67 के सीजन के लिए गन्ने के मूल्य का सम्बन्ध है, प्रारम्भ में यह निश्चय किया गया कि मूल न्यूनतम मूल्य 1965-66 के स्तर पर ही रखा जाए अर्थात् 10.4 प्रतिशत या इससे कम उपलब्धि पर 5.36 रुपये प्रति क्विंटल साथ ही उपलब्धि में 0.1 प्रतिशत की प्रत्येक वृद्धि पर मूल्य में 4 पैसे प्रति क्विंटल अधिक देने की व्यवस्था हो। इस निर्णय की घोषणा मार्च, 1966 में की गयी थी। क्योंकि सीजन के शुरू में चीनी कारखानों को गन्ना प्राप्त करने में कठिनाई अनुभव होने लगी इसीलिए दिसम्बर, 1966 में स्थिति की पुनः समीक्षा की गयी और यह निर्णय किया गया कि 9.4 प्रतिशत या इससे कम उपलब्धि पर और उपलब्धि में वैसी वृद्धि पर अधिक मूल्य देने की पूर्वतः व्यवस्था के साथ गन्ने का मूल्य बढ़ाकर 5.68 रुपये प्रति क्विंटल किया जाए। उत्तर प्रदेश सरकार की सिफारिश पर लखीमपुर खेरी, हरदोई और सीतापुर जिलों के कारखानों को छोड़कर जो कि मुख्यतः गुड़ तथा खंडसारी के उत्पादन के क्षेत्र हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के चीनी कारखानों को गन्ना प्राप्त करने में मदद करने की दृष्टि से गुड़ तथा खंडसारी बनाने वालों के मुकाबले में गन्ने का 6.68 रुपये प्रति क्विंटल मूल्य देने की अनुमति दी गयी थी।

Shri Yashpal Singh: The present state of affairs has been caused by Government's showing favours to mill-owners. Will the Government explain her position regarding step-motherly treatment meted out to the farmers.

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री जगजीवन राम) : बहुत से कारखाने बन्द हो चुके हैं और गन्ना मिल नहीं रहा है। इस समय गन्ने का मूल्य बढ़ाने से कोई लाभ नहीं होगा। परन्तु मैं सभा

को आश्वासन देता हूं कि गन्ने के मूल्य में वृद्धि के प्रश्न पर शीघ्र ही पुनर्विचार किया जायेगा। सौतेली मां जैसे व्यवहार का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

श्री वी० कृष्णमूर्ति (कुड्डलूर) : चीनी उद्योग पर नियंत्रण के मामले में पिछले तीन-चार वर्ष से कुछ घोटाला चल रहा है। मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या कोई वक्तव्य देने से पहले वह चीनी उद्योग की वास्तविक स्थिति को समझेंगे।

श्री स्वतन्त्र सिंह कोठारी (मंदसौर) : क्या गन्ने के मूल्य में वृद्धि से चीनी के मूल्य भी बढ़ जायेंगे ?

श्री जगजीवन राम : ऐसा होना अनिवार्य नहीं है। जब भी गन्ने के मूल्य में वृद्धि होगी तो इसे लाभ की दर अथवा उपकर की दर में परिवर्तन द्वारा पूरा करने का प्रयत्न किया जायेगा।

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : With the constant increase in the price of sugar the proportion of Government taxes and profits etc. are increasing but the share of farmers is not correspondingly increasing. May I know the reasons of the sugar mills not being able to give such rates to farmers as are being given by Gur and Khandsari industry inspite of the modernisation and mechanisation of sugar industry ?

श्री शिन्दे : चीनी के मूल्य का 43 से 44 प्रतिशत तक भाग गन्ने का मूल्य होता है। उत्पादन पर व्यय लगभग 21 प्रतिशत होता है जिसमें से लाभ केवल 6 अथवा 7 प्रतिशत होता है। उत्पादन शुल्क 28.6 प्रतिशत तथा गन्ना क्रय कर 4.1 प्रतिशत होता है।

Shri Jagjivan Ram : The overhead costs in Gur and Khandsari industry are less than those in sugar industry. Moreover, there is no control on Gur and Khandsari.

Dr. Ram Manohar Lohia (Kannauj) : May I know whether Government have decided to give subsidy to cane-growers in Bihar and Uttar Pradesh or they have chosen to nationalise the sugar mills in these states.

Shri Jagjivan Ram : It is a suggestion for action. The future of cane growers in Uttar Pradesh and Bihar depends upon the production of sugar-cane per acre and sugar content therein.

Shri George Fernandes (Bombay South) : I would like to know the quantity of sugar to be exported this year ?

श्री शिन्दे : हमने यह दृढ़ निर्णय किया है कि चीनी का और निर्यात नहीं किया जायेगा परन्तु पहले के वचनों को पूरा किया जायेगा। इसके लिए 2.4 लाख टन चीनी निर्यात करनी होगी। हम यह चीनी उन देशों को निर्यात करेंगे जहां हमें अधिक मूल्य मिलेंगे। यह मूल्य लन्दन के मूल्य के अनुसार घटते बढ़ते रहते हैं।

Shri Ishaq Sambhali (Amroha) : Are the Government aware that the reason of less supply of sugar-cane to milks is the non-payment of dues to the farmers ? Will the Government take any steps to arrange the payment of those dues.

श्री शिन्दे : इसके लिए हमने शक्तियां राज्य सरकार को दी हैं और हमें आशा है कि राज्य सरकारें उसे लगान के बकाये के रूप में वसूल करेंगी ।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही (भुवनेश्वर) : सरकार उड़ीसा तथा कमी वाले अन्य राज्यों में चीनी की कमी कहां तक दूर कर पाई है ।

श्री शिन्दे : फरवरी तक हम लगभग 2,52,000 मीट्रिक टन चीनी का वितरण करते रहे हैं परन्तु अब उत्पादन में कमी होने के कारण समूचे देश में 1,85,000 मीट्रिक टन चीनी का वितरण किया जायेगा ।

Shri Ram Sewak Yadav (Bara Banki): The production of sugar-cane and sugar continues to fluctuate. Will the Government try to establish parity between prices of sugar-cane, sugar and other food grains?

Shri Jagjivan Ram: We have been considering the question of price parity but it is difficult to say how far we will be able to achieve it. It is, however, very important to see that the sugar-cane growers get fair price for their sugar-cane and the mills get a reasonable profit.

श्री काशीनाथ पाण्डेय (पदरौना) : क्या आपका चीनी से नियंत्रण हटाने का अथवा गन्ने के मूल्य इस प्रकार निर्धारित करने का विचार है जिससे कृषकों को वही मूल्य प्राप्त हो सके जो उन्हें गुड़ तथा खंडसारी के उत्पादकों से मिल रहे हैं ।

श्री जगजीवन राम : चीनी के कारखानों के मालिक भी यही चाहते हैं । सरकार इस बारे में अभी कुछ नहीं कह सकती ।

Shri George Fernandes: On a point of order, Sir.....

अध्यक्ष महोदय : जो मामला कार्य-सूची में दर्ज न हो, उसके सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठाया जा सकता ।

Shri Onkar Lal Berwa (Kotah): I had given notice of a Calling Attention Notice relating to lifting of an M. L. A. by the dacoits.

अध्यक्ष महोदय : हम इस बारे में देखेंगे । माननीय सदस्य बैठ जायें ।

Shri Madhu Limaye: The Prime Minister should give a statement regarding shifting of her residence to Tin Murti.

अध्यक्ष महोदय : श्री गोपालन ने इस सम्बन्ध में मुझे पत्र लिखा है ।

सभा-पटल पर रखे गये पत्र
PAPERS LAID ON THE TABLE

चीन के बारे में श्वेत पत्र संख्या XIII

वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री मु० क० चागला) : मैं श्वेत पत्र संख्या XIII की एक प्रति जिसमें फरवरी, 1966 से फरवरी, 1967 तक की अवधि में भारत सरकार द्वारा चीन को और

चीन द्वारा भारत सरकार को भेजे गये नोट, ज्ञापन तथा पत्र दिये गये हैं सभापटल पर रखता हूं। **[पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी०-188/67]**

चलचित्र संशोधन नियम तथा प्रेस परिषद संशोधन नियम

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (श्रीमती नन्दनी सत्पथी) : मैं श्री के० के० शाह की ओर से चलचित्र अधिनियम, 1952 की धारा 8 की उप-धारा (3) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखती हूं :

(एक) चलचित्र (सेंसर व्यवस्था) संशोधन नियम, 1967 जो दिनांक 4 मार्च, 1967 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 279 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) चलचित्र (सेंसर व्यवस्था) दूसरा संशोधन नियम, 1967 जो दिनांक 25 मार्च, 1967 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 405 में प्रकाशित हुए थे। **[पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी०-189/67]**

(3) प्रेस परिषद् अधिनियम, 1965 की धारा 22 की उप-धारा (3) के अन्तर्गत प्रेस परिषद् (तीसरा संशोधन) नियम, 1966 की एक प्रति जो दिनांक 24 दिसम्बर, 1966 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1974 में प्रकाशित हुए थे। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०-190/67]**

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति
PRESIDENTS ASSETS TO BILLS

सचिव : मैं चालू सत्र में संसद् की दोनों सभाओं द्वारा पारित किये गये निम्नलिखित आठ विधेयक, जिन पर 18 मार्च, 1967 को सभा में पिछली बार प्रतिवेदन देने के पश्चात् राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त हुई थी, सभा-पटल पर रखता हूं :

(1) विनियोग विधेयक, 1967

(2) विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1967

(3) विनियोग (रेलवे) विधेयक, 1967

(4) विनियोग (रेलवे) लेखानुदान विधेयक, 1967

(5) गोवा, दमण और दीव विनियोग विधेधक, 1967

(6) गोवा, दमण और दीव विनियोग (लेखानुदान) विधेयक 1967

(7) राजस्थान विनियोग विधेयक, 1967

(8) राजस्थान विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1967

स्वर्गीय प्रधान मंत्री नेहरू के एक विदेशी बैंक में खाते के बारे में वक्तव्य

STATEMETS RE: ACCOUNT OF LATE PRIME MINISTER NEHRU IN A FOREIGN BANK

Dr. Ram Manohar Lohia (Kannauj): Mr. Speaker, Sir, allow me to correct the false statement made by the Hon. Home Minister. On the 20th March, he told the House that my statement was entirely false. He stated that Shri Morarji Desai had not gone to any bank. I directly or indirectly did not say that. It is bad to put words in one's mouth, which one has never said and then say that the said person has told a lie. I never said that Shri Desai had gone to any bank. It is possible that the Hon. Minister may say this time that I have referred about the checking of the bank accounts by Shri Desai although not about going to the Bank. False statement is made only by mixing half true to statement and half false statement. The facts are: The former Prime Minister Shri Nehru had an account with Lloyds Bank in England. According to Foreign Exchange Regulations this account should have been closed after independence but this was continued from 1947 to 1960 say about 13 years illegally in one form or the other. In the beginning it might have been an act of carelessness on the part of the Prime Minister but afterwards he might have felt the need of depositing or spending this money for his relatives. The Prime Minister asked the Finance Minister to hush up the matter when some one started using few articles with photographs. The Finance Minister then talked to the Chancellor of Exchequer and Governor of the Bank of England. This illegal account of foreign exchange of the Prime Minister of India then removed in such a way that it left no trace behind. I would give you another instance of the false statement of the Home Minister. On the 20th March, he stated that "his publisher had naturally some credits but they were completely subject to regulations the Foreign Exchange Regulations." This sentence does not convey any meaning. Only when a person has to conceal something or to tell a lie he speaks such complicated sentences. The publisher keeps separate accounts for separate books. He neither gives nor deposits anything in the account of the author on the sale of each copy of the book. The publisher issues a cheque after six months or year or two after completing the accounts and so the question of credit and debit does not arise at any stage. The moment such a cheque is received by an Indian author it becomes subject to the Foreign Exchange Regulations.

The Hon. Home Minister and other such persons have always charged me that I am prejudiced against Nehru family. But reverse is the case, the followers of a particular faith repeat the name of their great man and during the last fifteen years such a thing has happened in India which could be termed as allergy. It is the duty of the people who consider a particular faith harmful that they should attack the very source of origin of the faith and expose the reality about its greatest personality. I have not done more than that.

The total annual income of India is Rs. 18,000 crores according to the statistics of the Government of India and according to me it is 15,000 crores of rupees. One per cent of total population i. e. fifty lakhs of persons get 33 per cent. to 50 per cent. of it which amounts to 5,000 crores to 9,500 crores of rupees out of the total national income i. e. 75,00 crores of rupees for 50 lakhs persons and an equal amoun t is shared by the rest of the people, that is, 49 crores and fifty lakh people. This results not only in poverty but also that capital formation and improvement in the industry and agriculture be comes impossible. The illegal accounts of foreign exchange are an example of such extravagance and luxury. The period after 1947 has been a period of enjoying and amassing wealth.

It is surprising that Shri Chavan replied to what I have said about Shri Desai. Shri Desai might have hesitated to tell a white lie. Even if he now tells a lie, his not speaking in the beginning and Shri Chavan's holding a brief for him, will become a very strong argument.

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : पंडित जवाहर लाल नेहरू के खातों के बारे में मुझे व्यक्तिगतरूप से जानकारी नहीं थी। 20 मार्च को लोक-सभा में वक्तव्य देने से पूर्व मैंने आवश्यक जानकारी प्राप्त की थी। तथ्य यह है कि पंडित नेहरू का लायडज बैंक, इंगलैंड में कोई खाता नहीं था। फिर भी लन्दन में अपने प्रकाशक के पास उनका रायलटी का खाता था। उनकी पुस्तक से मिलने वाली रायलटी को उनके इस खाते में जमा कर दिया जाता था। और उस राशि को समय-समय पर भारत में लाया जाता रहा है। इस खाते के बारे में भारत के रिजर्व बैंक तथा वित्त मंत्रालय को जानकारी थी। यह लेखा रिजर्व बैंक द्वारा लगाई गई सीमाओं के अन्दर था। वित्तमंत्री अथवा किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा इस लेखे की जांच तथा निरीक्षण का कोई अवसर नहीं था। यह कहना बिल्कुल गलत है कि वित्तमंत्री ने इंगलैंड में बैंक तथा चांसलर आफ एक्सचैकर से कभी बातचीत की है।

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरार जी देसाई): आशा है कि मेरे उस दिन न बोलने से माननीय सदस्य कोई अनुचित निष्कर्ष नहीं निकालेंगे। मुझे उस दिन बोलने के लिए नहीं कहा गया था।

1960 में जब यह प्रश्न उत्पन्न हुआ था उस समय मैं वित्तमंत्री था। पंडित नेहरू द्वारा इंगलैंड में कोई अनधिकृत लेखा रखने का कोई प्रश्न ही नहीं है इसलिए किसी व्यक्ति द्वारा फोटो के साथ उसको उनके तथा मेरे ध्यान में लाने का कोई प्रश्न नहीं था। किसी ने यह कहानी बनाकर मेरे माननीय मित्र डा० राममनोहर लोहिया को सुना दी है। ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने इस पर विश्वास कर लिया है।

हुआ यह था कि स्वयं प्रधान मंत्री ने मेरे साथ बैंक में अपने खाते का उल्लेख किया था और इस धन को खर्च करने के बारे में पूछा था क्योंकि उस समय कुछ धन वह अपने सम्बन्धी पर खर्च करना चाहते थे। मैंने खाते को देखा था तथा तथ्यों की पुष्टि की थी। 1947 से पूर्व भी प्रधान मंत्री का खाता था। 1947 में बनाये गये नियमों द्वारा सभी को अपने पहले वाले खाते रखने की अनुमति दी गई थी। यदि वह कुछ खर्च करना चाहते हों तो उनको इस खर्च के बारे में रिजर्व बैंक को बताना पड़ता था। यही एक शर्त थी। 1947 के बाद अर्जित किये गये धन को तुरन्त भारत लाना पड़ता था। यही नियम था और यह नियम आज भी है।

1947 के बाद प्रधान मंत्री को अपने प्रकाशक से मिलने वाले धन को, जोकि रायलटी के रूप में उनके खाते में जमा करा दिया जाता था, तुरन्त भारत लाया जाता रहा है।

प्रधान-मंत्री के 'प्री ज़िरो' खाते में लगभग 3,000 पौंड थे। नौ अथवा दस बर्ष की अवधि में प्रधान मंत्री ने लगभग दो हजार पौंड व्यय किये। मैं यह सब अपनी याददाश्त से कह

रहा हूं। उस समय यह प्रश्न उत्पन्न हुआ था कि यह हो सकता है कि कभी कोई व्यक्ति यह कहे कि प्रकाशक कुछ समय तक इस रुपये को अपने पास रखने के बाद जमा कराता हो जो कि एक ठीक बात नहीं है इसलिए यह किया गया कि प्रकाशक के बजाय जो व्यक्ति रायलटी देते हैं वे सीधे खाते में जमा करा दें। इस मामले में इंगलैंड के चांसलर के साथ बात करने का कोई प्रश्न ही नहीं था। मैंने कभी कोई बात नहीं की। यह पूर्णतया झूठ है। लगभग एक अथवा दो वर्षों के बाद स्वयं प्रधान मंत्री ने इस खाते को बन्द कर दिया था।

Dr. Ram Manohar Lohia : This matter should be referred to the committee of privilege as one out of these two Ministers definitely telling a lie.

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : The statements of the two Ministers are contradictory.

अत्यावश्यक वस्तु (संशोधन) विधेयक
ESSENTIAL COMMODITIES (AMENDMENT) BILL

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह): मैं प्रस्ताव करता हूं कि अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 में अग्रेतर संशोधन करने तथा अत्यावश्यक वस्तु (संशोधन) अधिनियम, 1964 को अग्रेतर अवधि के लिए जारी रखने वाले विधेयक को पुर: स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 में अग्रेत्तर संशोधन करने तथा अत्यावश्यक वस्तु (संशोधन) अधिनियम, 1964 को अग्रेत्तर अवधि के लिए जारी रखने वाले विधेयक को पुर: स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

श्री दिनेश सिंह : मैं विधेयक को पुर:स्थापित करता हूं :

अत्यावश्यक वस्तु (दूसरा संशोधन) अध्यादेश के बारे में विवरण
STATEMENT RE : ESSENTIAL COMMODITIES (SECOND AMENDMENT) ORDINANCE

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह): मैं अत्यावश्यक वस्तु (दूसरा संशोधन) अध्यादेश, 1966 द्वारा तुरन्त विधान बनाने के कारण बताने वाले व्याख्यात्मक विवरण की एक प्रति लोक-सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 71 (1) के अन्तर्गत सभा-पटल पर रखता हूं।

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रस्ताव—जारी

MOTION ON PRESIDENT'S ADDRESS—Contd.

श्री समर गुह (कन्टायी): मैं प्रथम बार इस सभा में बोल रहा हूं। नये सदस्य के नाते जब मैंने सैन्ट्रल हाल में प्रवेश किया, तो भारत के कई निर्माताओं के चित्र लगे देख कर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। मैं नेताजी सुभाष बोस का चित्र देखने के लिए भी उत्सुक था परन्तु यह जान कर मुझे बड़ा दुख हुआ कि उनका वहां पर कोई चित्र नहीं लगा हुआ है। सरकार द्वारा अपनाई जा रहीं नीति से ऐसा लगता है कि सरकार ने नेताजी की प्रतिष्ठा को कम करने तथा राष्ट्रीय स्वतन्त्रता के इतिहास में उनको द्वित्तीय श्रेणी के नेता दिखाने के लिए जानबूझकर ऐसा किया गया है। सरकार ने देश तथा विदेश में यह प्रभाव पैदा करने के लिए कि भारत ने गांधीजी के नेतृत्व में अहिंसा द्वारा स्वतन्त्रता प्राप्त की है। मेरे दिल में गांधी जी के लिए किसी से कम मान नहीं है फिर भी यह कहना कि भारत ने अहिंसा द्वारा स्वतन्त्रता प्राप्त की है तथ्यों को गलतरूप में पेश करना है। नेताजी की राष्ट्रीय सेना का भी इसमें एक बड़ा भाग है। गांधीजी के आन्दोलन के साथ-साथ देश के क्रान्तिकारियों का भी इसमें एक मुख्य भाग रहा है। इस क्रान्तिकारी परम्परा में नेताजी का नाम सबसे ऊंचा है। यदि हम गांधीजी की परम्परा से शान्तिपूर्ण राष्ट्रवाद के मूल्यों को स्मरण रखते हैं तो हमें क्रान्तिकारियों तथा नेताजी की परम्परा से उनके क्रान्तिकारी राष्ट्रवाद को भी याद रखना चाहिए।

स्वतन्त्रता का इतिहास लिखने के लिए डा० आर० सी० मजुमदार की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई थी। परन्तु उस समिति को इस कारण समाप्त कर दिया गया क्योंकि उनका दृष्टिकोण यह था कि यद्यपि हमारे स्वतंत्रता-संग्राम में गांधीजी तथा अहिंसक आन्दोलन का योगदान शानदार था तथापि क्रान्तिकारियों तथा नेताजी के क्रान्तिकारी आन्दोलन और आजाद हिन्द सेना का योगदान भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। इसके कुछ वर्ष बाद भी "हां में हां मिलाने वाले" कुछ व्यक्तियों की एक समिति बनाई गई।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य अपने भाषण मध्याह्न भोजन के पश्चात् जारी रख सकते हैं।

इसके पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए दो बजे म० प० तक के लिए स्थगित हुई।

The Lok Sabha Then Adjourned for Lunch Till Fourtcen of the Clock

लोक सभा मध्याह्न भोजन के पश्चात दो बजे म० प० पुनः समवेत हुई

The Lok Sabha re : assembled after Lunch At Fourteen of the Clock

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Deputy Speaker in the Chair]

श्री समर गुह : भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास को जानबूझ कर तोड़-मोड़ कर पेश करने के प्रयास किये गये हैं। हमारे कुछ नेताओं का विचार था कि यदि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में क्रान्तिकारियों को उचित स्थान दिया जाता है तो हमारे कई नेता प्रतिष्ठा की द्वितीय श्रेणी में आ जायेंगे। यही कारण है कि सेन्ट्रल हाल, संसद भवन में तथा दिल्ली में कहीं भी नेताजी की प्रतिमा लगी दिखाई नहीं देती। इसी कारण से भारत सरकार नेताजी के जन्म-दिवस को भी नहीं मनाती है। सरकारी कार्यालयों में भी नेताजी का चित्र दिखाई नहीं देता। इसी कारण आकाशवाणी ने भी नेताजी द्वारा किये गये उनके महान कार्यों की ओर ध्यान नहीं दिया है। लाल किलों के 'प्रकाश और ध्वनि' कार्यक्रम में भी गान्धीजी और पंडित नेहरू को ही सुनाया जाता है परन्तु नेताजी की ध्वनि को उसमें सम्मिलित नहीं किया जाता है।

यही कारण है कि सरकार ने नेताजी तथा आजाद हिन्द फौज सम्बन्धी मूल्यवान दस्तावेज जो कि जर्मनी तथा दक्षिणी पूर्वी एशिया में गुम हो गये थे एकत्र नहीं किया है। सिंगापुर में जहां नेताजी का निवास-स्थान था और जहां अस्थाई सरकार स्थापित थी दो चीनी व्यक्तियों ने क्रय कर लिया है। ऐसा सरकार की नेताजी के प्रति उपेक्षा की नीति के कारण ही हुआ है। मैं सिंगापुर की सरकार तथा मलयेशिया के राष्ट्रपति से मिला था वे इस पर सहमत थे कि यदि भारत सरकार के कहने पर वे इन स्थानों को उन्हें दे देंगे। नेताजी अण्डमान तथा निकोबार द्वीपों के नाम बदलकर स्वराज्य तथा शहीद द्वीप रख दिये थे क्योंकि इन द्विपों को नेताजी ने मुक्त करा लिया था और ऐसा करते हुए बहुत से लोग शहीद हो गये थे। परन्तु आजादी के बाद हमारे नेताओं तथा सरकार ने नेताजी द्वारा दिये गये नामों को बनाये रखने की परवाह नहीं की।

नेताजी एक महान क्रान्तिकारी देशभक्त तथा लड़ाकू थे। शिवाजी के बाद वह सबसे बड़े सैनिक हुए हैं। बर्मा में जापानी सेना के कमान्डर ने उनकी भरपूर प्रशंसा की है। परन्तु यह दुख की बात है कि स्वतंत्र भारत में सरकार ने नेताजी के एक सैनिक के नाते किये गये कार्यों को राष्ट्रीय सेना के समक्ष रखना उचित नहीं समझा।

नेता के रूप में नेताजी के कार्यों का मूल्यांकन करने के लिये कोई प्रयास नहीं किया गया है। नेताजी के नाम से कोई सैनिक अकादमी नहीं बनाई गई है। यह कितनी शर्म की बात है कि इस सरकार ने हमारे देश को स्वतंत्र कराने के लिये जो योगदान नेताजी ने दिया उसे हमारे सैनिकों के सामने नहीं रखा है। यह भी कितनी शर्म की बात है कि नेताजी के नाम पर कोई सैनिक उपाधि, पदवी अथवा कोई शूरता-पारितोषिक नहीं रखा गया है।

यह एक ऐतिहासिक सच्चाई है कि गांधी जी तथा अन्य कांग्रेसी नेताओं के कारण ही, जिन्होंने उनके तुरन्त राष्ट्रीय युद्ध करने के कार्यक्रम को स्वीकार करने से इंकार कर दिया था, नेताजी को विवश होकर भारत छोड़ना पड़ा और एक खतरे का रास्ता अपनाना पड़ा, परन्तु हमारी सरकार ने उस महान व्यक्ति के प्रति सम्मान प्रकट करने की उदारता भी नहीं दिखाई है। आज हम सब गांधी जी को राष्ट्रपिता मानते हैं परन्तु क्या सरकार को इस चीज का पता है, क्या सभा को यह बात याद है कि सबसे पहले सुभाषचन्द्र ने ही गांधी जी को राष्ट्रपिता कह कर

पुकारा था। यह दुख की बात है कि ऐसे व्यक्ति को जिसे दो बार कांग्रेस का प्रधान चुना गया था उसे नेहरू-पटेल और आजाद के नेतृत्व में काम करने वाली कांग्रेस ने कांग्रेस से निकाल दिया। इन सब चीजों के बावजूद भी उस महान व्यक्ति ने इन बातों को व्यक्तिगत रूप नहीं दिया और आजाद हिन्द फौज में नेहरू, पटेल और आजाद के नाम से कई ब्रिगेड बनाये।

अब मैं आजाद हिन्द फौज के बारे में कुछ कहना चाहूंगा। संसार में किसी भी स्वतंत्र देश में क्रान्तिकारी सेना को इतना बड़ा धोखा नहीं दिया गया है जितना कि हमने आजाद हिन्द फौज को दिया है। अंग्रेजी शासन के विरुद्ध बहादुरी से लड़ने वाली आजाद हिन्द फौज के किसी भी सैनिक को हमारी राष्ट्रीय सेना में नहीं लिया गया है। यह हमारे लिये कितनी शर्म की बात है। आजाद हिन्द फौज के केवल उन्हीं सैनिकों को भारतीय राष्ट्रीय सेना में लिया गया जिन्होंने यह बयान दिया कि हम केवल दबाव में आकर ही आजाद हिन्द फौज में शामिल हुए थे। दूसरे सैनिकों को न केवल राष्ट्रीय सेना में लिया गया बल्कि उनको भत्ते और वेतन आदि भी अब तक नहीं दिये गये हैं। आजाद हिन्द फौज का इतिहास भी नहीं लिखा गया है। हम राष्ट्रीय एकता की बात करते हैं। हम हिन्दू-मुस्लिम एकता के बारे में नारे लगाते हैं। परन्तु यह नेताजी ही थे जिन्होंने हिन्दुओं, मुसलमानों, सिखों, ईसाइयों तथा अन्य धर्मों के लोगों को आजाद हिन्द फौज में भर्ती करके राष्ट्र की एकता को बढ़ावा दिया।

नागालैंड के बारे में बहुत सी बातें कही जाती हैं। परन्तु क्या यह बात किसी के ध्यान में आई है कि विद्रोही नागा नेता श्री फिजो ने कई बार यह बयान दिया है कि नेताजी उनके नेता थे और वे उनका अनुसरण करेंगे। क्या किसी को इस बात का पता है बहुत से नागाओं के घरों में नेताजी की मूर्ति है। क्या हमें पता है कि हजारों नागा लोग आजाद हिन्द फौज के अन्य सैनिकों के साथ कन्धे से कन्धा मिलाकर लड़े थे। परन्तु कोहिमा अथवा इम्फाल आदि में उनका कोई स्मारक तक नहीं बनाया गया है।

अब मैं नेताजी के रहस्य के बारे में कुछ कहूंगा। इस बारे में जांच करने के लिये बनाये गये आयोग का प्रधान बनाये जाने से पहले मैं शाहनवाज खां को कई बार मिला था और उन्होंने मुझे बताया था कि मुझे विमान दुर्घटना कहानी में विश्वास नहीं है। मैंने टोकियो जाकर रिनकोजी मन्दिर में नेताजी की कथित विमान दुर्घटना में बारे के पूछताछ की थी। मैं वहां के पुजारी को मिला तो उसने मुझे एक कहानी सुनाई। उसने कहा कि जापान द्वारा हाथियार डाले जाने के बाद तीन व्यक्ति उस मन्दिर में एक टोकरी लेकर आये थे जिसमें नेताजी की अस्थियां थीं। उनमें से दो व्यक्ति तो जापान के रहने वाले थे और एक भारतीय था। भारतीय और जापान के एक व्यक्ति के बारे में तो कुछ पता नहीं चल सका। परन्तु जापान के दूसरे व्यक्ति का पता लग गया था और उसे भी इस कहानी के बारे में कुछ पता नहीं था। जो भी पूछताछ की गई है उससे यह मालूम होता है कि अनेक प्रमुख लोग इस कहानी पर विश्वास नहीं करते हैं कि नेताजी की मृत्यु विमान दुर्घटना में हो गई है। अब भारत सरकार को उनकी मृत्यु के रहस्य के बारे में नये सिरे से जांच करनी चाहिए। नेताजी जिन्दाबाद।

श्रीमती सुशीला रोहतगी (बिल्हौर) : हमारे राष्ट्रपति ने अपने अभिणाषण में देश की वर्तमान स्थिति का उल्लेख किया है। उसके अन्त में उन्होंने हम सबको अपील की है कि यदि हम सब मिलकर काम करें तो यह संकट आसानी से टल सकता है। इस संकट काल में सबसे पहला और मुख्य प्रश्न खाद्य का है। मुझे यकीन है कि प्रत्येक सदस्य इस बात से सहमत होगा कि जब हम दूसरे देशों से अनाज मांगने जाते हैं तो हमारा सम्मान कम हो जाता है। कांग्रेस सरकार इस बात के लिये धन्यवाद की पात्र है कि उसने 1971 के बाद विदेशों से अनाज मांगना बिल्कुल बन्द करने की बात कही है। मैं एक बात और बताना चाहती हूँ कि हमारे निर्यात में वृद्धि नहीं की गई है और इसके फलस्वरूप हमारे देश में बहुत मूल्यवान विदेशी मुद्रा खर्च करके विदेशों से अनाज मंगवाया गया है।

हमारी खाद्य समस्या इसलिये भी विकट बन गई है क्योंकि हमारी जनसंख्या में वृद्धि हो गई है। इसलिये इस समस्या को हम तब हल कर सकते हैं जब देश में उत्पादन बढ़ेगा। देश में उत्पादन तब बढ़ सकता है जब हम कृषि पर अधिक धन खर्च करें। हम कृषि पर खर्च भी तब कर सकते हैं जब हम अपने पास धन जमा करेंगे। अतः इस संकट को दूर करने के लिये हमें अपने आर्थिक ढांचे को ठीक करना पड़ेगा। क्योंकि हमारे संसाधन सीमित हैं इसलिये हमें सबसे पहले अपनी योजना पर पुनर्विचार करना चाहिये। अब हम अपनी जनता पर करों का और अधिक भार नहीं डाल सकते हैं। अतः हमें अपने योजनाओं का फिर से मूल्यांकन करना चाहिये और अत्यन्त आवश्यक बातों को ही प्राथमिकता देनी चाहिये।

भारत के किसान के बारे में बहुत कुछ कहा गया है। उसके पास बीज, खाद, राज-सहायता आदि तो होते हैं परन्तु इन सब चीजों का उसे कुछ लाभ नहीं पहुंच सकता जब तक हम उसके लिये सिंचाई सुविधायें उपलब्ध नहीं कर देते। हमारा किसान इस बात के लिये प्रशंसा का पात्र है कि जब वह अपनी आंखों के सामने सिंचाई सुविधाओं के अभाव के कारण अपनी फसल नष्ट होती हुई देखता है तो वह केवल ठंडी सांस लेकर ही चुप रह जाता है और इस सब नुक्सान के लिये भी धैर्य कर लेता है। अब समय आ गया है जब हमें अपने किसान के लिये प्रत्येक सुविधा की व्यवस्था करनी पड़ेगी। सबसे पहले उसे सिंचाई की सुविधा प्रदान की जानी चाहिए। वह इस सुविधा के अभाव में कुछ नहीं कर सकता है। उसकी सिंचाई सम्बन्धी बकाया राशि या तो समाप्त कर दी जानी चाहिए या उसे आधा कर दिया जाना चाहिये।

जहां तक उत्तर प्रदेश में चीनी उद्योग का सम्बन्ध है मैं यह निवेदन करना चाहती हूं कि चीनी का निर्यात करके हमें 8 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा मिला करती थी परन्तु उत्तर प्रदेश में इस उद्योग में गिरावट आ रही है क्योंकि हम उन्हें सिंचाई सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिये धन नहीं दे सकते हैं। अतः इन सब समस्याओं को ध्यान में रखते हुए हमें अपनी चौथी पंचवर्षीय योजना पर पुनर्विचार करना चाहिए। अब चूंकि बहुत से राज्यों में अनाज की कमी है इसलिए मैं तो कहूंगी कि हमें अपने कल्याणकारी कार्यों को स्थगित कर देना चाहिए।

परिवार नियोजन बहुत अच्छी चीज है। सरकार को परिवार नियोजन कार्यक्रम की

प्रगति के बारे में ध्यान रखना चाहिए। यह बात मेरे ध्यान में लाई गई है कि निम्न स्तर के अधिकतर लोग इस कार्यक्रम का अनुसरण नहीं करते हैं। अतः मैं यह चाहूंगी कि सरकार इस बात की ओर अवश्य ध्यान दे।

राष्ट्रपति ने हमारा ध्यान युवकों में फैले असन्तोष की ओर भी दिलाया है मेरा यह मत है कि उनमें असन्तोष ही नहीं अपितु निराशा भी है। हमारे समाज में बढ़े हुए जीवन निर्वाह मूल्य के साथ-साथ जो परिवर्तन हो रहा है, विज्ञान और तकनीकी जानकारी के जो नये विचार आ रहे हैं इन सब बातों से बेचारा विद्यार्थी अपने आप को कठिन स्थिति में पा रहा है। इसके अलावा जब वह स्नातक बन जाता है और उसे उचित रोजगार नहीं मिलता है तो उसकी निराशा और बढ़ जाती है। इन परिस्थितियों में हमारे समाज में एक उथल-पुथल पैदा हो गई हैं। अतः स्थिति को सुधारने के लिये मैं एक सुझाव देना चाहती हूं। सरकार को एक ऐसा युवक निदेशालय खोलना चाहिए जिसमें युवक प्रतिनिधि भी शामिल हों। ये प्रतिनिधि उनकी मांगों को प्रस्तुत करके उनको पूरा भी करवा सकेंगे। यदि ऐसा किया जायेगा तो मुझे आशा है कि उनकी आधी समस्या तो अवश्य ही हल हो जायेगी।

साथ ही साथ मैं यह भी कहना चाहूंगी कि हमारी शिक्षा पद्धति में भी परिवर्तन किया जाना चाहिए। इसे अधिक यथार्थवादी बनाया जाना चाहिए।

अब मैं विरोधी दलों में अपने माननीय सदस्यों से भी प्रार्थना करूंगी। कई बार वे समाज में फैले असन्तोष से लाभ उठाना चाहते हैं। मैं उनसे प्रार्थना करूंगी कि उन्हें समाज में फैले असन्तोष से लाभ नहीं उठाना चाहिए। उन्हें केवल विरोध ही नहीं करना चाहिये बल्कि रचनात्मक विरोध करना चाहिए ताकि उनके रचनात्मक काम से देश को लाभ पहुंच सके। मुझे जो बोलने का समय दिया गया है मैं उसके लिये धन्यवाद देती हूं।

प्रो० आर० के० अमीन (धनधुका) : सबसे पहले मैं आर्थिक नीति के बारे में कुछ कहना चाहूँगा। मेरा यह विश्वास था कि श्री अशोक मेहता, जिन्होंने खाद्यान्न नीति समिति की रिपोर्ट लिखी थी, श्री मोरारजी देसाई, जिनको वित्त मंत्रालय का बहुत अनुभव है, डा० वी० के० आर० वी० राव, जो एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री हैं के शामिल होने से हमारी आर्थिक नीति ठीक हो जायेगी परन्तु खाद्यान्न, अवमूल्यन और आय-व्ययक पर वाद-विवाद से पता चलता है कि सरकार ठीक रास्ते पर नहीं चल रही है। इसलिये मैं आर्थिक नीति पर तीन सुझाव देना चाहूंगा। पहला सुझाव कृषि नीति, दूसरा मूल्य सम्बन्धी नीति और तीसरा निम्नतम जीवन-निर्वाह स्तर के बारे में है।

राष्ट्रपति के अभिभाषण में यह कहा गया है कि हम 1971 तक अनाज के मामले में आत्म-निर्भर होने का प्रयत्न करेंगे। परन्तु यदि सरकार वैसे ही चलती रहेगी जैसे वह 1947

के बाद से चलती आ रही है तो वह अपने वचन को कैसे पूरा कर सकेगी ? मेरे विचार से सरकार ने चुनाओं के परिणामों से यह नहीं सीखा है कि जनता अब एक या दो साल से अधिक समय तक आत्म-निर्भरता के लिये प्रतीक्षा नहीं कर सकती है। उसे तो अब अनाज चाहिये। हमें ऐसे वचनों की आवश्यकता नहीं है कि हम चार पांच सालों में आत्म-निर्भरता प्राप्त कर लेंगे। हमें तो इस बात की आवश्यकता है कि आपातकाल के आधार पर एक अनाज सम्बन्धी नीति बनाई जाये जिससे एक या दो वर्षों में आत्म-निर्भरता प्राप्त की जा सके। इस समय केवल 15 प्रतिशत अनाज की कमी है। अत: एक या दो वर्षों में 15 प्रतिशत अनाज बढ़ाना कठिन नहीं है। यदि हम ऐसा कर सकेंगे तो हम आत्म-निर्भरता प्राप्त कर सकेंगे और संसार में बड़े सम्मान से रह सकेंगे।

हमारे देश में कृषि के बहुत से कालेज हैं परन्तु दुःख की बात तो यह है कि एक प्रतिशत कृषि स्नातक भी खेती का काम करने नहीं जाते हैं। वे सभी सरकारी कार्यालयों में बिक्री सम्बन्धी आंकड़े इकट्ठे करते रहते हैं। यह काम तो अन्य स्नातक भी कर सकते हैं। कृषि स्नातकों को तो खेती के काम तथा अन्य रचनात्मक काम में लगाया जाना चाहिए।

हमें अनाज के वितरण की भी ऐसी नीति नहीं बनानी चाहिए जिससे उसके उत्पादन में कमी हो जाये। हमारे देश में अनाज की कमी है तथा हम उसे बढ़ाना चाहेंगे। परन्तु हम देखते हैं कि जोन बनाने की नीति, कर लगाने की नीति तथा कम दाम नियत करने की नीति से अनाज का उत्पादन बढ़ाने के प्रयत्नों में कमी रही है।

जहां तक अनाज का भण्डार रखने का सम्बन्ध है वह उपभोक्ता या व्यापारी के घर में सरकार और सहकारी समितियों के गोदामों की अपेक्षा अधिक सुरक्षित है, कम नहीं। यदि हम इन सब बातों को देखें तो हम महसूस करेंगे कि इस समय आवश्यकता इस बात की है कि अपव्यय को कम किया जाये। आर्थिक विकास बढ़ाने के लिये सबसे पहले कृषि के क्षेत्र में विकास किया जाना चाहिए। जब तक हम कृषि में क्रान्ति नहीं लाते हैं तब तक किसी अन्य क्षेत्र में क्रान्ति नहीं लाई जा सकती। इसे जितना शीघ्र किया जाये उतना ही अच्छा है।

सरकार सामुदायिक विकास योजनाओं पर लाखों रुपया खर्च करती है परन्तु इन योजनाओं पर धन खर्च करना बिल्कुल व्यर्थ है क्योंकि लगभग 85 प्रतिशत धन तो खण्ड विकास अधिकारियों तथा अन्य ऐसे अधिकारियों की नियुक्ति पर खर्च किया जाता है तथा केवल 15 प्रतिशत धन ही खाद आदि पर खर्च किया जाता है। किसानों को पूछने से सरकार को यह पता लग सकता है कि इन योजनाओं से उन्हें कोई लाभ नहीं हो रहा है। अत: सरकार को इन योजनाओं को अब खत्म कर देना चाहिए।

अब मैं अच्छी किस्म के बीजों के सम्बन्ध में कुछ कहूंगा। मेक्सिको ने संकर बीजों से दो वर्षों के समय में तिगुना उत्पादन बढ़ा लिया था परन्तु हम दस वर्षों में भी उतनी प्रगति नहीं कर पाये हैं। हम 1956 से बीज फार्मों को बढ़ाने की बात कहते आ रहे हैं। परन्तु क्या सरकार ने इस बात पर विचार किया है कि इस मामले में देरी क्यों हुई है ?

सरकार कई बार इस सभा में यह कह चुकी है कि वह खाद बढ़ाने के लिये प्रयत्न कर रही है परन्तु ऐसा नहीं हो रहा है। सरकार ने गत 16 वर्षों में इस बारे में कोई कार्यवाही नहीं की है।

अब मैं एक उदाहरण बताऊंगा कि उचित शिक्षा से हमारे देश में क्या कुछ किया जा सकता है। इसके लिये मैं पंजाब राज्य में लुधियाना का उदाहरण दूंगा। मैं देखता हूँ कि लुधियाना में 1960 से 10 प्रतिशत उत्पादन बढ़ गया है। ऐसा देश के किसी अन्य राज्य में नहीं हुआ है। इसका कारण यह है कि लुधियाना के कृषि विश्वविद्यालय में प्रत्येक विद्यार्थी को हर वर्ष चार महीने किसी किसान के साथ काम करना पड़ता है। गांव में एक किसान को एक विद्यार्थी सौंप दिया जाता है जो उसके साथ काम करता है और उसकी कठिनाइयों के बारे में विचार करता है वह उससे विचार-विमर्श करता है। जब विद्यार्थी वापस विश्वविद्यालय में आता है तो वह किसान की कठिनाइयों को अपने प्रोफेसर को बताता है। इस तरह से किसान और विश्वविद्यालय में एक सम्पर्क सा जुड़ जाता है। इसका परिणाम यह हुआ है कि जिले का उत्पादन 10 प्रतिशत बढ़ गया है।

यदि 64 जिले उस दृष्टिकोण को अपना लें तथा अपनी उपज को 10 प्रतिशत प्रति वर्ष बढ़ा लें तो मुझे विश्वास है कि खाद्य समस्या लगभग हल हो जायेगी। परन्तु सरकार इस साधारण सी बात को करने को भी तैयार नहीं है।

मूल्यों के बारे में राष्ट्रपति के अभिभाषण में कहा गया है कि बढ़ते मूल्यों को रोका जायेगा। इसका अर्थ तो यह हुआ कि सरकार को जनसाधारण की परवाह नहीं है। इन मूल्यों को दृढ़ करने की बजाय, नीचे लाना चाहिए।

प्रश्न यह है कि मूल्यों को कैसे नीचे लाया जा सकता है ? यह घाटे की अर्थ-व्यवस्था को समाप्त करने से हो सकता है।

अब मैं बजट पर कुछ कहना चाहता हूं। अक्तूबर तक तो कोई घाटे की अर्थ-व्यवस्था नहीं थी। नवम्बर के बाद में इसमें बड़ी तेजी से वृद्धि हुई। क्या इसका सम्बन्ध चुनावों से तो नहीं था ? कहीं ऐसा तो नहीं था कि मतदाताओं को दिये गये वचन इस बीच में पूरे करने का प्रयास किया हो ? सरकारी व्यय में इतनी वृद्धि क्यों हुई ? क्या इस वृद्धि का मूल्यों पर प्रभाव तो नहीं पड़ा ? मैं चाहता हूं कि सरकार इन सब पहलुओं पर विचार करे।

वित्त मंत्री ने कहा है कि घाटे की अर्थ-व्यवस्था 350 करोड़ रु० की है। परन्तु क्या सरकार ने इस घाटे में 323 करोड़ रुपये की वह राशि भी जोड़ी है जो उसे अवमूल्यन के लाभ स्वरूप प्राप्त हुई है। यदि नहीं, तो इसके जोड़ने पर कुल घाटा 600 करोड़ रुपये से भी अधिक हो जायेगा। मैं चाहता हूं कि सभा इस बात को भी ध्यान में रखे।

अब मुझसे यह पूछा जा सकता है कि मेरा ठोस सुझाव क्या है। मेरा उत्तर यह है कि जैसे आपने "कर जांच समिति" नियुक्त की हुई है, ऐसे ही आप एक "व्यय जांच समिति" क्यों नहीं नियुक्त करते। यदि सरकार की किसी योजना से लाभ नहीं होता तो उसे तुरन्त बन्द कर देना चाहिये। यह जांच समिति सरकार द्वारा किये गये सारे खर्चों की जांच करे। यदि आप ऐसा कर दें तो मुझे विश्वास है कि लगभग 25 से 30 प्रतिशत बचत आप कर सकते हैं।

मेरा दूसरा सुझाव यह है कि घाटे की अर्थ-व्यवस्था को समाप्त कर देना चाहिये। सरकार ऐसे वचन तो बार-बार देती है। जनता का उनमें अब विश्वास नहीं रहा। हमें यह भी व्यवस्था करनी चाहिये कि धन का संभरण 3 प्रतिशत प्रति वर्ष से अधिक नहीं बढ़ना चाहिये। यदि ऐसा करना हो तो वह संसद की अनुमति प्राप्त करे। इससे जनता का सरकार में विश्वास बढ़ जायेगा तथा मुझे विश्वास है कि मूल्य भी कम हो जायेंगे।

मेरा तीसरा प्रश्न रहने के न्यूनतम स्तर के बारे में है। इसका राष्ट्रपति के अभिभाषण तथा बजट में कोई उल्लेख नहीं है। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि क्या इस देश के 30 प्रतिशत जो सबसे अधिक निर्धन लोग हैं उनके लिए कोई कपड़े, अन्न तथा पीने के पानी के बारे में कोई न्यूनतम स्तर है? अभी तक हम पीने का पानी भी लोगों को नहीं दे सके। 8 औंस अन्न का वचन दिया था परन्तु वह भी नहीं कर पाये। और 8 मीटर कपड़ा भी नहीं दे सके।

यदि आप खेतिहर मजदूर जांच आयोग को पढ़ें तो इस बात पर आपको कोई आपत्ति नहीं होगी कि खेतिहर मजदूर की स्थिति नहीं सुधरी है। उनकी स्थिति और अधिक खराब हुई है। वह तो स्वराज का पहला शिकार बना है। पहले दरिद्रनारायण को एक न्यूनतम स्तर पर ले आओ और उसके पश्चात बाकी मामलों पर विचार करो। यदि आपको उपज बढ़ानी है तो यह चीज आवश्यक है।

मैं सरकार को इस बात के लिये बधाई देता हूं कि वह योजना आयोग का पुनर्गठन कर रही है। मैं आशा करता हूं कि वह इस कार्य को ठीक प्रकार करेंगे।

अन्त में मेरा कहना यह है कि आप सारी वस्तुओं के मूल्यों के स्थिरीकरण की बात मत करो। केवल कुछ आवश्यक वस्तुओं के उचित स्तर पर स्थिरीकरण की बात करो। घाटे की अर्थ-व्यवस्था मत करो। पहले दरिद्रनारायण के बारे में विचार करो।

श्रीमती महेन्द्रकौर (पटियाला) : उपाध्यक्ष महोदय राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में चार विषयों की ओर ध्यान दिलाया है। पहली बात है कि 1971 तक भारत अन्न के मामले में आत्म-निर्भर हो जायेगा। दूसरी यह कि जन्म दर 40 प्रति एक हजार से घटाकर 25 प्रति एक हजार लाई जाये। तीसरी आवश्यक वस्तुओं के दाम घटाये जायें और चौथे हमें अपनी अर्थ-व्यवस्था को इस प्रकार चलाना चाहिए कि 1976 तक हम विदेशी सहायता के बिना काम चला सकें।

यदि हमें इन उद्देश्यों को पूरा करना है तो हमें अन्य दलों के सहयोग की आवश्यकता है। इस दिशा में मसानी जी की इस बात का मैं स्वागत करती हूं कि दलों के झगड़ों को समाप्त किया जाये। मेरे विचार में सारे दलों का उद्देश्य एक ही है अर्थात देश का उत्थान।

1949-50 में खाद्यान्न का उत्पादन 550 लाख टन था। वह 1964-65 में 890 लाख टन हो गया। परन्तु उसके पश्चात उत्पादन काफी कम हो गया। इस असफलता के लिए प्रकृति के अतिरिक्त अन्य भी कारण हैं। पहली तो यह कि कृषकों को उचित प्रोत्साहन नहीं दिया गया। ऐसे ही भूमि सुधार नीति में देरी है।

उसके अतिरिक्त यहां भूमि की औसत जोत कम है। इस जोत की अधिक कम होने से रोकने के बारे में हमारे यहां कोई कानून नहीं है। कृषकों के लिए खाद आदि भी बहुत आवश्यक हैं। वह उचित मूल्यों पर उन्हें मिलना चाहिये। तीसरी बात यह है कि कृषकों के लिए सिंचाई का पानी आवश्यक है।

खाद का भाव हमारे देश में सबसे अधिक है। साथ ही उसके वितरण का ठीक प्रबन्ध नहीं है। किसी राज्य में तो आवश्यकता से अधिक है और कहीं इसका अभाव है। इसलिए वितरण पद्धति को बदलना चाहिए।

परिवार नियोजन के मामले में भूतपूर्व स्वास्थ्य मंत्री डा० सुशीला नैयर ने प्रशंसनीय कार्य किया। उन्होंने जनता में इसके लिए उचित वातावरण उत्पन्न कर दिया है। अब और आगे इसे ले जाना है। मेरे विचार में इस दिशा में कानून बना देना चाहिए। गर्भपात के बारे में कानून होना चाहिये। ऐसा ही कानून जापान ने पास करके अपनी जन्म दर को आधा कर दिया है।

अब मैं योजनाओं के बारे में कहूंगी। कुछ व्यक्ति पंचवर्षीय योजनाओं का घृणा की दृष्टि से उल्लेख करते हैं। परन्तु मेरी समझ में नहीं आता कि कोई भी देश योजनाओं के बिना किस प्रकार गुजारा चला सकता है। अगले 20 वर्ष तक हम योजनाओं के बिना कार्य नहीं कर सकते। परन्तु हमें सन्तुलित रूप से योजना बनानी होगी। यह नहीं कि एक ही दिशा में बढ़ते चले जायें। हमें बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए रोजगार तलाश करना होगा। प्रत्येक राजनीतिक दल को आर्थिक विकास के कार्य में सहयोग देना चाहिये।

श्री एस० के० सम्बन्धन (तीरुतन्नी) : इस सरकार ने अपनी गत की गलतियों से कुछ नहीं सीखा है।

राष्ट्रपति के अभिभाषणों में कुछ अव्यावहारिक योजनाओं तथा कुछ आश्वासनों का जिक्र है जो केवल कागज पर ही है। बार-बार सरकार की ओर से कहा जाता है कि देश न केवल खाद्य के मामले में वरन और मामलों में भी आत्म-निर्भर हो जायेगा। परन्तु वास्तविकता यह है कि अब भी भारत अमरीका से भीख मांगता है। ऐसे ही मूल्यों को रोकने की बात कही जाती है परन्तु कोई ठोस योजना नहीं है।

अवमूल्यन निर्यात बढ़ाने के लिए किया था परन्तु वह भी 9% कम हो गया। कपड़े का निर्यात 10 करोड़ वर्ग गज कम हो गया है।

भाषा के बारे में भी सरकार ने कुछ नहीं किया। उपाध्यक्ष महोदय, हम आपके आभारी हैं कि आपने प्रत्येक सदस्य को उसकी अपनी मातृभाषा में बोलने की अनुमति दे दी है। हिन्दी को संविधान में राष्ट्र की भाषा घोषित किया हुआ है परन्तु संविधान जनता के लिए है और इसका संशोधन भी हो सकता है जैसा कि पीछे इक्कीस बार हो चुका है। इस बारे में भी उसका संशोधन होना चाहिये।

[श्री जी० एस० ढिल्लों पीठासीन हुए
Shri G. S. Dhillon in the chair]

अंग्रेजी क्योंकि आंग्ल-भारतीयों की भाषा है, जिनका प्रतिनिधित्व इस सभा में भी है इसलिए उसे उचित सम्मान मिलना चाहिये।

अब केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों के सम्बन्धों में परिवर्तन होना चाहिये। केन्द्रीय सरकार को इस बारे में ठोस कार्य करना चाहिये। केन्द्र सरकार को केवल बड़े-बड़े कार्य अपने हाथ में रखने चाहिये। सिंचाई आदि के छोटे कार्य तथा उसके लिए अधिक धन राज्य सरकारों को दे देना चाहिये। मुझे याद है कि कुछ वर्ष पूर्व मद्रास राज्य में विदेशी मुद्रा के अभाव के कारण कुएं खोदने की मशीन बेकार पड़ी रहीं। केन्द्र को अधिक व्यावहारिक योजना प्रस्तुत करनी चाहिये।

एक ओर महत्वपूर्ण समस्या बेरोजगारी की है। परन्तु राष्ट्रपति के अभिभाषण में इसका उल्लेख नहीं है। पढ़े-लिखे बेरोजगारों के बारे में भी कोई उल्लेख नहीं है। ग्रामों में भी बहुत बेरोजगार हैं। हाथ करघा के बुनकर सबसे कम आय वाले लोगों में से एक हैं। बहुत से शिष्ट-मंडल विदेशों में जाते हैं परन्तु उनमें इनका प्रतिनिधित्व नहीं होता है।

सरकार कम व्यय करने का जिक्र करती है। परन्तु मैं पूछना चाहता हूं कि वह सांझे राज्यपाल क्यों नहीं नियुक्त करती। वह राज्यपाल माने हुए कानूनदान होने चाहिये।

श्री चेंगलराया नायडू (चित्तूर) : मुझे प्रसन्नता है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में कहा गया है कि 1971 तक खाद्यान्न का आयात समाप्त कर दिया जायेगा। परन्तु मैं जानना चाहता हूं कि सरकार ने इस दिशा में क्या किया है। अब हमें एक व्यावहारिक कृषि मंत्री मिल गया है और वह कुछ करेंगे।

आंध्र प्रदेश खाद्य के उत्पादन में प्रथम है परन्तु उसके साथ व्यवहार अच्छा नहीं किया जाता।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Speaker in the chair]

सरकार को चाहिये कि कृषकों को प्रोत्साहन दे ।

किसानों को सस्ती दरों पर उर्वरक और अच्छे बीज दिये जायें । ट्रैक्टरों की खरीद पर विक्री-कर समाप्त कर दिया जाये और ट्रैक्टरों के आयात पर से उत्पादन शुल्क खत्म कर दिया जाये । इस प्रकार किसान को अधिक अनाज का उत्पादन करने के लिये प्रोत्साहित किया जा सकेगा ।

मुझे मालूम हुआ है कि मद्रास राज्य में वसूली अधिकारियों ने किसानों को परेशान किया है और इस कारण उन्होंने अनाज का उत्पादन बन्द कर वाणिज्यिक-फसलों को उगाना शुरू कर दिया है । अत: सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिये कि वसूली अधिकारी किसानों को तंग न करें । रायलसीमा एक पिछड़ा हुआ क्षेत्र है । सरकार को चाहिये कि अनाज के आयात पर इतना अधिक धन व्यय करने के बजाय वह इसका उपयोग बिजली पहुंचाने, गहरे कुएं खुदवाने और छोटे सिंचाई के साधन जुटाने में करे ।

कुछ दलों ने चुनाव के मौके पर झूठे वायदे करके वोट प्राप्त किये हैं । संसद में कुछ दल ऐसे हैं जो केवल आरोप लगा कर चरित्र हनन ही करते हैं । कुछ दल ऐसे हैं जो और कुछ काम न होने के कारण अंग्रेजी में लिखे बोर्डों पर कोलतार पोतते हैं । ऐसा करने के बजाय वे अनाज का अधिक उत्पादन करने में ग्रामीणों की सहायता करें । वे मंत्री महोदय से कहें कि किसानों को कुछ सुविधायें दो जायें ।

इन शब्दों के साथ मैं धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

***श्री धीरेश्वर कलित** (गौहाटी) : राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में देश के अल्पसंख्य समुदायों विशेषकर आसाम में मुस्लिम समुदाय के संरक्षण के बारे में कुछ नहीं कहा है । वे लोग आसाम सरकार के हाथों बहुत तंग हैं । आसाम में यह चीज अक्सर देखी जा रही है कि पुलिस झूठे कागजात लेकर गांवों में चली जाती है और मुसलमानों को यह धमकी देती है कि उनको भारत छोड़ने के नोटिस दिये गये हैं और इस तरह से उन्हें डरा कर उनसे घूस लेती है । वहां के मुसलमान पुलिस की दया पर रहते हैं। उनको आसाम में द्वितीय श्रेणी के नागरिक माना जाता है ।

अत: इस बारे में जांच की जानी चाहिये और ऐसी स्थिति को समाप्त किया जाना चाहिये ।

दूसरे, यह कहा गया है कि छोटी सिंचाई योजनाओं की ओर विशेष ध्यान दिया जायेगा तथा बड़ी सिंचाई परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने के लिये प्रयास किया जायेगा । परन्तु बाढ़-

*मूल आसामी के अंग्रेजी अनुवाद से अनुवादित

*English translation of speech delivered in Assamese.

नियंत्रण के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया है। हमारे देश के उत्तरीय भाग विशेषकर आसाम, बंगाल और उड़ीसा में प्राय: बाढ़ आती रहती हैं। गतवर्ष भी बाढ़ के कारण आसाम में 21 करोड़ रुपये की फसल और सम्पत्ति का नुकसान हुआ था। वहां पर बाढ़ प्राय: ब्रह्मपुत्र तथा उसकी उपनदियों के कारण आती है। उन पर नियंत्रण किया जाना चाहिये। यदि आसाम में बाढ़ पर नियंत्रण कर लिया जायेगा तो वह राज्य अनाज के मामले में बाहुल्य वाला राज्य बन जायेगा।

आसाम में लाखों एकड़ भूमि बेकार पड़ी है। वह भूमि यथाशीघ्र जोती जानी चाहिये। आसाम के चाय बागानों में केवल एक-निरही भूमि पर ही चाय की खेती की जाती है। सरकार को उस भूमि को अर्जित कर लेना चाहिये और उस पर खेती की जानी चाहिये।

वहां के चाय बागानों के मालिक अंग्रेज लोग हैं। वहां के कुछ तेलशोधन कारखानों तथा कोयला खानों के मालिक भी अंग्रेज लोग हैं। कम्पनियां गत दो सौ वर्षों से बहुत धन कमा रही हैं। सरकार को इन कम्पनियों का शीघ्र राष्ट्रीयकरण कर देना चाहिये। आसाम में तेल, कोयला और लौह अयस्क काफी मात्रा में पाया जाता है तथा उसका विकास किया जाना चाहिये। वहां उद्योग भी स्थापित किये जाने चाहिये ताकि अधिक लोगों को रोजगार मिल सके।

आसाम का पुनर्गठन बहुत पहले ही हो जाना चाहिये था। आसाम के पुनर्गठन के बारे में गृह-कार्य मंत्रालय द्वारा हाल में जारी की गई विज्ञप्ति से आसाम में बहुत गलत-फहमियां उत्पन्न हो गई हैं। अत: मैं अनुरोध करूंगा कि गृह-कार्य मंत्री को वहां का दौरा करना चाहिये तथा सभी राजनीतिक दलों के साथ बातचीत करके एक ऐसा हल निकालना चाहिये जो सभी को स्वीकार हो। तब एक आयोग बनाया जाना चाहिये उससे पहले नहीं। मुझे आशा है कि सरकार इस बात पर विचार करेगी तथा तदनुसार कार्यवाही करेगी।

Shri Ram Shekhar Prasad Singh (Chhapra) : Mr. Speaker, Sir, although we have a right to speak in any language we like but it is better that we use such language which can be understood by most of the members. We should not be so fanatic about regional language and should not attach much importance to it.

There has been another very unfortunate development in our country that the feelings of separation is growing among the States. The statements of some of the Chief Ministers of States are an indication of that feeling. They have threatened that they would severe their connections with the Centre if their requirements are not fulfilled. Such kind of feeling is dangerous for the unity of the country. The Chief Minister of Madras had made many commitments with the electorates and now since they have come in power and having seen their inability to honour those commitment, they want to fight with the centre and disunite the country. All these matters need serious consideration.

The results of the Fourth General Election are before us. The public was dissatisfied due to high prices and they voted against Congress but there has been no clear verdict in favour of any other single party. At certain places majority of people were prevented to vote. Some

measure will have to be taken in this regard. In Chhapra Assembly constituency Harijans were prevented from exercising their franchise.

The general public is not interested in the Fourth Plan. Today the necessity is of more food production. The agriculturist should be provided with tractors, water and good seed. The Central Government should take over the work of Gandak Project and try to complete it as soon as possible. This will irrigate 25 lakh acres of land and result in the production of 250 lakh maunds of foodgrains.

The Government had promised to ban cow slaughter but they have not implemented their decision. We suffer most due to the reason that we make plans, receive reports but they are not implemented.

डा० कर्णी सिंह (बीकानेर) : मैं राष्ट्रपति के अभिभाषण पर अपने संशोधन संख्या 87 के समर्थन में बोल रहा हूं। राष्ट्रपति के अभिभाषण में गरीबी, बेरोजगारी आदि का उचित रूप से उल्लेख नहीं किया गया है। एक समाजवादी देश के लिये और एक समाजवादी एवं कल्याणकारी सरकार के लिए देश में इतनी अधिक गरीबी रहने देना बड़े शर्म की बात है। राज्यों की प्रतिपक्षी सरकारों को मेरी यह चेतावनी है कि यदि उन्होंने गरीबी, भूख, बेरोजगारी और बढ़ते हुए मूल्य जैसी समस्याओं को शीघ्र हल नहीं किया तो उनकी भी वही हालत होगी जो चौथे आम चुनाव में कांग्रेस की हुई है।

अनाज और परिवार नियोजन के प्रश्नों पर साथ-साथ विचार करने की आवश्यकता है। यदि हम जनसंख्या में वृद्धि को रोक पाते हैं तो अनाज की समस्या हल हो सकती है। सन् 1891 से 1901 तक के दस वर्षों में भारत की जनसंख्या में 5 लाख की वृद्धि हुई और अब प्रत्येक 15 दिन के बाद 5 लाख की वृद्धि होती है। इस समस्या को युद्ध स्तर पर हल करना है। यदि जनसंख्या में निरन्तर वृद्धि होती रही, तो देश में दुर्भिक्ष पड़ते रहेंगे। निरन्तर बढ़ती जा रही जनसंख्या पर नियंत्रण रखे बगैर उसके भरण-पोषण के लिए अमरीका से या किसी अन्य देश से अनाज की भिक्षा मांगना भारत के लिए लज्जा की बात है। विदेशी अनाज की सहायता बिना किसी शर्त के स्वीकार की जानी चाहिये।

केवल भारत में ही नहीं यदि संसार भर में परिवार नियोजन किया जाये तो एक ऐसा समय आयेगा जब हर जगह अनाज में आत्म-निर्भरता होगी और लोग खुश होंगे।

यदि संसद के 500 सदस्य सार्वजनिक रूप से जनता को सम्बोधित करें और इसके महत्व के बारे में समझायें तो इस ढंग से यह कार्य अधिक कारगर सिद्ध हो सकता है।

नदी घाटी परियोजनाओं पर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए। राजस्थान नहर परियोजना के, जिससे राजस्थान में 35 लाख एकड़ भूमि में सिंचाई होगी और जिस पर 200 करोड़ रुपये खर्च होंगे, पूरा होने में लगभग 15 वर्ष लगेंगे और उस पर कार्य धीमी गति से हो रहा है। अन्य परियोजनाओं पर भी कार्य धीमा हो रहा है।

हम राजस्थान में राष्ट्रपति शासन का विरोध करते हैं। राजस्थान के लोगों को उनके प्रजातांत्रिक अधिकारों से वंचित रखा गया है। आशा है कि केन्द्रीय सरकार राजस्थान के मामले को एक प्रतिष्ठा का मामला नहीं बनायेगी बल्कि राजस्थान को एक लोकतंत्रीय प्रशासन प्रदान करेगी।

भविष्य में ऐसी परम्परा कायम की जानी चाहिये कि राष्ट्रपति और राज्यपाल किसी दल के न हों। केवल तब ही वे स्वतन्त्र होकर निष्पक्ष रूप से कोई निर्णय कर सकते हैं। हमारे अध्यक्ष महोदय ने अध्यक्ष चुने जाने के बाद कांग्रेस की सदस्यता से त्याग पत्र देकर एक बड़ा सराहनीय कदम उठाया।

यदि राजस्थान में कांग्रेस दल को, जिसने सरकार बनाने से इन्कार कर दिया था, फिर सरकार बनाने को कहा जाता है और यदि कोई गड़बड़ होती है तो उसके लिए कांग्रेस दल दोषी होगा।

कांग्रेस के कब्जे से भारत का दो तिहाई भाग निकल जाने से मैं आशा करता हूं कि वह दिन दूर नहीं जब केन्द्र में प्रतिपक्ष को सरकार बनाने को कहा जायेगा। हम सब प्रतिपक्षी सदस्यों को इस मामले में, देश के हित में एक हो जाना चाहिये। जब सभी प्रतिपक्षी एक हो जायेंगे तभी देश का भला हो सकेगा और देश अनुशासित हो सकेगा। मैं यह समझता हूं कि कांग्रेस छः महीने से ज्यादा नहीं टिक सकती।

हम संसद सदस्यों को अपनी भाषा में सुन्दर और अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिये। यदि हम गन्दे शब्द इस्तेमाल करेंगे तो इसका औरों पर क्या असर पड़ेगा ?

यदि ब्रिटिश संसद किसी शब्द की अनुमति देती है तो यह जरूरी तो नहीं कि हम भी वही शब्द अपनायें। उनका अपना स्तर है। हमारा अपना स्तर है। हमारी अपनी संस्कृति है।

जहां तक चरित्र हनन का प्रश्न है, यह अब चरम सीमा पर पहुंच गया है। संसद सदस्य होने के नाते हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम यहां चरित्र हनन करने आते हैं या कुछ अन्य कार्य करने आते हैं। प्रतिपक्ष के कुछ सदस्यों का ध्येय ही यह होता है कि वे यहां आकर अपने राजनैतिक बैर का बदला लें। हममें से कोई भी आज गौतम बुद्ध नहीं है सबमें कुछ न कुछ कमियां हैं। अतः हमें परस्पर कीचड़ उछालने के बजाय देश में व्याप्त रिशवत और भ्रष्टाचार को समाप्त करना चाहिए। हम सभी सभ्य नागरिक हैं। यदि सरकार कुछ गलती करती है तो सरकार को बदल देना चाहिए, परन्तु एक दूसरे पर कीचड़ उछालने की प्रवृत्ति को त्याग देना चाहिए। मैं तो यह आशा करता हूं कि देश में शासन चाहे कांग्रेस का हो या विरोधी दलों का शासक वर्ग गरीबी, भुखमरी और बढ़ते हुए दामों की समस्याओं का समाधान खोजेगा।

श्री आर० डी० भण्डारे (बम्बई मध्य) : मैंने सभी माननीय सदस्यों को सुना है और उससे मैंने यह निष्कर्ष निकाला है कि सदस्यों के मन में मुख्य रूप से दो बातें हैं—केन्द्र राज्यों में सहयोग और राष्ट्रीय एकता सामान्य निर्वाचन के पश्चात कुछ राज्यों में गैर-कांग्रेसी सरकारें बन गयी हैं। भारत में संघीय रूप अब वास्तव में सामने आया है। अब राज्य निष्क्रिय दर्शक नहीं रहेंगे और नीति निर्धारण और उनकी क्रियान्विति में उनका भी बहुत हाथ रहेगा। अतः भारतीय संविधान की संघात्मक विशेषता को अब यथोचित महत्ता देने की आवश्यकता है।

विशेष रूप से प्रतिपक्षी सदस्य इस बात को भूल गये हैं कि सरकार इस बदली हुई परिस्थिति से अवगत है और इसका सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में भी इस बात का जिक्र किया गया है। उसमें यह स्पष्ट किया गया है कि अब केन्द्र और राज्यों में एक ही राजनैतिक दल की सरकारें नहीं हैं जैसा कि संघात्मक ढांचे में सम्भावित होता है। हमारे संविधान में ऐसे उपबन्ध हैं जिनके आधार पर केन्द्र राज्य सम्बन्ध नियमित होते हैं। प्रतिपक्षी सदस्य यह आवाज तो लगातार उठा रहे हैं कि केन्द्र और उन राज्यों के बीच, जिनमें गैर-कांग्रेसी सरकारें काम कर रही हैं, अच्छे सम्बन्ध होने चाहिए। परन्तु वे उस जिम्मेदारी को नहीं समझते हैं जो इस सामान्य निर्वाचन के बाद उन पर आ पड़ी है। यदि वे अपनी जिम्मेदारी न समझेंगे तो संविधान द्वारा स्वीकृत संघात्मक पद्धति भी ठीक प्रकार से कार्य न कर सकेगी। यदि वे संविधान को ही न समझेंगे तो वे देश में जनतांत्रिक ढांचे को कैसे चला पायेंगे।

अपने संविधान में हमने शक्ति विभाजन सिद्धान्त, संपर्क सिद्धान्त, परम्परागत सिद्धान्त तथा निदेशक तत्वों आदि को संजोया हुआ है जिनके आधार पर समाज में न्याय, स्वतन्त्रता, एकता और भाईचारे को लाया जा सकता है तथा केन्द्र और विभिन्न राज्यों के बीच आर्थिक, राजनैतिक और वैधानिक सम्बन्ध सुचारु रूप से स्थापित किये जा सकते हैं। अतः प्रतिपक्ष को संविधान को भली प्रकार समझना चाहिये, और एक व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाना चाहिये।

हमें निस्संदेह पड़ोसी देशो के साथ सम्बन्ध सुधारने चाहियें। परन्तु चीन से तो हमारी विचारधारा ही भिन्न है। भारत ने सरकार की जनतंत्रीय पद्धति को अपनाया है जबकि चीन ने तानाशाही रूप को स्वीकार किया है। हम सह-अस्तित्व में विश्वास करते हैं, वे विस्तारवादी हैं। अतः दोस्ती उन देशों से होनी चाहिए जिनसे हमारी विचारधारा मेल खाती हो।

राष्ट्रपति के अभिभाषण में यह तो जिक्र किया गया कि अमीर और गरीब देशों में अन्तर बढ़ता जा रहा है परन्तु अपने देश में भी गरीबी और अमीरी के बीच एक गहरी खाई खुदती जा रही है, इस बात को भुला दिया गया। देश में पिछड़े वर्गों को जो मिलना चाहिए था वह न मिल सका।

प्रतिपक्ष के सदस्यों ने विभिन्न प्रकार की बातें कही हैं और उनकी प्रवृत्ति विघटनकारी है। इससे यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि वे देश में जनतंत्र को कायम न रख सकेंगे,

जबकि हमारा यह दृढ़ निश्चय है कि देश में सरकार और जीवन में लोकतंत्रीय पद्धति को बनाये रखेंगे ।

*श्री आरंगिल श्रीधरण (बडागरा): उपाध्यक्ष महोदय, यह मेरे जीवन का पहला अवसर है कि मैं इस सभा में बोल रहा हूं । इस बात से कि मैं यहां पर अपनी मातृभाषा, मलयालम में बोल सकता हूं मुझे बहुत संतोष हुआ है ।

राष्ट्रपति का अभिभाषण उस समय हुआ है जबकि देश को अनेकों समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है । उन्होंने अपने अभिभाषण में केवल दो तीन महत्वपूर्ण पहलुओं पर जोर दिया है । वह देश की एकता पर बोले परन्तु उन्होंने यह नहीं बताया कि एकता को कैसे सुदृढ़ किया जा सकता है ।

भारत में भिन्न-भिन्न भाषायें हैं । संविधान में यह कहा गया है कि भारत का प्रत्येक नागरिक अपने आपको स्वतंत्र रूप से व्यक्त कर सकता है । आज मुझे वह अवसर मिला है । परन्तु यदि मैं अपनी मातृ-भाषा में बोलूं तो मेरे भाषण को अन्य राज्यों के प्रतिनिधि समझ सकें इसके लिए क्या व्यवस्था की गई है ? हमारे यहां दो भाषाओं के साथ-साथ की ही व्यवस्था की गई है । मैं इस बात का विरोध करता हूं कि अन्य भाषाओं के लिये यह व्यवस्था नहीं की गई है । सभी पुरानी भाषायें हैं । यदि सरकार इन भाषाओं को एक दूसरे के पास नहीं लाती है तो देश की एकता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना स्वाभाविक ही है । सरकार को अन्य देशों से यह सबक सीखना चाहिये ।

राष्ट्रपति ने गत आम चुनावों का भी उल्लेख किया था । कांग्रेस सरकार को बहुत से राज्यों में सत्ता से हाथ धोना पड़ा है । उस चुनावों में कांग्रेस दल के खर्चे को पूंजीपतियों ने वहन किया था । मैं उस बारे में साक्ष्य भी प्रस्तुत करूंगा ।

चुनाव के दिनों में श्रीमती इन्दिरा गांधी जी ने मेरे निर्वाचन क्षेत्र का दौरा किया था । उस अवसर पर मण्डल कांग्रेस समिति के प्रधान ने एक नोटिस छपवाया था । उस पर एक ओर तो श्रीमती गांधी जी के स्वागत के बारे में लिखा हुआ था और दूसरी ओर कोजीकोड योगी बीड़ी कम्पनी का विज्ञापन था । यह शर्म की बात है कि इस पद का भी इस तरह से अपमान किया जाता है । इसका खर्च योगी बीड़ी कम्पनी ने वहन किया था ।

केरल प्रदेश कांग्रेस समिति कोलंजेरी फैलेपल्ली चकोपल्लै कम्पनी के नाम से प्रसिद्ध है । अतः मण्डल स्तर पर कोजीकोड योगी बीड़ी कम्पनी तथा राज्य स्तर पर कोलंजेरी फैलेपल्ली चकोपल्लै के साथ आपके सम्बन्ध हैं जिसके कारण आम चुनावों के समय लोगों को खतरा नजर आता था ।

---

*मूल मलयालम के अंग्रेजी अनुवाद से अनूदित ।

* English translation of speech delivered in Malayalam.

जब राष्ट्रपति हमारे संविधान के संघीय (फेडरल) रूप के बारे में बोले तो मेरा ध्यान राजस्थान की ओर गया। जब कुछ सदस्यों ने इस बात का उल्लेख किया कि राजस्थान के लोगों ने राष्ट्रपति शासन के विरुद्ध प्रदर्शन किये हैं उससे कांग्रेसी सदस्य नाराज हो गये हैं। उस बारे में मैं सरकार का ध्यान जो कुछ 1958 में केरल में हुआ उस ओर दिलाना चाहता हूं। उस समय वहां पर विधान सभा थी जिसमें बहुसंख्यक दल ने सरकार बनाई हुई थी। उस समय कांग्रेस दल के प्रधान ने लोगों से यह कहा था कि इस सरकार को गिराओ। आज जब राजस्थान के लोग अन्याय के विरुद्ध लड़ रहे हैं तो कांग्रेस के नेता नाराज हैं। अतः सरकार को इस बारे में शर्म आनी चाहिये।

कुछ दिन पूर्व वकीलों के सम्मेलन में भाषण देते हुये हमारे विधि मंत्री ने गैर-कांग्रेसी सरकारों के कार्यों को तमाशे की संज्ञा दी थी। अतः उन्होंने सभी गैर-कांग्रेसी मंत्रालयों का खुले आम अपमान किया था। यह अच्छी बात नहीं है।

जब राज्यों में ऐसे दल सरकार बनाये जिनके पास केन्द्र में सता न हो तो केन्द्रीय सरकार के आचरण और व्यवहार के बारे में स्थायी हिदायतें होनी चाहिये।

भारत में आजकल बेरोजगारी और गरीबी की समस्यायें हैं। मैं भी केरल राज्य की कुछ समस्यायें बताऊंगा।

जब कभी भी किसी योजना के आवंटन में कटौती की जाती है तो केरल सबसे पहला शिकार क्यों बनता है?

यह कहना हमारा अधिकार है कि कोचीन में दूसरा जहाज निर्माण कारखाना खुलना चाहिये तथा इद्दिकी परियोजना को शीघ्र ही पूरा किया जाना चाहिये।

केरल की जनसंख्या देश की जनसंख्या का 4 प्रतिशत प्रतिनिधान करती है परन्तु हम देश की विदेशी मुद्रा का 16 प्रतिशत भाग कमाते हैं।

योजना आयोग ने मेरे निर्वाचन क्षेत्र की कुछ परियोजनाओं को रद्द करने का निश्चय किया है।

कांग्रेस इस देश में गत बीस वर्षों से राज्य कर रही है। इसी ने ही लोगों को निम्नतम तथा अधिकतम आय के बीच के अन्तर को बढ़ाया है। कांग्रेस ने ही कुछ राज्यों में लोकतंत्र की हत्या की है। ऐसा दल केन्द्र में भी अवश्य ही गिरेगा।

Shri Ram Kishan (Hoshiarpur): Mr. Deputy Speaker, all the problems facing the country have been touched upon in the President's Address though the country is passing through a critical period, yet Congress Party made it possible to hold general elections four times in the country. Even in Russia there were no elections in the period of 19 years after independence. Ruling Party only should not be attacked on account of food problem. The oppositions should bear it in the mind that every country in the world has to pass through a transitional period

which is a period full of problems. The solution of these problems has to be found on cooperative basis, while the opposition has been pointing out it to us that we should understand the verdict of the electorate. We understand it fully. We are aware of all the problems facing the country. We should try to improve the whole situation by solving all the problems on national basis and following a rational approach. It is our misfortune that all the political parties here are engaged in character assasination and blackmailing and not in doing some concrete work for the country. They want to come forward by blaming others and not by doing solid work. It is the duty of all political parties and not only of ruling party, to help the country in improving the situation.

The main issue, which we are confronting now is food issue and rising prices. As regards the food, we have pledged that we will be self-sufficient in matter of food by 1970-71 and by that time we will have self-reliant economy. If we are sincere in our pledge and we want to achieve self-sufficiency in food, we should work hard. To achieve the target in food production we have to provide all necessary facilities to farmers. Good seeds, fertilizers and irrigation facilities are the minimum requirements of a farmer. These things should be made available to him in time. Thus we will be able to achieve the target of 12 crores and 50 lakhs tons of foodgrains. I am hopeful that if agriculture is given proper attention, we will be self-sufficient in foodgrains by 1970-71.

Our plans are good but they are not being implemented properly. All planning should be reviewed. Our administrative machinery is good, but the pattern of administration which we inherited from Britishers, does not fit in Indian circumstances. It is sluggish and full of red-tapism. It should be changed thoroughly. I am happy that Government has set up a commission to bring about an improvement in the existing system of administration. Responsibilities should be fixed on different levels. Our plans should be production-oriented and not only expenditure-oriented.

I hope that Government will pay attention towards all these points I have raised in my speech.

श्री च० चु० देसाई (सबरकंठा): उपाध्यक्ष महोदय, मैं स्वतंत्र दल के नेता द्वारा राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद के प्रस्ताव में प्रस्तावित संशोधन का समर्थन करता हूं।

सबसे पहले मैं भी मुख्य चुनाव आयुक्त तथा उसके अधीनस्थ सभी कर्मचारियों को बधाई देता हूं कि उनके निरीक्षण और निदेशन के अधीन चौथे आम चुनाव बड़ी शान्तिपूर्वक सम्पन्न हुए हैं।

निर्वाचन से पूर्व मुझे देश के भविष्य के बारे में कुछ शंकाएं थीं परन्तु निर्वाचन से यह पता लगा है कि देश की विषम आर्थिक स्थिति और राजनैतिक फूट को देख कर देश फिर जाग उठा है। राज्यों में कांग्रेस शासन समाप्त हो रहा है। भारत की राजधानी दिल्ली में जहां मत-दाताओं में अधिक संख्या सरकारी कर्मचारियों की है वहां भी सात में से छः मत विरोधी दल जनसंघ को मिले। गुजरात में कांग्रेस की बहुत कम बहुसंख्या है। हरियाना और उत्तर प्रदेश की स्थिति देखते हुए कहा नहीं जा सकता कि गुजरात और केन्द्र में भी कांग्रेस शासन कितनी देर रहेगा। जिस दल की चुनावों में इतनी भारी हार हुई हो उसके नेता को प्रधान मंत्री के पद से

तुरन्त त्याग-पत्र दे देना चाहिए। परन्तु सत्ता के लोभ के कारण कांग्रेस दल के नेता अपनी-अपनी कुर्सी से चिपके हुए हैं। कुछ लोगों का विचार है कि ये इसलिए सत्ता के पीछे भागते हैं क्योंकि कहीं इनकी पोल न खुल जाये । जब कांग्रेस दल के अध्यक्ष का चुनाव परिणाम घोषित हुआ तो कांग्रेस के कुछ सदस्यों ने भारी संतोष व्यक्त किया इस प्रकार दक्षिण बम्बई में कांग्रेसी प्रत्याशी की हार पर भी प्रसन्नता व्यक्त की गई। बिहार के मुख्य मंत्री दोनों स्थानों से हार गये और एक स्थान में तो उनकी जमानत जब्त हो गयी। उड़ीसा में भी कांग्रेस की बुरी तरह से हार हुई। यदि कांग्रेसी सदस्य इस पर भी अपनी विजय की बात करते हैं, तो वर्ष 1972 में अथवा यदि मध्यावधि चुनाव हुए तो उनमें इस बात का पूर्ण परिचय मिल जायगा ।

उपप्रधान मंत्री तो एक ओर मितव्ययता की बातें करते हैं और कहते हैं कि मंत्रिमंडल छोटे से छोटा होना चाहिए परन्तु दूसरी ओर उनके मंत्रिमंडल में 53 मंत्री और 17 सभा सचिवों की लम्बी सूची है। प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशों की बिल्कुल अवहेलना की जा रही है। कुछ लोगों का कहना है कि इस मंत्रिमंडल में 'किचन केबिनट' के सदस्य सम्मिलित हैं। क्या प्रधान मंत्री इस विषय पर कुछ प्रकाश डालेंगी ? कुछ माननीय सदस्यों को यह शब्द बुरा लगा है परन्तु इस शब्द का निर्माता मैं नहीं, फ्रेंक मोरेस है।

प्रधान मंत्री ने देश में राजनीतिक जीवन के परिवर्तन के बारे में कई बार अपने विचार व्यक्त किये। उन्होंने केन्द्र और राज्य सरकारों के बीच सहयोग की ओर कांग्रेस और विरोधी दलों में परस्पर सद्भाव की बातें कहीं हैं। ये बहुत ही सुन्दर विचार हैं परन्तु हमें उपदेश देने के बजाय काम करना चाहिए। मंत्री पद ग्रहण करने से पूर्व ये संविधान के प्रतिनिष्ठा की शपथ लेते हैं परन्तु सबसे पहला काम राजस्थान में राष्ट्रपति का शासन लागू करने का करते हैं। राजस्थान के राज्यपाल कांग्रेस दल के साथ गठजोड़ कर सरकार को राष्ट्रपति का शासन लागू करने की सलाह देते हैं जो वास्तव में राष्ट्रपति की इच्छा के विरुद्ध थी।

सभा का कार्य
BUSINESS OF THE HOUSE

संसद कार्य और संचार मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : मैं सभा को सूचित करता हूं कि अध्यक्ष की विरोधी दलों के नेताओं के साथ हुई आज की बैठक में निम्नलिखित निर्णय किए गये हैं :

यह स्वीकार किया गया कि जहां तक सदस्यों का सम्बन्ध है राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद के प्रस्ताव पर आगे चर्चा 4 अप्रैल, 1967 को समाप्त हो जायेगी और प्रधान मंत्री 5 अप्रैल, 1967 को उत्तर देंगी।

शेष सत्र में निबटाये जाने वाले सरकारी कार्य के लिए समयइस प्रकार नियत किया जायेगा :

(एक) लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक, 1967 $\frac{1}{2}$ घण्टा

(दो) भूमि अर्जन (संशोधन और मान्यकरण) विधेयक, 1957 4 घण्टे

(तीन) खनिज उत्पाद (अतिरिक्त उत्पादन-शुल्क तथा सीमा-शुल्क) संशोधन विधेयक, 1967 1 घण्टा

(चार) अत्यावश्यक वस्तुएं (संशोधन) विधेयक, 1967 3 घण्टे

(पांच) वित्त विधेयक, 1967 2 घण्टे

(छः) संविधान (इक्कीसवां संशोधन) विधेयक, 1967, राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में $\frac{1}{2}$ घण्टा

यह भी स्वीकार किया गया कि 4 से 7 अप्रैल, 1967 तक सभा प्रत्येक दिन 7 बजे म० प० तक बैठेगी।

यदि सत्र की शेष अवधि के लिए नियत आधे घण्टे की चर्चाओं में से किसी एक को लेना सम्भव न हुआ तो उसे अगले सत्र में लिया जायेगा।

इसके पश्चात् लोक सभा मंगलवार, 4 अप्रैल, 1967/14 चैत्र, 1889 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the clock on Tuesday April 4, 1967/Chaitra 14, 1889 (Saka).

Tej Kumar Press, Lucknow. 1-7-68—600